खण्ड-400, अंक-10
मंगलवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(26 फरवरी, 1991 ई0)

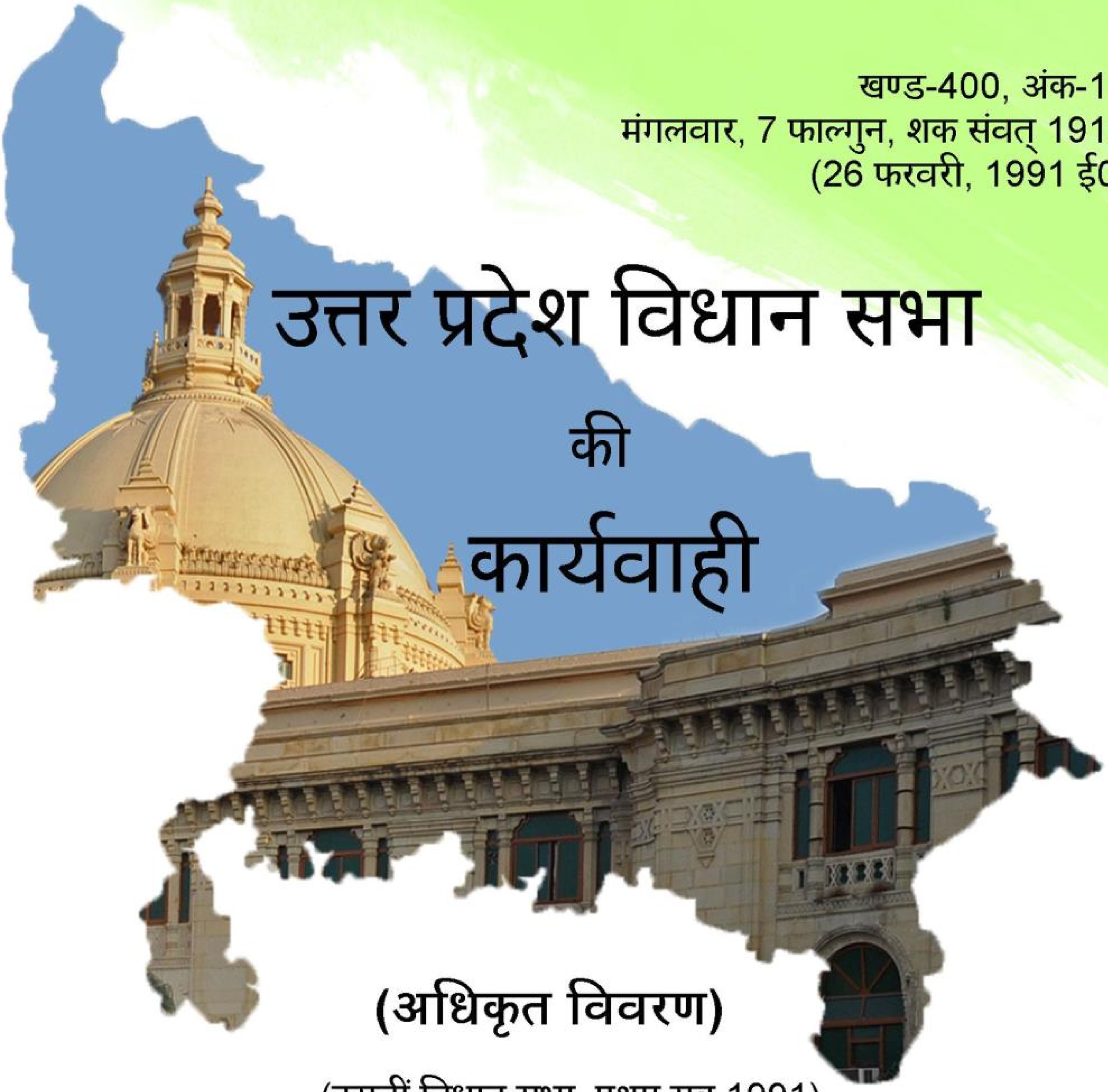

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-2
प्रश्नोत्तर	3-112
नियम 301 की सूचनाएं	113
जनपद उन्नाव की ग्राम सभा परिसर में भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पट्टा न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113-114
जनपद लखीमपुर-खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
आगरा महानगर में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	114
आगरा महानगर के आगरा पश्चिमी क्षेत्र के थाना शाहगंज में लूटपाट की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116
जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर स्थित विभिन्न न्यायालयों को फैजाबाद मुख्यालय में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्र में भियांव ब्लाक के कतिपय ग्रामों में नील गायों द्वारा फसलों को क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115-116
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें ..	116-117
दिनांक 22 फरवरी, 1991 को युवा जनता दल कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के मामले की जांच की मांग (जारी) ..	117-120
दि इंडियन एनेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की 64वीं वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	120
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	120
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अष्टम् से सोलहवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	120
राज्यपाल महोदय द्वारा 21 जनवरी, 1991 को दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्राप्त उत्तर की सदन को सूचना ..	121

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	121
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	121
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	121
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पर्णकर (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	122
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91) का अनुपूरक विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	122
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	12
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	122
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	123
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	123
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	123-126
श्री रविदास मेहरोत्रा के निलम्बन समाप्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	126-127
दिनांक 22 फरवरी, 1991 को युवा जनता दल कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के मामले की जांच की मांग ..	127-132
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित) ..	132-133
जनपद फिरोजाबाद में नगरपालिका अध्यक्ष के कक्ष में अधिशासी अधिकारी द्वारा सभासद को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	134
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में खारे पानी और नमकीन और नमकीन छारीयता के कारण नलकूप के खराब होने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ..	134-136
खाद्य निगम, मेरठ द्वारा राशन की दुकानों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर खाद्य रसद मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	136-137
सूचियां	139-147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री (गोण्डा)
अतीक अहमद, श्री (इलाहाबाद)
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री (रामपुर)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
अमर पाल सिंह, श्री (मेरठ)
अरविन्द कुमार, श्री (ललितपुर)
अशोक कुमार, श्री (बिजनौर)
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री (हमीरपुर)
अशोक कुमार सिंह, श्री (रायबरेली)
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (फतेहपुर)
ऐदल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ओम प्रकाश, श्री (गोरखपुर)
करन चन्द्र सिंह, श्री (नैनीताल)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कृपा शंकर आर्य, श्री (बस्ती)
कृष्ण किंकर सिंह, श्री (बस्ती)
खुर्शीद, श्री (गाजीपुर)
गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (बस्ती)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
तेजपाल, श्री (बिजनौर)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
दौलतराम, श्री (बदायूं)
धर्मपाल, श्री (बुलन्दशहर)
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री (बुलन्दशहर)
नरेश चन्द्र उत्तम, श्री (फतेहपुर)
नेमपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
पारसनाथ यादव, श्री (जौनपुर)
बरफिया लाल जुवांठा, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम यादव, श्री (मैनपुरी)
मण्डलेश्वर, श्री (आगरा)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
सर्वराज सिंह, श्री (हमीरपुर)
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री (बुलन्दशहर)
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री (इटावा)
राकेश कुमार पालीवाल, श्री (फिरोजाबाद)
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेश्वर बंसल, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम तेज, श्री (बहराइच)
राम दुलारे सिंह, श्री (इलाहाबाद)
राममूरती सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
राम सरन सिंह, श्री (अलीगढ़)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री (गोण्डा)
रुद्र प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
रेशमा आरिफ, श्रीमती (कानपुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री (बिजनौर)
श्रीराम चौहान, श्री (बस्ती)
समीउल्ला, श्री (गोण्डा)
सी० बी० इनिस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह पहलौत, श्री (गाजियाबाद)
हनुमन्त सिंह, श्री (गोण्डा)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरफूल सिंह, श्री (सहारनपुर)
हरिवंश कपूर, श्री (देहरादून)

बिहार विधान सभा पुस्तकालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11.00 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति एवं कमिश्नर प्रत्यावेदन पर निर्णय लिये जाने की मांग

**1--श्री पंचानन राय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति के समक्ष कितने प्रत्यावेदन विचार के लिये लम्बित हैं और उन पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

संसदीय वित्त राज्य मन्त्री (श्री बहादुर सिंह)--

31 दिसम्बर, 1990 तक मुख्य सचिव समिति को 886 प्रत्यावेदन प्राप्त हुये जिनमें से 313 प्रत्यावेदनों पर समिति विचार कर अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत कर चुकी है और 573 प्रत्यावेदन शेष हैं जिसमें अनेक प्रत्यावेदन ऐसे हैं जिनकी आंशिक पूर्ति मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी सामान्य संस्तुति से हो चुकी है। शेष मामलों पर भी समिति विचार कर अपनी संस्तुतियां शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न सं0 1, सुरेन्द्र विक्रम सिंह।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न क्या नहीं लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, क्या चाहता है, पहले आपका ही प्रश्न है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, 1 जनवरी, 1986 से राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिये जायेंगे और इनमें जो विसंगतियां रह गयी हैं उनको दूर करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनी थी, मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि समिति को 886 प्रत्यावेदन प्राप्त हुये जिनमें से 313 पर समिति विचार कर अपनी संस्तुतियां शासन को दे चुकी है और 573 प्रत्यावेदन शेष हैं जिन पर निर्णय लिया जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल, 1990 से अब तक, इस समिति की कितनी बैठकें हुयीं, किन-किन तिथियों में हुयीं और इसके पहले वित्तीय वर्ष में एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रमशः कितने-कितने प्रत्यावेदनों पर निर्णय लिया गया ?

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, 1 अप्रैल, 1990 से अब तक समिति की 13 बैठकें हुयी हैं और सभी विसंगति समिति से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित सचिवों को आदेश कर दिये गये हैं कि 15 मार्च, 1991 तक उनकी सूची प्रस्तुत करें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न गम्भीर है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न कुछ और है उत्तर मन्त्री जी कुछ और दे रहे हैं। पूछा है कि 1 अप्रैल, 1990 से किन-किन तिथियों में समिति की बैठकें हुयी हैं और कितने प्रत्यावेदनों पर इस वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया गया है ? तो मन्त्री जी ने न संख्या बतायी और न तिथि ही बतायी है, इसलिये सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, इसलिये जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप दिलवा दें।

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, 1 अप्रैल, 1990 से अब तक समिति की 13 बैठकें हुयी हैं, जैसा कि बताया जा चुका है। अब यदि तिथि की सूचना चाहते हैं कि कब-कब बैठकें हुयी हैं तो वह सूचना सम्मानित सदस्य को दे दी जायेगी। लेकिन इसमें बैठकें हुयी हैं और प्रत्यावेदनों पर विचार भी हुआ है किन्तु सवाल यही किया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष वेतन हो तो बहुत से ऐसे पद हैं जो केन्द्र सरकार में हैं ही नहीं, तो ऐसे भी मामले हैं, इसलिये देर लगी है लेकिन यह अब सुनिश्चित किया है कि 30 जून, 1991 तक सारे प्रत्यावेदनों का निस्तारण हो जाये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो 573 मामले, प्रत्यावेदन विसंगति समिति के सामने विचार हेतु शेष पड़े हैं तो उन पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ? ऐसे कौन-कौन बिन्दु हैं, जिन बिन्दुओं पर निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हो गयी है ? क्या समिति ने ऐसा कोई परीक्षण किया है, जिस परीक्षण के तहत निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है ?

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, सभी जो खास-खास विसंगतियां हैं उन पर मार्च तक निर्णय लेने के लिये आदेश दिये गये हैं और केवल जून और 15 मार्च, 1991 तक समिति....

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी प्रश्न यह है कि कौन-कौन से ऐसे बिन्दु हैं, जिन पर निर्णय लेने में देर हो रही है ? वह क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वह मैंने शुरू में ही निवेदन किया....

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मन्त्री जी तो बैठ गये और उनके (श्री कौशिक) हाथ में न कोई पत्र और न कोई फाइल या चिट्ठी है, यह हवा में कैसे जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपके और राणा जी के बीच का ही मामला है, यह मामला सारा आगरा में ही लटक रहा है।

(व्यवधान)

वर्मा जी सुन लीजिये, कौशिक जी के पास यदि उत्तर उपलब्ध है तो उनसे सुन लीजिये। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह मामला है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

कौशिक जी के सामने इस सम्बन्ध में कोई पत्र हो या इन्होंने पत्रावली का अध्ययन किया हो, तब तो इस मामले में संयुक्त जिम्मेदारी की बात समझ में आती है, लेकिन जब इनके पास इस सम्बन्ध में कोई तथ्य है ही नहीं तो इस तरह उनका उत्तर देना औचित्यपूर्ण नहीं है। मन्त्री जी ने 30 मार्च तक सबका निस्तारण करने की बात कही है, किन्तु उस पर मैंने, जानना चाहा है कि कौन-कौन से ऐसे बिन्दु हैं, जिन पर निर्णय लेने में देर हो रही है ?

श्री बहादुर सिंह—

कोई बाधा नहीं है और समिति इन पर निर्णय लेने का विचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आगरा और फिरोजाबाद शान्त रहें। लेकिन यहाँ प्रश्न तो यह है कि फिरोजाबाद आगे है या आगरा आगे है।

(व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

मान्यवर, मैं अपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा के रक्षकों का आवेदन भी इसमें विचाराधीन है या नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा रक्षकों के बारे में आप यहां प्रश्न नहीं कर सकते हैं, अलग से आप इस पर विधान सभा सचिवालय से पूछ सकते हैं। विधान सभा सचिवालय, शासन से अलग और स्वतन्त्र है। आप इस प्रश्न के बारे में माननीय अध्यक्ष कक्ष में बैठकर, अध्यक्ष जी से अलग से पूछ सकते हैं। लेकिन इस पर वित्त मन्त्री जी से अभी यहां पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आगरा और फिरोजाबाद यहां काम नहीं कर रहा है तो आप बरेली जाइये।

श्री विजय सिंह राणा—

जो बिन्दु लम्बित हैं उनमें से मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं, यह अभी वर्मा जी ने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। तो आप बतायें कि जो आपके सामने बिन्दु विचाराधीन हैं, उनमें मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी ने कहा तो कि कोई बाधा नहीं है निर्णय लेने में ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं बिन्दु पूछ रहा हूं कि वह बिन्दु कौन है, जिन पर विचार लम्बित है ?

श्री बहादुर सिंह--

बिन्दु केवल यह है कि राज्य कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन मांग रहे हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनको दो रु0 प्रतिमाह आज भी वेतन मिल रहा है, उनके वेतन के सम्बन्ध में कोई बिन्दु विचाराधीन है ?

श्री बहादुर सिंह--

इसमें तो कोई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता की तरफ ध्यान दें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत जो बेसिक विद्यालय ग्रामों में हैं उनके सफाई कर्मचारियों को आज के जमाने में भी दो रु0 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है । क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए यह बिन्दु विचारार्थ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है यह परिषद् से सम्बन्धित है जो पंचानन राय जी का मूल प्रश्न है यह शासकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित है ।

श्री पंचानन राय--

जो समता समिति बनी है वह सबके लिए है अब यह बिन्दु विचाराधीन है या नहीं है यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिधि से बाहर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नीति विषयक है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रशासनिक है । जो राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना था इसके लिए समता समिति बनी थी । पिछले वित्तीय वर्ष में जो समिति थी उसकी एक भी बैठक नहीं हुई, केवल पुलिस कर्मचारियों

का अयोध्या में कुछ हो रहा था उसकी वजह से उनका वेतन बढ़ा दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के बारे में जो 86 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की बात थी, पूरे वर्ष सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न करें।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रश्न ही तो कर रहा हूं। पिछले वित्तीय वर्ष में इस सरकार ने प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया इसका क्या कारण है ?

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दो-तीन बार मंत्री जी को पुकारने या उनके बैठे रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, इतनी देर न लगाएं। खूब अच्छी तरह से तैयार हो कर आप आया करें।

आप सब लोग शान्ति बनाए रखें।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, वर्तमान वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं आया, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया, तो सरकार को इसमें क्या कठिनाई थी, जो प्रत्यावेदनों पर निर्णय नहीं हुआ ? इस वित्तीय वर्ष में किसी प्रत्यावेदन पर निर्णय नहीं हुआ इसके प्रमुख कारण बता दें ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था उसके मूल उत्तर में यह बात आ गई है। मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसकी 13 बैठकें हुयीं और उसमें अनेक मामले निस्तारित भी हुये हैं। कुछ मामले अवशेष हैं जिनके सम्बन्ध में जून 91 तक निस्तारण करने की आशा है। इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं जैसे कुछ पद जो राज्य सरकार में हैं वह केन्द्र सरकार में नहीं हैं जैसा कि आपने जानकारी चाही है कि स्कूलों में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि यह कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी हैं पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं।

श्री अमरनाथ यादव--

मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के चयन वेतनमान के सम्बन्ध में क्या विचार किया गया है ? यदि विचार हुआ है तो क्या हुआ है और यदि विचार नहीं किया गया है तो कब तक विचार कर लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग हटकर है।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्यावेदन में दिये गये कितने बिन्दुओं पर शासन ने निर्णय ले लिया है और कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर किन कारणों से निर्णय नहीं लिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

प्रदेश में वित्त विभाग के अधीन प्रदेश स्तर पर पेंशन निदेशालय, विभागीय लेखा निदेशालय एवं वित्त तथा लेखा प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त निदेशकों के पद एवं उन्हें भरे जाने की मांग

*2—श्री चन्द्र भान सिंह, श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विभाग के अधीन प्रदेश स्तर पर पेंशन निदेशालय, विभागीय लेखा निदेशालय एवं वित्त तथा लेखा प्रशिक्षण संस्थान गठित किए गए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त तीनों संस्थाओं में निदेशकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और इन्हें रिक्त रखे जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संघ का ज्ञापन सरकार को जुलाई, 1990 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

निदेशक, पेंशन निदेशालय, निदेशक विभागीय लेखा एवं निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान का पद क्रमशः दिनांक 25 अगस्त, 1990, दिनांक 1 जनवरी, 1990 एवं दिनांक 22 सितम्बर, 1990 से रिक्त है ।

प्रश्नगत पदों का एवं उन पर चयन हेतु योग्यता, पात्रता व चयन प्रक्रिया का उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली 1980 में समावेश न होने तथा पूर्व में उक्त पदों पर नियुक्त हेतु निर्गत कार्यकारी आदेश दिनांक 1 मई, 1986 व कार्यकारी आदेश दिनांक 28 जून, 1988 मुख्य सचिव के अ० शा० पत्र संख्या—13/9/90/का—1/1990, दिनांक 8 जून, 1990 द्वारा निरस्त कर दिए जाने के कारण इन पदों के विपरीत नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं ।

ज्ञापन में वित्त सचिव से विभिन्न बिन्दुओं पर शिष्ट—मण्डल की वार्ता हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था । यह अनुरोध स्वीकार करते हुए शिष्टमण्डल को वार्ता का समय दिया गया । निदेशक कोषागार के रिक्त पद को भरने विषयक मांग की पूर्ति करते हुए निदेशक कोषागार की नियुक्ति दिनांक 22 सितम्बर, 1990 को कर दी गई । निदेशक विभागीय लेखा तथा पेंशन निदेशक के पद को भरने हेतु वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1980 में आवश्यक प्राविधान किया जा रहा है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इतना लंबा उत्तर पढ़ दिया है। मंत्री जी इसको सिंपलीफाई कर दें कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें कि वह क्या कहना चाहते हैं। मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, उसी पर तो मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूंगा। मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विभाग के अधीन स्तर पर पेंशन निदेशालय विभागीय लेखा निदेशालय एवं वित्त तथा लेखा प्रशिक्षण संस्थान गठित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त तीनों संस्थान में निदेशकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और इन्हें रिक्त रखे जाने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे नहीं पाये। मैं मान्यवर, स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, निदेशक, पेंशन निदेशालय, निदेशक विभागीय लेखा एवं निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान का पद क्रमशः दिनांक 25 अगस्त, 1990, दिनांक 1 जनवरी, 1990 एवं दिनांक 22 सितम्बर, 1990 से रिक्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इसे इतना लम्बा पढ़िये नहीं।

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रश्न बहुत लम्बा है और उसका उत्तर भी बहुत लम्बा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न के एक हिस्से का उत्तर तो आ गया, लेकिन दूसरा हिस्सा यह है कि क्या दिक्कत है रिक्तियों को भरने की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्रीमन् प्रश्नगत पदों का एवं उन पर चयन हेतु योग्यता, पात्रता व चयन प्रक्रिया का उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1980 में समावेश नहीं हो सका, फलतः नियुक्तियां सम्भव नहीं हो पाई।

[श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) के खड़े होने पर व्यवधान]

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्त रहिये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इन्होंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 9 जुलाई, 1990 को इन्हें ज्ञापन मिला। ज्ञापन में वित्त सचिव से विभिन्न बिन्दुओं पर शिष्ट-मण्डल की वार्ता हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था। ज्ञापन में ज्येष्ठ एवं चयन वेतनमान दिये जाने की मांग सम्मिलित थी। क्या यह सही है ? यदि हां, तो क्या उसे दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्रीमन् ऐसा है, जैसा कि मूल उत्तर में ही स्पष्ट है और माननीय राणा जी ने उसको पढ़ा भी और जो ज्ञापन कर्मचारियों ने दिया था, जिसमें पदों को भरने के लिए मांग की गयी थी, उस पर विचार करके आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

[श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान]

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसको स्थगित करता हूं।

श्री साहब सिंह—

मान्यवर, इनकी अध्यक्षता में एक स्कूल खोल दीजिए और राम शरण दास जी उसके प्रिन्सिपल बन जाय।

सहकारिता एवं ग्राम विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)—

मान्यवर, यह [× × ×] गये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के 29 नियम (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में रैली की घोषणा एवं उनके निराकरण हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

*1—सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 23 जनवरी, 1991 को लखनऊ में लाखों कर्मचारियों की रैली करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उसके निराकरण हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नोट [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)—

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1991 को लखनऊ में रैली करने की घोषणा की गई थी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की मांगों का विवरण संलग्न है†।

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 139 पर।

परीक्षणोपरान्त इनमें से कतिपय मांगें शासन द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं तथा शेष शासन के विचाराधीन हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की 28 मांगों में से कौन-कौन सी मांग स्वीकार कर ली गयी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मांगों का चिट्ठा बहुत लम्बा है इसमें 20 मिनट लग जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गयी हैं यह बता दें ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, जो मांगें स्वीकार की गयी हैं उनकी राजाज्ञा जारी कर दी गयी है इनमें हैं एक मात्र प्रोन्नति का स्रोत होने पर एक बार ही स्थायीकरण किया जाना, परिवार कल्याण प्रोत्साहन वेतन वृद्धि, सीमान्त विशेष भत्ता और पर्वतीय विकास भत्ता तथा काल्पनिक वेतन वृद्धि।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों की विशेष मांग यह है कि उनको केन्द्र के बराबर वेतन दिया जाय, यह मामला विचाराधीन है क्या इसे स्वीकार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, जो मांग पत्र मिले थे उस पर विचार हो रहा है। बहुत सी मांगें ऐसी हैं जिन पर शासन के संसाधनों को देखते हुए ही जैसे प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे। इससे शासन पर कितना वित्तीय भार आयेगा इस पर व्यापकता से ही विचार किया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों ने जो अपनी मांगें रखी थीं उसमें एक मांग स्पष्ट रूप से यह थी कि उनका वेतन केन्द्र सरकार के वेतन के बराबर कर दिया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि उस मांग पर शासन ने क्या निर्णय लिया और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य हरदोई को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति बड़ी संवेदनाशील है जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं वैसे वैसे हम कर्मचारियों की कठिनाइयों का निराकरण कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, उनकी एक मांग है कि उनका वेतन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाय उस मांग के सम्बन्ध में अभी तक राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया यदि नहीं लिया तो क्यों ? यह बड़ा स्पष्ट सा सवाल है इसको घुमा फिराकर मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई निर्णय नहीं लिया, वह कह रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी उत्तेजित हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस उत्तर को स्पष्ट करा दें।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा है और फिर स्पष्ट किये देता हूं कि यह सरकार अपने कर्मचारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है, चिन्तित है। जैसे-जैसे संसाधन जुटते जाते हैं उससे एक-एक कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। समय-समय पर मांग पत्र प्राप्त होते रहते हैं और उन पर निर्णय लिया जाता है यह आवश्यक नहीं है कि हर मांग पत्र पर निर्णय ही लिया जाय वित्तीय स्थिति को देखते हुए जैसा प्रस्ताव होता है, वैसा निर्णय लिया जाता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी केन्द्र के समान प्रान्तीय कर्मचारियों को वेतन दें, इस पर तो विचार करेंगे, लेकिन सिद्धांततः समान कार्य के लिये समान वेतन देना आपने स्वीकार किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सिद्धांत पर कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर में स्पष्ट किया था कि ये सारे मामले अंतिम रूप से वित्तीय अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन होंगे, हम प्राथमिकता से विचार करेंगे, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी विधान सभा/विधान परिषद् तथा सचिवालय के सुरक्षा बलों तथा जेल विभाग के कर्मचारियों को पुलिस के समान वेतन दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य शाहजहांपुर ने जो सुझाव दिये हैं, हम देखेंगे कि कैसे सम्भव हो सकता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे-जैसे संसाधन होते जायेंगे, मांगों पर विचार करते जायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी अपने कार्यकाल में विचार कर लेंगे, कि नहीं ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, हमारा कार्यकाल नहीं होगा तो माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता भी नहीं होंगे । दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं । यदि माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता होंगे तो उत्तर भी आएगा ।

श्री महेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पर्वतीय जनपद चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में पर्वतीय भत्ते के अलावा सीमान्त वेतन देने की घोषणा हुई है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रतिशत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इन जनपदों के लिये पर्वतीय भत्ते की घोषणा हुई है ?

श्री अशोक बाजपेयी--

जी हां ।

श्री महेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने सीमान्त वेतन के लिये निवेदन किया है, उसका प्रतिशत क्या है ?

श्री अशोक बाजपेयी--

सीमान्त विशेष भत्ते का प्राविधान किया है । सीमान्त वेतन का कोई विचार नहीं है ।

श्री महेन्द्र सिंह--

कर्मचारियों की मांग सीमान्त वेतन की है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

लखनऊ मुख्यालय के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में बिना स्टैम्प शुल्क के सोसाइटी के पक्ष में रजिस्ट्री विषयक शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

*2--श्री फौजदार प्रसाद तथा श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मुख्यालय के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पिछले वर्ष 15 जुलाई, 1990 से 15 नवम्बर, 1990 के मध्य में बिना स्टैम्प शुल्क के सोसाइटी के पक्ष में रजिस्ट्री की गई है अथवा रजिस्ट्री हेतु दस्तावेज स्वीकार किये गये हैं जबकि शासनादेश दिनांक 12-7-1990 के द्वारा छूट समाप्त कर दी गई थी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रादेशिक जनता दल (स) के महामंत्री श्री पारसनाथ मौर्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1990, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी उप निबन्धकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बहादुर सिंह—

जी हां।

दिनांक 15-7-1990 से 25-7-1990 के बीच सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित 25 ऐसे लेखपत्र संयुक्त उप निबन्धक श्री के0 पी0 यादव द्वारा निबन्धित किये गये, जिनमें संशोधित नियमानुसार स्टाम्प शुल्क नहीं दिया गया था। उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही यह प्रकरण विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका था तथा तदनुसार स्टाम्प अधिनियम की धारा-33 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके सम्भावित राजस्व हानि से बचा लिया गया। जांच में सम्बन्धित उप निबन्धक की कोई गलती नहीं पाई गयी। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री फौजदार प्रसाद—

माध्यवर, यह जो अनियमितता बरती गयी, सम्बन्धित व्यक्ति ने नाजायज काम किया, उसके सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? राजस्व में कितना घाटा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बहादुर सिंह—

यह रजिस्ट्री बिना स्टाम्प शुल्क के हो गयी थी, धारा-33 के प्राविधानों के अन्तर्गत सब-रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारी लखनऊ के यहां इसे प्रस्तुत कर दिया है, स्टाम्प शुल्क की वसूली कर ली जायेगी, धारा 33 में प्राविधान है। इससे कोई हानि नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

माध्यवर, माननीय मंत्रिगण तैयार होकर उत्तर दिया करें ताकि सदन का समय नष्ट न हो।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय सदस्य सवाल भी तैयार होकर किया करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

हम लोगों के सवालों का ही उत्तर दें माननीय मंत्रिगण।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न इस प्रकार से करें कि मंत्री जी ठीक से समझ सकें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

माध्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत अवधि में बिना स्टाम्प के रजिस्ट्री की गयीं। क्या उनको मंत्री जी दोषी मानते हैं या नहीं ? दूसरे, जो राजस्व की हानि हो रही है जैसा कि बतलाया उसको वह पूरा कर लेंगे, लेकिन कितने राजस्व की हानि हुई इस पीरियड में जब स्टाम्प नहीं लिया गया ?

श्री बहादुर सिंह—

माननीय, वह प्रश्न केवल इस लखनऊ के श्री के० के० यादव से सम्बन्धित है, उनके कार्यकाल में 25 रजिस्ट्री इस बीच हुई थीं। धारा 93 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के यहां इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें स्टाम्प शुल्क के लिये जो धनराशि है इससे कोई हानि हुई नहीं, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इन मंत्रियों पर अगर कुछ नियंत्रण कीजिये, हंसी जा रही हैं, बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्रिगण बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं।

श्री रामशरण दास—

मान्यवर, हंसी आवे अगर इन पर, क्या रोवें इनको देखकर।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जिन लोगों से स्टाम्प शुल्क नहीं लिया गया और बेनामा हो गया, राजस्व की हानि की बात को स्वीकार किया, लेकिन शब्दों में नहीं बताया। जिन लोगों ने स्टाम्प नहीं लगाया उनसे आप वसूली कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यह कार्यवाही की उनका जुर्म तो बन गया। कितनी राजस्व की वसूली करने के लिये जिलाधिकारी ने आदेश दिये हैं? दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, 12 जुलाई से पहले एक करोड़ राशि की सीमा तक सहकारी समितियों की रजिस्ट्री पर छूट थी।

श्री उपाध्यक्ष—

इन्होंने यह पूछा है कि जिन अधिकारियों ने कर्मचारियों ने गलती की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, उनकी सूचना देर से पहुंची थी। सूचना देर से पहुंचने की वजह से उनका कोई दोष नहीं था और इसमें राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

श्री फौजदार प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राजस्व की हानि हुई है, इस सम्बन्ध में प्रादेशिक जनता दल (स) के महामंत्री श्री पारस नाथ मौर्य का एक शिकायती पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 शासन को प्राप्त हुआ था। उस पत्र के माध्यम से कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया था तो क्या उनके खिलाफ जांच हुई है, यदि हां तो किसके विरुद्ध हुई है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह मामला बिल्कुल अलग है। यह आवासीय सहकारी समितियों से सम्बन्धित है। पहले आवासीय सहकारी समितियों से कुछ सीमा तक रजिस्ट्रीकरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। 12 जुलाई, 1990 को यह व्यवस्था कायम की गयी है उसके बाद से कोई रजिस्ट्री ऐसी नहीं हुई है जिसमें शुल्क न लिया गया हो। जब गजट प्रकाशित हुआ कि आवासीय सहकारी समितियों को जो छूट अनुमन्य थी वह खत्म कर दी गयी है तब से कोई रजिस्ट्री बिना शुल्क के नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच यह आदेश समय से नहीं पहुंचे थे। जब से यह आदेश पहुंचे हैं तब से उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 12 जुलाई, 1990 को जो आदेश हुए थे वह वहां पर किस तारीख को पहुंचे और कब से इस पर रोक लगायी गयी ?

श्री बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसे ही उनको सूचना प्राप्त हुई थी वैसे ही उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। और यह सूचना वहां पर 25 नवम्बर को पहुंची है। चूंकि सूचना देर से पहुंची इसलिए इस पर तभी से कार्यवाही की गयी है।

मंगलवार दिनांक 26 फरवरी, 1991 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न
ग्राम—हरपुर जमानिया, ब्लाक जमानिया, जनपद गाजीपुर में भीषण
अग्नि काण्ड विषयक प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

*1—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम—हरपुर जमानियां ब्लाक जमानियां जनपद गाजीपुर में भीषण अग्नि—काण्ड हुआ था, जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके कार्यालय से पत्र संख्या सी0 एम0 (बी0 को0) एम—1—व/18—107—90 राहत आयुक्त को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त भीषण काण्ड से प्रभावित लोगों को अब तक क्या आर्थिक सहायता दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर दी जायेगी, तो कब तक ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री संत बख्श सिंह रावत)—

जी हां। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का प्रश्नगत विषयक पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ था, जिस पर जिला अधिकारी गाजीपुर से आख्या प्राप्त की गई थी। जिलाधिकारी की सूचना के अनुसार ग्राम नसरतपुर उर्फ हरपुर में दिनांक 3 मई, 1989 को विद्युत के तारों से निकली चिनगारी से अग्निकांड की घटना हुई। जिसमें 30 परिवार प्रभावित हुये। अग्निकाण्ड में कोई जन—हानि नहीं हुई, पर तीन भैंसे जलकर मर गईं। कुल 1,26,700 रु0 की क्षति हुई। घटना घटित होने पर परगना अधिकारी जमानियां (गाजीपुर) ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों में से कुछ के बयान भी लिए। परगनाधिकारी की आख्या एवं प्रभावित लोगों के बयानों से विदित हुआ कि अग्निकांड विद्युत खम्भों के तारों के स्पार्किंग के कारण हुआ था। चूंकि अग्निकांड प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी। अतः प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली राहत इस घटना के प्रभावितों को अनुमन्य नहीं होने से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।

चूंकि विद्युत विभाग के अधिकारियों का कथन है कि उक्त अग्निकांड की घटना बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण नहीं हुई है। अतः जिलाधिकारी के स्तर से मामले में मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना जो घटित हुई है, उसे एक तरफ विद्युत विभाग के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि विद्युत तारों की गड़बड़ी से यह घटना हुई और दूसरी तरफ आप इसे दैवी आपदा नहीं मान रहे हैं। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यह घटना दैवी आपदा में आती है अथवा नहीं ? दूसरी बात जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि इतने रुपये की हानि हुई है और इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं, तो यह जांच के आदेश कब दिये गये हैं और राहत कार्य अब तक शुरू न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री संत बख्श रावत—

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि यह घटना दैवी आपदा में नहीं आती। प्राकृतिक आपदा या दैवी आपदा बाढ़, सूखा वगैरह को कहते हैं, जिसमें शासन द्वारा सहायता अनुमन्य है। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार बिजली के तारों से आग लगी और दूसरी तरफ बिजली विभाग ने इस बात से इन्कार किया कि बिजली के तारों से आग नहीं लगी इसीलिए मामला उलझा होने के कारण मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिनांक 5 जनवरी, 1991 को दिये गये हैं और जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

सम्मानित सदस्यगण, जब अभी इसमें जांच चल रही है तो इसमें मन्त्री जी क्या उत्तर देंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं नीति विषयक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप पूछें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों के घरों या खेत में जब आग लग जाती है तो उन्हें सहायता दिये जाने का जो मानक अभी तक निर्धारित है क्या शासन ऐसी आपदा के संबंध में उस मानक को बदलने पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री संत बख्श रावत—

मान्यवर, यह विसंगति अवश्य है कि बाढ़ और सूखा को ही दैवी आपदा मान करके ही सहायता दी जाती रही है। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इस पर हम विचार करेंगे।

सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग पी0, सी0, एफ0 इकाई हल्द्वानी नैनीताल का घाटे में होना

*2—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग पी0 सी0 एफ0 इकाई हल्द्वानी, नैनीताल जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, घाटे में चल रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त उद्योग को पिछले चार माह में करीब दो करोड़ रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी कौन है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

परियोजना में दो इकाई स्थापित हैं। जिसमें सोयाबीन की प्रक्रिया जनवरी 1986 में एवं वनस्पति इकाई का उत्पादन अगस्त 1985 से प्रारम्भ हुआ।

जी नहीं।

अप्रैल, 1990 से जुलाई 1990 तक परियोजना ने कुल 71.73 लाख रु0 का शुद्ध लाभ तथा दिसम्बर 1990 तक लगभग 100 लाख रु0 का लाभ अर्जित किया है।

वर्तमान में परियोजना लाभ पर संचालित है। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, पता नहीं माननीय मंत्री जी को किस तरह से यह सूचना मिल गई कि यह लाभ पर चल रहा है। अधिकारी लोग जिस तरह से गुमराह करते चले आ रहे हैं वह सिलसिला अभी तक जारी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से ये इकाइयां स्थापित की गई हैं और जब से इन्होंने कार्य करना प्रारम्भ किया है तब से अब तक प्रति वर्ष इनकी आय क्या रही और इन पर कितना खर्च हुआ ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है वह यह है कि जो ये परियोजनायें हैं, ये घाटे पर चल रही हैं। मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बताया है कि 4 महीने से ये परियोजनायें लाभ पर चल रही हैं, जो सही है, आगे भी लाभ पर चलती रहेंगी। हां शुरू में ये परियोजनायें हानि पर चल रही थीं, पर अब ऐसा नहीं है। इसमें छिपाने की कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले 5 साल में जो घाटा हुआ था वह सात करोड़, सत्रह लाख, इक्कतीस हजार रुपये है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। परन्तु अब ये सुधार पर आ गई हैं। बता दूं कि घाटा क्यों हुआ। जब कोई नई इकाई स्थापित की जाती है तो उसको तरह-तरह की कठिनाई आ जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका उत्तर तो हो चुका है।

श्री राम शरण दास—

सोयाबीन बोने की आदत कम थी, बाद में बोना शुरू किया। इसके बाद मार्केटिंग की समस्या थी। कर्मचारियों का आपस में ताल-मेल नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष--

इतना लम्बा उत्तर नहीं होता है, आपका उत्तर तो हो गया था।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने किस आधार पर बूढ़ा कहा है?

श्री राम सेवक दास--

जो पहले कमियां थीं, कर्मचारी, अधिकारी गड़बड़ कर रहे थे, उनमें से दो को सस्पेंड किया है, एक लेबर इन्चार्ज है और दूसरा चीफ कैमिस्ट है, दोनों को सस्पेंड किया गया है। घी वगैरह जो है, उसमें बाजार भाव का उतार-चढ़ाव चलता रहता है। जब मार्केट सस्ते में जा रहा था, तब सस्ते में बेच दिया करते थे। जब ये त्रुटियां सामने आयीं तो ठीक कर दिया गया है। अब तो रोज तीन-तीन बार भाव मालूम करते हैं। अब फायदे में चल रहा है, एक करोड़ रुपये का फायदा है।

डा0 दिनेश जौहरी--

गत वर्षों में प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोप थे। मैं जानना चाहता हूं कि जो हानि हो रही थी, उसके लिये यही उत्तरदायी थे?

श्री राम शरण दास--

प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ तो कोई शिकायत आयी नहीं, जिनके खिलाफ शिकायत थी उनको सस्पेंड कर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार--

अभी माननीय मंत्री जी बीच में बता रहे थे कि जानना चाहता हूं कि आज का उनका बाजिब भाव क्या है?

श्री राम शरण दास--

यह तो उक्त की बात है। माननीय प्रमोद जी अपनी अपनी उम्र मेरी उम्र देख लें।

(हंसी)

*3--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*4--श्री पंचानन राय--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ आगरा में स्थापित किये जाने विषयक उ0प्र0 सरकार का केन्द्रीय सरकार को पत्र

*5--श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट तथा श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में स्थापित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने कोई पत्र केन्द्रीय सरकार को संस्तुति सहित भेजा है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

न्याय एवं विधायिकी राज्य मंत्री (श्री शर्मेन्द्र त्यागी)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है । माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस सम्बन्ध में विचार मांगे हैं, जो प्रतीक्षित हैं ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

मान्यवर, लगता है कि सरकार गुमराह होकर उत्तर दे रही है । विभिन्न समयों पर जो उत्तर आये हैं, वे भिन्न-भिन्न हैं । 15 जून, 1990 को इसी प्रश्न पर सरकार ने उत्तर दिया है कि मई, 1978 और मई, 79 में सरकार ने संस्तुति की है, आज के उत्तर में कह रहे हैं कि "जी नहीं" मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जो उत्तर तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने दिया था, अब की बार न्याय मन्त्री की हैसियत से उत्तर दे रहे हैं, क्या जसवन्त सिंह आयोग ने ऐसी कोई रिपोर्ट की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित की जाय ?

श्री शर्मेन्द्र त्यागी—

आयोग की रिपोर्ट तो सबको मालूम ही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी अपना उत्तर फिर से पढ़ दें ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

मान्यवर मैंने दो प्रश्न माननीय मंत्री जी से किये थे । नं0 1 यह कि उनका आज का उत्तर सही माना जाए या 15 जून के उत्तर को सही माना जाए और दूसरी बात यह जानना चाहता था कि क्या जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में आगरा में हाईकोर्ट बेंच के स्थापित किये जाने की संस्तुति थी, यदि हां तो उस पर अब तक सरकार क्या कार्यवाही कर चुकी है या करने जा रही है ? यह प्रश्न है मान्यवर, आप स्पष्ट उत्तर दिलवा दें ।

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में किसी भी स्थान का जिक्र नहीं था बल्कि उस रिपोर्ट में यह था कि भारत सरकार को राज्य सरकार से यह अपेक्षा है कि वह महामहिम राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण प्राप्त कर स्थान बता दे । और उस रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर स्थान का जिक्र नहीं था ।....

[एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर, सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरद्वार दुबे जी कृपया शांति बनाए रखें, इसके अतिरिक्त यदि आप कोई सूचना चाहते हैं तो उसे अलग से लिखकर दे दीजिए, वह आ जायेगी । अब कृपया शान्त रहें ।

श्री सत्य प्रकाश विशाल—

मान्यवर, यह प्रश्न सदन में कई बार उठा है और इस प्रश्न पर हर बार सरकार ने उत्तर अपने बदले हैं। 16 फरवरी, 1990 में यह यही प्रश्न इस सरकार से किया गया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा था कि इस सरकार ने 5 दिसम्बर, 1989 को कार्यभार ग्रहण किया है और अब इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। मान्यवर इस "अब" का मतलब यह हुआ कि इससे पहले की जो सरकारें आयी थीं, उन्होंने तो इस पर विचार किया नहीं लेकिन अब हम विचार कर रहे हैं। 5 मई, 1990 को जब फिर यह प्रश्न किया गया तो इसी प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि वर्ष 1976, 1977, 1978, 1979 और 1981 में आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, गढ़वाल व कुमायूं मण्डलों आदि में एक-एक बेंच स्थापित हो गयी है और इस संस्तुति में स्थान के चयन के लिए भारत सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। फिर मान्यवर आप जून 15, 1990 की कार्यवाही को आप निकलवा कर दिखवा लें, उस उत्तर में कहा गया कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में आगरा के लिये संस्तुति की गयी है। सरकार ने इसको आधार मानकर भारत सरकार की संस्तुति अपने यहां से भेज दी है। केन्द्र सरकार से इस बारे में स्पष्ट संस्तुति अपेक्षित है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, ऐसा नहीं है, स्थान के बारे में माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है और उन्हें इस सम्बन्ध में अनुस्मारक भी दिए गये हैं जब तक इस सम्बन्ध में वहां से कोई उत्तर नहीं आ जाता है, तब तक कोई बात कहना इस सम्बन्ध में उचित न होगा।

(शोर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह मामला सन् 1976 से लम्बित है। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने बताया कि इस बारे में माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है तो मेरा अनुरोध यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार खण्डपीठ की स्थापना हेतु स्थान के चयन के बारे में भारत सरकार को अपनी संस्तुति तो दे ही दे। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक महीने में मुख्य न्यायाधीश से वे संस्तुति ले लेंगे और क्या आप एक महीने में भारत सरकार से संस्तुति करेंगे कि आगरा में इसको खण्डपीठ की स्थापना की जाय ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायाधीश से प्रार्थना ही की जा सकती है, किन्तु इसके लिये समय की सीमा कैसे निर्धारित की जा सकती है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, क्या माननीय न्याय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार इस बात से सहमत है कि इलाहाबाद न्यायालय की खण्डपीठ उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जाय ? क्या मंत्रिपरिषद् ने इस पर विचार किया है कि खण्डपीठ के स्थान को कहां रहना उचित होगा ? क्योंकि भारत सरकार से आप द्वारा पूछे जाने पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कोई उत्तर उसको स्थान के बारे में दिया है या नहीं कि वह किस स्थान पर खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के लिये सहमत है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार से कुछ बिन्दुओं पर उत्तर चाहे हैं और खास करके मुख्य न्यायाधीश का अभिमत चाहा है जब तक मुख्य न्यायाधीश का अभिमत न मिल जाय, अपना मत जाहिर करना उचित नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण देखते हुए ही राज्य सरकार अपना दृष्टिकोण अपनायेगी।

(कई सदस्यों के द्वारा प्रश्न करने की उत्सुकता को देखते हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाये रखें। अभी मैं आगरा मण्डल को प्रश्न करने का मौका दिया, बाद में मेरठ मण्डल को भी दूंगा। आप अभी बैठें।

डा० दिनेश जौहरी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश का अभिमत कब मांगा गया है और बरेली के बारे में उनका क्या विचार है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आगरा और बरेली के बारे में तो पूरा हिन्दुस्तान ही जानता है।

(हंसी)

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, संभवतः आप भी आगरा मण्डल को प्राथमिकता देते हैं प्रश्न पूछने का मौका देने में। श्रीमन्, यह विचार बहुत दिनों से चल रहा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा, मेरठ या बरेली में एक खण्डपीठ की स्थापना की जाय। मेरा संदेह ही नहीं बल्कि आरोप है कि इस प्रकार का अभिमत है कि वहां पर निश्चित रूप से खण्डपीठ बने नहीं। अगर इस सम्बन्ध में चीफ जस्टिस को लिखा गया था तो कितने दिनों से यह मामला उनके विचाराधीन है? इस सम्बन्ध में कितने पत्र इस सरकार ने उनको लिखे हैं कि वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपनी ओपिनियन दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी आगरा, बरेली या मेरठ में खण्डपीठ की स्थापना होगी लेकिन अगर सरकार की तो नियत सही है तो यह बता दें कि कब तक ये चीफ जस्टिस की ओपिनियन प्राप्त कर लेंगे और उसकी रिपोर्ट सरकार को दे देंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो आरोप है, वह बिल्कुल गलत है। सरकार ने अपना अभिमत भारत सरकार को दे दिया है कि वह खण्डपीठ की स्थापना से सहमत है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसकी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य किया जायेगा। भारत सरकार को लिखा जा चुका है और भारत सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर मुख्य न्यायाधीश से उनका अभिमत मांगा है और मुख्य न्यायाधीश का अभिमत अपेक्षित है और जब तक उनका अभिमत नहीं मिलता है तब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकना संभव नहीं होगा।

श्री भोला पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मन्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है कि बरेली में खण्डपीठ खोली जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी आप बैठ जायं ।

श्री भोला पांडेय—

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या देवस्थली का कोई जिक्र आया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अगर आप उचित समझते हैं कि इसका उत्तर दिया जाये तो मैं दूं ।

श्री रवि कांत गर्ग—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से सहमत है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में किसी स्थान पर खण्डपीठ की स्थापना की जाये । मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, 1991 में जब लोक सभा चल रही थी, उसमें यह प्रश्न किया गया था, उसके उत्तर में कानून मन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट संस्तुति इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है । क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि पहले सप्ताह में, जनवरी में, कानून मन्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने पर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच बनाने का निर्णय लिया जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लोक सभा में क्या सवाल हुआ और क्या उत्तर दिया गया, इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है लेकिन जो राज्य सरकार के अभिमत के बारे में कहा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का अभिमत बहुत पहले दे दिया गया है, लेकिन मान्यवर, भारत सरकार ने ही कुछ बिन्दुओं पर मुख्य न्यायाधीश से अभिमत मांगा है और उनका अभिमत प्रतीक्षित है और जब तक उनका अभिमत प्राप्त नहीं हो जाता है, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं अध्यक्ष जी, इसमें तो आपका भी इन्टरेस्ट है ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

आप मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बहुत सवाल हो गये हैं । इस पर 20 मिनट हो गये हैं इससे अधिक समय नहीं दिया जा सकता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर तो आ गया। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का अभिमत प्रतीक्षित है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

मान्यवर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग है इस पर अनुपूरक प्रश्न तो पूछने दें

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों ने दो-दो अनुपूरक कर लिए हैं ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर) आप लोग बैठ जायें, कृपया शांत रहें ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इस पर एक घंटे की चर्चा करायें

(व्यवधान)

चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लोग शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

जब पीठ से खड़े हों तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिये । हम खड़े हैं आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिये । हमने एक-एक दो-दो अनुपूरक के लिये आपको समय दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा का विषय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री महेश प्रसाद अग्रवाल—

मान्यवर, यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, उनके साथ न्याय होना चाहिये ।

(व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इस पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

विकल जी और दूबे जी में से कोई एक प्रश्न पूछ लें ।

श्री हरद्वार दूबे—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए क्या कोई संस्तुति केन्द्र सरकार को की है । यदि की है तो कब, किस तारीख को वह संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतिम बार 13 मार्च, 1981 को भेजी ।

(व्यवधान)

श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट—

हम वर्तमान सरकार की बात पूछ रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अंतिम बार दिनांक 13 मार्च, 1981 को मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गढ़वाल व कुमायूं मण्डलों के लिए उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ को स्थापित करने के प्रस्ताव से राज्य सरकार सहमत है । मुख्यालय के उचित स्थान का निर्णय भारत सरकार पर छोड़ा गया । उसके बाद जसवंत सिंह आयोग की बैठक हुई उसकी रिपोर्ट भी आ गई है । श्रीमन्, अब भारत सरकार ने तीन बिन्दुओं पर राज्य सरकार तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद का दृष्टिकोण चाहा है—पहला क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना सम्बन्धी विषय पर इस स्तर पर अनुसरण किया जाय ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

दूसरा खण्डपीठ किस स्थान पर स्थापित किया जाय ?

तीसरा नव स्थापित खंडपीठ का क्या क्षेत्राधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उसकी खंडपीठ लखनऊ के मुकाबले में होगा ?

(व्यवधान)

इन उक्त तीन बिन्दुओं पर भारत सरकार ने दृष्टिकोण मांगा है। उसमें मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद का उत्तर अपेक्षित है और जब उनकी अनुमति प्राप्त हो जायेगी तो राज्य सरकार भी अनुमति चाहेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उत्तर में कहा है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को लिखा है कि हाईकोर्ट की एक बेंच जो स्थापित होनी है क्या उसके लिए प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय लेकर स्थापित करेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से किस तारीख को यह पूछा है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद का उत्तर प्रतीक्षित है और वह आने के बाद ही सरकार निर्णय लेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब शून्य काल लेंगे।

श्री सत्य प्रकाश चिकारा—

मान्यवर, इस प्रश्न पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान)

आप लोग लिखकर भेज दें उसे देख लेंगे। कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते हैं तो उनकी बात मैं नहीं सुन पाता हूं। जो लिखकर दिया है उसे देख लूंगा और उसके बाद ही निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

अब आप लोग बैठ जायें। मैंने कह दिया है कि देख लूंगा।

भवन निर्माण अग्रिम से बनवाये गये भवन के लिए कर्मचारी को प्राप्त भवन मरम्मत अग्रिम के फलस्वरूप पुनः उक्त भवन को शासन के पक्ष में बन्धक रखे जाने और उसकी रजिस्ट्री कराने का औचित्य

*6. श्री अतीक अहमद—

क्या सरकार को जानकारी है कि भवन निर्माण अग्रिम लेने वाले कर्मचारियों को अग्रिम से बनने वाले भवन को शासन के पक्ष में बन्धक रखना और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसका पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो भवन निर्माण अग्रिम से बनवाये गये भवन के लिए कर्मचारी को प्राप्त भवन मरम्मत अग्रिम के फलस्वरूप पुनः उक्त भवन को शासन के पक्ष में बन्धक रखे जाने और उसकी रजिस्ट्री कराने का क्या औचित्य है? क्या सरकार भवन मरम्मत के समय भवन के बन्धक रखे जाने और उसकी रजिस्ट्री कराये जाने की पुनरावृत्ति को समाप्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट—नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नोत्तर के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी हां।

निर्माण अग्रिम तथा भवन मरम्मत अग्रिम दोनों भिन्न-भिन्न अग्रिम हैं तथा भिन्न-भिन्न राशि के ये अग्रिम अलग-अलग समय में स्वीकृत/अवमुक्त किये जाते हैं। भवन निर्माण अग्रिम की राशि की प्रतिभूति में बन्धक भवन को उसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत अग्रिम की धनराशि की प्रतिभूति में नियमानुसार फिर से बन्धक रखा जाना अनिवार्य है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में सूखे की स्थिति को देखते हुए सूखा राहत परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से धन की मांग

*7—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे बुन्देलखण्ड के पांचों जनपदों (बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन) में प्रतिवर्ष पड़ने वाले भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए बाढ़ परियोजना की तरह सूखा राहत परियोजना बनाये जाने पर विचार करेंगे और इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग करेंगे ? यदि नहीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री, (श्री मोहम्मद आजम खां)—

बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में वर्तमान में सूखा की स्थिति नहीं है। सूखा की संभावना होने पर सम्बन्धित जिलों को सूखा से निपटने हेतु योजना बनाने के निदेश दिये जाते हैं। जनपद स्तर पर जिला सूखा राहत योजना बनाई जाती है।

सूखा राहत अधीन धनराशि की व्यवस्था विभागीय योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से तथा राहत निधि से की जाती है। प्रदेश के लिए इस वर्ष हेतु केन्द्रीय आपदा राहत निधि 90 करोड़ रु0 की है, जिसमें 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त होगा।

वर्तमान में अतिरिक्त धनराशि केन्द्र सरकार से मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

*8—श्री निरवेन्द्र कुमार—

(अर्थ मंगलवार के लिए स्थगित।)

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में आमी नदी के तट पर स्थित सन्त कबीर निर्वाण स्थली उपनगर मगहर स्थल के विकास किये जाने की मांग

*9—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में आमी नदी के तट पर स्थित सन्त कबीर निर्वाण स्थली उप नगर मगहर जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के साथ-साथ पर्यटन केन्द्र भी है, के विकास हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रति वर्ष मगहर निर्वाण के अवसर पर एक हफ्ते तक चलने वाले मेला महोत्सव एवं साम्प्रदायिक सौहार्द हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त स्थल का विकास कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

जी हां। जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद क्षेत्र उपनगर मगहर में पर्यटन विभाग द्वारा मार्गीय सुविधा के निर्माण की योजना स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त नगर विकास विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नोटीफाइड एरिया कमेटी, मगहर को साधारण सड़क अनुदान के मद में रुपये 1.40 लाख तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई उपकरण के क्रय हेतु 10.00 हजार रुपये अनुदान स्वीकृत किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न जनपदों को पिछड़ेपन के आधार पर जिला प्लान के अन्तर्गत धन आवंटित करने के सम्बन्ध में

*10—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों को जिला प्लान (जनपद नियोजन) के अन्तर्गत धन आवंटित करने का मानक क्या है? क्या जिला योजना हेतु धन आवंटन में जनपद के पिछड़ेपन को भी आधार बनाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन एवं 21 सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)—

प्रदेश के जनपदों को जिला प्लान (जनपद नियोजन) के अन्तर्गत धन आवंटित करने के मानक मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए संलग्नक में दिये गये हैं।

जिला योजना हेतु उपरोक्त मानक में जनसंख्या के साथ-साथ कतिपय विकास संकेतकों में पिछड़ेपन को भी आधार बनाया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 142 पर।)

कटाव के कारण विलीन हुए खेतों के कृषकों से लगान की वसूली किये जाने की शिकायत

*11—श्री दयाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के खेत जो कटाव के कारण नदी में विलीन हो जाते हैं, उसकी भी लगान वसूली होती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां—

किसानों के खेत जो नदी के कटाव के कारण नदी में विलीन हो जाते हैं उस पर लगान वसूल नहीं किया जाता है तथा जिस दिनांक से खेत नदी के पेटे से बाहर आ जाते हैं उस तिथि से मालगुजारी देय हो जाती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक संख्या अधिकारी के पदों में से 70 प्रतिशत पदों की प्रोन्नति सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पद पर करने का प्राविधान

*12—श्री हरिवंश कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक संख्या अधिकारी के पदों में से 70 प्रतिशत पदों की प्रोन्नति सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पद पर किये जाने के प्राविधान थे ? यदि हां, तो क्या गत 13-14 वर्षों से उपरोक्त संवर्ग से सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पद पर प्रोन्नति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जी नहीं, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के 70 प्रतिशत पदों पर सहायक संख्या अधिकारियों की पदोन्नति का प्राविधान कभी नहीं था। वास्तव में वर्ष 1987 में एम0 आई0 एस0 कार्य के लिये सृजित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों में से 33 प्रतिशत पदों को संख्या अधीक्षक सहायक संख्या अधिकारी पद से भरे जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एम0 आई0 एस0) के कुल 22 पदों में से 7 पद प्रोन्नति कोटे में आते हैं जो सभी वर्तमान में तद्नुसार ही भरे हुये हैं।

उ0 प्र0 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि में से कटौती किये जाने के कारण

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि में से कुछ राशि जो कि लगभग 3-4 अरब रुपये हैं, की कटौती कर ली गयी है जिसमें कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एन0 टी0 पी0 सी0) तथा राष्ट्रीय जल विद्युत् निगम की उ0 प्र0 पर बकाया राशि वसूल की जा सके ? यदि हां, तो इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय सरकार द्वारा रु0 225.67 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार की वार्षिक योजना के लिए देय केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय करों में अंश से काट ली गई है। उक्त कटौतियां उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन तथा कोल इण्डिया लिमिटेड को देय भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप की गई हैं।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के तहत जिला उन्नाव में जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के प्रबन्धकों एवं क्षेत्रीय ब्लाक के अधिकारियों द्वारा फर्जी बुनकर समितियां बनाकर लाखों का गोलमाल एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही

*14—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को ज्ञात है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के तहत जिला उन्नाव में जिला सहकारी बैंक की कई शाखाओं के प्रबन्धकों और क्षेत्रीय ब्लाक के अधिकारियों की साठ-गांठ से फर्जी बुनकर समितियां बनाकर 25 लाख का गोलमाल किया गया है जिसकी सूचना लेखा परीक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 1753-56, दिनांक 18 अक्तूबर, 1989 द्वारा जिला प्रशासन को दी है ? क्या इस पर कार्यवाही न होने पर 22 अप्रैल, 1990 को पुनः जिला उन्नाव के लोगों ने कार्यवाही हेतु सहकारिता मन्त्री को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव की शाखा शुक्लागंज की लेखा परीक्षा अवधि 1 जुलाई, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक में पायी गयी अपहरण एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित धनराशि रु0 10,61,118.58 है । इस धनराशि में फर्जी बनाकर समितियों को दिये गये ऋण की धनराशि मात्र 8,61,256.58 रुपये सम्मिलित है ।

श्री हां ।

22 अप्रैल, 1990 को छापा प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है ।

बैंक स्तर से पूर्व से कराई जा रही बनकर प्रकरण की जांच में दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गंगा घाट में दिनांक 11 जुलाई 1990 एवं दिनांक 14 जुलाई, 1990 को दर्ज कराके श्री मुन्नू लाल त्रिपाठी एवं श्री राम गोपाल गुप्त, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, शाखा शुक्लागंज, निलम्बित किये गये हैं ।

आरक्षण पूर्ण करने हेतु अलग से सेवा आयोग गठित करने का प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन

*15—श्री खुरशीद—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण पूर्ण करने हेतु अलग से सेवा आयोग गठित किये जाने का शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशालय अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, काला कांकर भवन, लखनऊ में अनुसूचित जाति के दैनिक भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किये जाने की मांग

*16—श्री लाल राज गौतम—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, काला कांकर भवन, लखनऊ में कितने अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितने समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या उन्हें निश्चित अवधि के अन्दर रेगुलर किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक रेगुलर कर दिया जायेगा ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, काला कांकर भवन, लखनऊ में अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी के कोई कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं हैं । अतः किसी को रेगुलर किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*17—श्री रविदास मेहरोत्रा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ से बाराबंकी मवई चौराहा, नेवरा उमापुर होते हुये रेक घाट तक तथा लखनऊ से बाराबंकी होते हुये रुदौली तथा उमापुर तक बस चलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

*18—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र रुदौली की ओर से पत्र, दिनांक 23 अप्रैल, 1990 अथवा उसके आस-पास भेजा हुआ इस आशय का प्राप्त हुआ कि लखनऊ से बाराबंकी-मवई चौराहा, नेवरा उमापुर होते हुये रेक घाट तक तथा लखनऊ से बाराबंकी होते हुये रुदौली तथा उमापुर तक चलने वाली बसें, जो बन्द हैं, को तत्काल चलाया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों पर अब तक परिवहन विभाग की बसों के न चलाये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त मार्गों पर बसों को चलाये जाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

जी हां ।

उक्त मार्गों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :—

1—लखनऊ से बाराबंकी-मवई चौराहा-नेवरा-उमापुर होते हुये रेकघाट मार्ग में नेवरा से उमापुर तक मार्ग बस संचालन योग्य न होने के कारण सेवा संचालित करना सम्भव नहीं है ।

2—लखनऊ से बाराबंकी-रुदौली तथा उमापुर तक चलने वाली सेवा पुनः संचालित कराते हुये इस सेवा को रेकघाट तक बढ़ा दिया गया है ।

आवास विकास परिषद् के मुख्य अभियन्ता द्वारा कथित लाखों रुपये का कमीशन लेने के विरुद्ध जांच किये जाने की मांग

*19—श्री एदल सिंह—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद् के वर्तमान मुख्य अभियन्ता द्वारा मार्च/अप्रैल, 1990 में सर्किल तीन के अन्तर्गत सभी जिलों तथा निर्माण खण्डों के लिए बिना किसी टेण्डर या कोटेशन के ऊंचे दर पर चार लाख बोरी सीमेन्ट अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड तेरह, लखनऊ के प्रस्ताव एवं देखरेख में आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शासन के नगर विकास विभाग को इस बात की शिकायत भी अप्रैल, 1990 के अन्त में मिली है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा इसमें बीसों लाख रुपये का कमीशन लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माण खण्ड 13 के द्वारा कोई सीमेन्ट का क्रय नहीं किया गया, अपितु सर्किल 3 के निर्माण खण्ड 15 द्वारा मात्र 10 हजार बोरी सीमेन्ट का क्रय किया गया था जिसका मूल्य लगभग साढ़े सात लाख रुपये था ।

प्रश्न में उल्लेखित शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*20—श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री अमर नाथ यादव—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

2—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[तीसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर चल रही अवैध प्राइवेट बसों को बन्द करने की मांग

3—श्री राम स्वरूप वर्मा—

तृतीय सत्र 90 के 2सरे मंगल के अतारा0 प्र0 सं0 41 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवैध वाहन चलाने का मामला मिनी बसों का नहीं, पूरी बसों का है और ये प्राइवेट बसें रोजाना पुखरांया से फजलगंज, कानपुर तक आती जाती हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कानपुर-पुखरांया मार्ग पर 10 मिनी बसें ठेका गाड़ी (कान्ट्रैक्ट कैरेज) संचालित हैं। कानपुर (बड़ा चौराहा) सरवन खेड़ा मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा सात अनुबन्धित प्राइवेट मिनी बसें भी स्टेज़ कैरेज के रूप में संचालित की जा रही हैं। यह 7 मिनी बसें कानपुर से रायपुर तक कानपुर-पुखरांया मार्ग अंश पर भी चलती हैं। इसके अतिरिक्त कानपुर-पुखरांया मार्ग पर कानपुर-औरैया मार्ग की 8 बड़ी बसें भी चलती हैं। इस प्रकार प्रश्नगत मार्गों पर कुल 25 बसें संचालित हो रही हैं। यह सभी बसें वैध परमिटों पर संचालित हैं और इनके सभी कर समय पर जमा किये जा रहे हैं, अतः इस मार्ग पर बड़ी बसों का संचालन भी अवैध नहीं है।

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर स्थित घाघरा के बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के लगान पूर्णतः माफ किये जाने की मांग

4—श्री प्रदीप कुमार यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पाचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के 19 गावों में लगभग हर साल घाघरा नदी की बाढ़ से जल भराव के कारण भूमि पानी में चले जाने व कटाव से बालू के बड़े बड़े ढेरों के लग जाने के कारण किसी किस्म की फसल के पैदा न होने के फलस्वरूप लगान माफ किया गया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त बात को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित माल-गुजारी को सर्वथा के लिए माफ करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सन् 1388 फ0 से अब तक 19 ग्रामों (सूची संलग्न) के जिन काश्तकारों की भूमि घाघरा नदी के बालू व पानी से भराव से प्रभावित होती रही है, उन सभी प्रभावित काश्तकारों को प्रत्येक वर्ष मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की गई है और सम्बन्धित काश्तकारों को मालगुजारी में छूट दी गई है। इन 19 ग्रामों के काश्तकारों की मालगुजारी सदैव के लिए माफ नहीं की जा सकती है, क्योंकि बालू और पानी के भराव वाले क्षेत्रों की स्थिति में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 143 पर है)

स्व0 जुगुल किशोर श्रीवास्तव, ए0 पी0 ओ0, लखीमपुर खीरी की बेवा पत्नी की नियुक्ति न किये जाने के कारण

5--श्री धर्मज्ञ मिश्र व श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 जुगुल किशोर श्रीवास्तव, ए0 पी0 ओ0 जो लखीमपुर खीरी (अईस) में कार्यरत थे कि मृत्यु दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 को हुयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत उनकी बेवा पत्नी की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी नियुक्ति न किये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री राम शरण दास--

जी हां।

मृतक की विधवा की नियुक्ति हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सहकारी विपणन एवं शीतगृह संघ लि0, लखनऊ में वर्तमान में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक का कानपुर तैनाती के समय भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोपों में निलम्बन एवं पुनः सेवा में लिये जाने के कारण

6--श्री धर्मज्ञ मिश्र--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी विपणन एवं शीतगृह संघ लि0, लखनऊ में वर्तमान में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक जब जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, कानपुर में तैनात थे तब वे लगभग 10 वर्षों से अधिक समय तक भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोपों में निलम्बित रहे ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी का निलम्बन कब समाप्त हुआ ? उन पर क्या-क्या आरोप थे ? क्या उक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गये जेनरेटिंग सेट के ठेकेदारों को नानपारा (बहराइच) एवं बस्ती स्थित प्रक्रिया इकाइयों में जेनरेटिंग सेट का ठेका दिया गया है ? ब्लैक लिस्ट किये गये ठेकेदारों पर क्या-क्या आरोप थे फिर उन्हें पुनः कार्य दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास--

जी हां।

आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1986 द्वारा निलम्बन समाप्त किया गया ।

बोगस फर्म से साजिश कर 40,000 रु0 के गबन का आरोप पुलिस विवेचना द्वारा लगाया गया था, जो निम्नवत् है :—

(1) 24 अल्मारी व 20 बक्से चद्दर का आर्डर जो सचिव ने दिया था उसको स्वीकृति दी ।

(2) फर्जी कोटेशन प्राप्त किये गये ।

(3) लोह वस्तु निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति लि0, आचार्यनगर, कानपुर को आर्डर, दिया जो शाखा प्रबन्धक नया बाजार श्री रमेश कुमार शुक्ल की घरेलू समिति थी, जिसमें रमेश का भाई सचिव व बीवी अध्यक्ष थी ।

(4) साजिश कर बैंक का 12,820 रु0 का नुकसान किया ।

(5) 4000 रु0 समिति से बिला एडवांस का दुरुपयोग किया ।

जी नहीं ।

फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने के आदेश निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं पारित किये गये जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायकों की भांति उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिये जाने की मांग

7—श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक को जो विशेष भत्ते वेतन की सुविधा अनुमन्य है क्या उक्त सुविधायें लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 एवं उच्च न्यायालय कार्यरत अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक को भी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों,प्रवर वर्ग सहायकों एवं अवर वर्ग सहायकों को भी उक्त विशेष भत्ते (वेतन) देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

बन्दोबस्त अधिकारी, मुरादाबाद को प्रश्नकर्ता का चकबन्दी विभाग में लापरवाही और अनियमितता किये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

8—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, मुरादाबाद को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सं0 क नं0 143704, दिनांक 8 अगस्त, 1990 चकबन्दी में लापरवाही एवं अनियमिततायें करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

माननीय सदस्य के कथित पत्र में किसी ग्राम विशेष में लापरवाही अथवा अनियमितता का कोई उल्लेख नहीं है, अतएव उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। कतिपय ग्रामों की चकबन्दी पूर्ण होने की तथा अन्य जो सूचना पत्र में चाही गई थी वह उन्हें दिनांक 16 अक्तूबर, 1990 को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर में लखनऊ रीजन के सम्पूर्ण बसों का ठहराव

9—श्री शिव करन सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 36 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर में लखनऊ रीजन की बसें अभी तक नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो तो क्यों ? क्या सरकार ने इसके लिए दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस मार्ग पर लम्बी दूरी की बसों के अतिरिक्त सभी बसें रुकती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के छवि गृहों में अश्लील पोस्टरों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की मांग

10—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के छविगृहों में अधिकांश छविगृह अश्लील पोस्टरों के माध्यम से उनमें चल रही पिक्चरों का विज्ञापन करते हैं जिससे नवयुवकों पर बहुत खराब असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो अश्लील पोस्टरों को रोकने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां,

अश्लील पोस्टरों को रोकने के लिए शासन द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई है जिसमें केन्द्र सरकार के अधिनियम "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसार मनोरंजन कर विभाग के आयुक्त, उपायुक्तों, सहायक आयुक्त (मुख्यालय) को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में और जिला मजिस्ट्रेटों, अपर जिला मजिस्ट्रेटों, मनोरंजन कर के सहायक आयुक्तों तथा जिला मनोरंजन कर अधिकारियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर उक्त धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

श्री सुजीत बनर्जी द्वारा बिक्रीकर आयुक्त के रूप में मारे गये छापे व जब्त की गई सम्पत्ति की जानकारी

11—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जबसे श्री सुजीत बनर्जी, बिक्रीकर आयुक्त के रूप में आसीन हुये हैं तब से कितने छापे बिक्रीकर विभाग द्वारा मारे गये, उसमें कितनी सम्पत्ति जब्त की गयी तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । आयुक्त बिक्रीकर श्री सुजीत बनर्जी द्वारा 16 मई, 1989 को कार्यभार ग्रहण किया गया था । जून, 1989 से अक्टूबर 1990 तक बिक्रीकर की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा प्रदेश में 642 छापे मारे गये जिसके अन्तर्गत व्यापारियों के लेखे जब्त किये गये ।

छापों के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का प्राविधान नहीं है ।

राजस्व की प्राप्ति का आकलन, सम्बन्धित मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही किया जाना होता है ।

फतेहगढ़ जेल में सजा पूरी होने के बाद मुजरिमों को न छोड़े जाने के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

12—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहगढ़ में ऐसे कितने कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी होने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया ? कितने व कौन-कौन कैदी ऐसे हैं जिनको 30 वर्ष उक्त जेल में रहते पूरे हो गये ? उनकी रिहाई कब तक कर दी जावेगी ? सजा पूरी होने के बाद मुजरिमों को जेल में रखने के लिए क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

कारागार होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री हरीश कुमार गंगवार)—

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में ऐसा कोई बन्दी नहीं है जिसकी सजा पूरी होने पर उसे यथासमय छोड़ा नहीं गया हो ।

निम्नलिखित 3 बन्दी ऐसे हैं जो 30 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी कर चुके हैं :—

1—बन्दी साहब सिंह (संख्या 7230) पुत्र गुरू दयाल सिंह ।

2—बन्दी शंकर उर्फ शंकरिया (संख्या 2154) पुत्र तेज सिंह ।

3—बन्दी गुलाम अली (संख्या 4391) पुत्र रुस्तम ।

चूंकि उक्त तीनों बन्दियों को आजीवन कारावास का दण्ड मिला है, उन्हें मुक्त नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार के पावर हाउस में आग लगने से कर्मचारी की मृत्यु एवं जांच

13—श्री जगदीश लाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 मई, 1988 को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार के पावर हाउस में आग लगने से एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी थी जिसकी जांच उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के मुख्यालय से करायी थी ? यदि हां, तो जांच में दोषी को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार में चीनी उत्पादन में घोटाला एवं जांच

14—श्री जगदीश लाल—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार में चीनी उत्पादन में घोटाला हुआ था जिसकी जांच निगम मुख्यालय द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषी को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

जी नहीं।

जांच करायी गयी। जांच में कथित घोटाला किये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार में पानी घुसने से हुई क्षति एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

15—श्री जगदीश लाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई, सिसवा बाजार के चीनी गोदाम में वर्ष 1990 के जून माह में पानी घुसने से काफी क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं ? शासन दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रामशरण दास—

जी हां।

गोदाम में पानी भरने से नष्ट हुई चीनी के लिये ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, गोरखपुर से कुल 78,437.12 रु0 का क्लेम किया गया है। चीनी का नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण होने से किसी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई सिसवा बाजार के ऊपर
गन्ना मूल्य कमीशन एवं कर्मचारियों के देयों
का बकाया

16—श्री जगदीश लाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई सिसवा बाजार के ऊपर वर्ष 1982–83 का गन्ना मूल्य कमीशन एवं कर्मचारियों के देय बकाया है ? यदि हां, तो शासन उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रामशरण दास—

जी हां ।

मिल अधिग्रहण उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों में संशोधन करके दिनांक 28 अक्तूबर, 1984 को अधिग्रहण की गयी । प्रश्नगत बकाया अधिग्रहण के पूर्व का है । बकाये का भुगतान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किया जायेगा ।

श्री हरि शंकर राव, जिला गन्ना अधिकारी, महराजगंज के विरुद्ध सात
विधायकों का शिकायती–पत्र एवं कार्यवाही

17—श्री जगदीश लाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री हरिशंकर राव, जिला गन्ना अधिकारी, महराजगंज के विरुद्ध सात विधायकों की शिकायत की जांच हो रही है ? यदि हां, तो शासन उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रामशरण दास—

प्रश्नगत शिकायती–पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः कोई जांच नहीं की जा रही है ।

उप निबन्धक कार्यालय, सगड़ी की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता
का पत्र एवं उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

18—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप निबन्धक कार्यालय, सगड़ी (आजमगढ़) की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 मई, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख बातें क्या हैं, और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र को, श्री रामजनम यादव, अध्यक्ष, जिला जनता दल के द्वारा पहले श्री के0 डी0 पाण्डेय, निबन्धन लिपिक, उप निबन्धक कार्यालय, सगड़ी की शिकायत के आधार पर स्थानान्तरित करने तथा बाद में जांच अधिकारी के समक्ष यह लिख कर देने की श्री पाण्डेय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, का उल्लेख किया गया था ।

श्री के0 डी0 पाण्डेय का स्थानान्तरण सगड़ी से कर दिया गया तथा विशिष्ट सूचना के अभाव में अन्य कोई जांच नहीं कराई गई ।

सचिवालय प्रशासन द्वारा वित्त विभाग के स्थानान्तरित अनुभाग अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

19—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन द्वारा वित्त विभाग के समस्त अनुभागों में कार्यरत कितने अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के स्थानान्तरण अन्य अनुभागों में इस वर्ष किये गये और उनके नाम क्या हैं ? स्थानान्तरित लोगों में से कितनों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा कितने शेष हैं ? कितने अनुभाग अधिकारी और सहायक ऐसे हैं जो एक ही अनुभाग में काफी समय से कार्यरत हैं और उनके स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिए गए हैं ? ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वित्त विभाग में स्थानान्तरण नीति वर्ष 1990 के अन्तर्गत 16 अनुभाग अधिकारी एवं 79 सहायक स्थानान्तरित किये गये । स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की सूची संलग्न* है । स्थानान्तरित कर्मचारियों में 7 अनुभाग अधिकारी तथा 33 सहायकों को उनके नये तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त कर दिया गया । शेष दीर्घ अवधि से कार्यरत 9 अनुभाग अधिकारी एवं 46 सहायकों के स्थानान्तरण कार्य-हित में स्थगित किये गये ।

जनपद बांदा में कालिन्जर बांदा—बदौसा मार्ग पर निजी मोटर मालिकों को चलाने का परमिट दिये जाने की मांग

20—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में बांदा कालिन्जर बांदा बदौसा रोडवेज बस चलती रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में जब यातायात बढ़ जाता है तो उसे बन्द कर दिया जाता है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? इसे कब से पुनः चालू किया जायेगा ? यदि राजकीय परिवहन निगम बसें चलाने में असमर्थता जाहिर करता है तो क्या व्यक्तिगत मोटर मालिकों को इस मार्ग में बस चलाने की अनुमति (परमिट) दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जी हां ।

जी नहीं ।

बांदा-बदौसा-फतेहगंज सेवा जून, 1990 तक संचालित की गई । वर्षा ऋतु में बदौसा-फतेहगंज के मध्य पड़ने वाली बानगंगा नदी का पुल असुरक्षित होने के कारण सेवा बन्द कर दी गयी थी । वर्तमान में निर्मित पुल बस संचालन योग्य नहीं है ।

बांदा-कालिंजर सेवा संचालित है, जो बघेलावारी तक जाती है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी मोटर मालिकों को अनुमति (परमिट) नहीं दी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 144 पर ।)

डी0 डी0 सी0 चकबन्दी, वाराणसी द्वारा नं0 मु0 रेफरेन्स नं0 126 सरकार बनाम भुड़भुड़ गांव पिपरिश, तहसील व परगना भदोही, जिला वाराणसी का फैसला

21--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 डी0 सी0 चकबन्दी, वाराणसी ने नं0 मु0 रेफरेंस नं0 126 सरकार बनाम भुड़भुड़ गांव पिपरिस, तहसील व परगना भदोही, जिला वाराणसी का फैसला दिनांक 14 मार्च, 1989 को किया है और उस फैसले को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, ज्ञानपुर, वाराणसी ने भी फैसला किया था ? यदि हां, तो उसका अमलदरामद माल कागजात में किया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं ।

संदर्भ संख्या 126, सरकार बनाम भुड़भुड़, गांव पिपरिस, तहसील व परगना भदोही, जिला वाराणसी से सम्बन्धित नहीं है वरन् उक्त संदर्भ ग्राम गुड़िया, परगना कसवार राजा, सरकार बनाम फूलमती से सम्बन्धित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चारबाग, लखनऊ से लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर पूर्वांचल में जाने वाली समस्त परिवहन निगम की बसों को हैदरगढ़ (बाराबंकी) में रोके जाने का प्रस्ताव

22--श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चारबाग, लखनऊ से लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर पूर्वांचल जाने वाली समस्त परिवहन निगम की बसों को, राजकीय परिवहन निगम बस स्टेशन, हैदरगढ़ (बाराबंकी) में रोकने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्च, 1990 में ही ऐसे निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय को बरकरार रखते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक की नियुक्ति की मांग

23--श्री महेन्द्र सिंह माहरा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय (आर0 एम0 आफिस) की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय को किन कारणों से हटा दिया गया है ? क्या उक्त कार्यालय को बरकरार रखते हुये उस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निदेशक मंडल द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, टनकपुर को पिथौरागढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था। कालान्तर में पुनर्विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, टनकपुर में ही बना रहेगा तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो प्रबन्धक, पिथौरागढ़ का कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, टनकपुर के शिविर कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।

आवास विकास परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ में अन्य विभागों/संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची को पटल पर रखने की मांग

24—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अन्य विभागों/संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या 238/पी0 एस0 एम0 एस0/90, दिनांक 27 फरवरी, 1990 के तहत 31 मई, 1990 तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पैतृक विभागों/संस्थानों को वापस कर दिया गया है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिन्हें आवास विकास परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ से उनके पैतृक विभागों/संस्थानों को अभी तक वापस नहीं किया गया है, सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में संदर्भित आदेश सचिवालय में सम्बद्ध किए गये कार्मिकों की वापसी से संबंधित था। आवास एवं विकास परिषद् में नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होता है। अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सिहाली एहतमाली, तहसील सदर, मुरादाबाद तथा ग्राम पीपल-साना एहतमाली, तहसील सदर, मुरादाबाद का सरहदे नक्शे में दुरुस्त करने में प्रश्नकर्ता का पत्र

25—श्री मो0 रिजवानुल हक—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह जनवरी, 1990 से जून, 1990 के मध्य ग्राम सिहाली एहतमाली, तहसील सदर, मुरादाबाद तथा ग्राम पीपलसाना एहतमाली, तहसील सदर, मुरादाबाद की सरहदें नक्शे में दुरुस्त करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नक्शे में सरहदें दुरुस्त करायी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र माह जनवरी, 1990 से जून, 1990 के मध्य राजस्व विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

चूंकि प्रश्नकर्ता का उपरोक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सड़क परिवहन निगम के ट्रैफिक साइड के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति निर्णय लेने की मांग

26—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के ट्रैफिक साइड के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती है जबकि अन्य सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी उक्त विसंगति को दूर करने का निर्णय लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के किसी कर्मचारी को जिस पर निगम की सेवा नियमावली लागू होती है, सेवा नियम 39(2) से अपवादित कर्मचारियों को छोड़कर पेंशन देय नहीं है। सेवा नियम 39(2) के प्राविधान के अनुसार तत्कालीन रोडवेज के कर्मचारियों को जिन्हें पूर्व में निगम के गठन के पूर्व पेंशन देय थी, अब भी देय होगी।

राज्य सरकार के पेंशनरों को केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन दिये जाने की मांग

27—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को केन्द्रीय सरकार के बराबर पेंशन देने की तत्कालीन सरकार ने 1 जनवरी, 1986 को कोई घोषणा की थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पेंशनरों को केन्द्र सरकार की भांति क्या पेंशन दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पेंशनरों की पेंशनों में 1 जनवरी, 1986 से वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 14 अप्रैल, 1987 तथा दिनांक 16 अप्रैल, 1987 को जारी किये आदेशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 जून, 1987 दिनांक 28 जुलाई, 1987 तथा दिनांक 27 जून, 1990 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रेमनगर, रिफ्यूजी कालोनी, सीतापुर में अनधिकृत अतिक्रमणों को नियमित किये जाने विषयक जिलाधिकारी को पत्र एवं कार्यवाही

28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव (सहायता एवं पुनर्वास विभाग) द्वारा मोहल्ला प्रेमनगर, रिफ्यूजी कालोनी, सीतापुर में अनधिकृत अतिक्रमणों को नियमित किये जाने विषयक, जो पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1989 को जिलाधिकारी, सीतापुर को लिखा गया है, उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मोहल्ला प्रेमनगर, रिफ्यूजी कालोनी, सीतापुर के अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार शासनादेश, दिनांक 22 सितम्बर, 1989 के अधीन निर्धारित दर की आकलित धनराशि जमा करने हेतु नोटिसें दी गयीं हैं जिनमें से 2 अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमित भूमि की नियत धनराशि जमा की है।

वाराणसी के पत्रकार बन्धुओं के लिये आवास हेतु विचाराधीन योजना व इन्हें सब्सीडी दिये जाने की मांग

29—श्री अमरनाथ यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के पत्रकार बन्धुओं के लिये आवास हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इन्हें सब्सीडी (रियायत) दिये जाने की व्यवस्था शासन करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा एक पत्रकार कालोनी निर्मित करने की योजना विचाराधीन है ।

भूमि की व्यवस्था हो जाने पर इस प्रकरण पर यथासमय ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समितियों की नियमावली सीधे उपलब्ध कराये जाने की मांग

30—श्रीमती विजय लक्ष्मी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समितियों की नियमावली प्राप्त करने हेतु दो रुपये का ट्रेजरी चालान जमा करना पड़ता है जिससे नागरिकों को दौड़-धूप करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार नियमावली लेने वाले व्यक्ति से सीधे दो रुपया प्राप्त करके उक्त नियमावली उपलब्ध कराये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सहकारी समिति नियमावली का विक्रय नहीं किया जाता है । केवल सहकारी समिति के निबन्धन हेतु उपविधियों की चार प्रतियां जिला सहायक निबन्धक से दो रुपये का भुगतान कर प्राप्त करने का प्राविधान है ।

उक्त व्यवस्था उचित एवं नियमित कार्य संचालन की दृष्टि से की गयी है ।

सहकारी समिति नियमावली राजकीय मुद्रणालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जहां से कोई भी व्यक्ति सीधे प्राप्त कर सकता है ।

31—श्री दीप नारायण—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम मेहनगर, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ की चकबन्दी की कार्यवाही एवं सरकार द्वारा कागजात तहसील में प्रस्तुत करने के आदेश की मांग

32—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मेहनगर, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ की चकबन्दी की समस्त कार्यवाही विगत दो साल पहले ही पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव के समस्त कागजात तहसील को अभी तक नहीं भेजे गये हैं ? क्या सरकार उक्त कागजात शीघ्र तहसील में प्रस्तुत करने के आदेश देगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं । चकबन्दी प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण अभिलेखों को तहसील में भेजना सम्भव नहीं है ।

ग्राम सभा नेक बख्तपुर तथा आरीपुर, तहसील व जिला गाजीपुर में बंजर तथा योग्य भूमि को भूमिहीनों में आवंटित किये जाने की मांग

33--श्री खुरशीद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा नेकबख्तपुर तथा आरीपुर, तहसील व जिला गाजीपुर में जो बंजर और जोत योग्य भूमि है वह भूमिहीनों को आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि को भूमिहीनों में आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ग्राम सभा नेकबख्तपुर में 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि कृषि योग्य थी जिसमें से 3 बीघा 3 बिस्वा 4 धूर भूमि का आवंटन भूमिहीनों में करके आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है । शेष में 2 धूर भूमि गड्ढे के रूप में है, जो आवंटन योग्य नहीं है तथा 5 बिस्वा 14 धूर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने के कारण धारा 122 बी का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

इसी प्रकार ग्राम सभा आरीपुर में कुल 32 बीघा 16 बिस्वा 18 धूर कृषि योग्य व बंजर भूमि है जिसमें से 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन भूमिहीनों में करके आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है । शेष में 2 बीघा 9 धूर रास्ता 9 बिस्वा 9 धूर फलदार इमारती लकड़ी के वृक्ष, 9 बिस्वा 8 धूर नाला, 3 बीघा 9 बिस्वा 2 धूर नदी का किनारा, 3 बिस्वा गड्ढा, 12 बिस्वा 5 धूर देवस्थान, 3 बिस्वा 17 धूर सार्वजनिक कुंआ है, 2 बीघा 5 बिस्वा 10 धूर आबादी के रूप में है जिसके नियमन हेतु धारा 123(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है । शेष 2 बीघा 13 बिस्वा 10 धूर वर्ग 4 के खारिज होने से हाल में प्राप्त हुयी है जिसके आवंटन की कार्यवाही कर दी गयी है । ग्राम नेकबख्तपुर में बेदखली की कार्यवाही के पश्चात् भूमि, भूमिहीनों में नियमानुसार आवंटित कर दी जायेगी ।

34--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[दिनांक 22 जनवरी, 1991 को आतारांकित प्रश्न संख्या 92 द्वारा उत्थित]

बांदा जनपद की तहसील नरैनी में ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों में आवंटित किये जाने की मांग

35--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम छतैनी में ग्राम समाज की कितनी भूमि है जिसको कि अभी तक भूमिहीनों/अल्प भूमि-हीनों को भूमि के पट्टे नहीं किये गये ? क्या अविलम्ब भूमि के पट्टे कर दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि कुछ आवंटित भूमि के पट्टों में अभी कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या अविलम्ब जरिये पुलिस कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत ग्राम में 20 एकड़ कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु शेष है जिसका, प्रधान के बाहर चले जाने के कारण, अभी तक ग्राम के भूमिहीनों/अल्प भूमिहीनों को पट्टा नहीं हो सका है। अब उक्त भूमि के पट्टे अविलम्ब दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

पूर्व में आवंटित 26 पट्टेदारों को भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील मिलक में ओलावृष्टि के कारण राहत देने तथा ऋण दिलाने के सम्बन्ध में पत्र एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36—अनिल कुमार मारकाज—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 20 मई, 1990 का पत्र तहसील मिलक में ओलावृष्टि के कारण राहत देने तथा ऋण दिलाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्रामवार कितनी सहायता, कितने व्यक्तियों को राहत सहायता के रूप में वितरित की गयी तथा क्या ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक का प्रश्नगत विषयक माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 10 मई, 1990 को प्राप्त हुआ।

प्रश्नगत ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को कोई राहत धनराशि, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान के मद के अन्तर्गत नहीं दी गई, क्योंकि ओलावृष्टि में न तो कोई परिवार भूखमरी की स्थिति में आया, न ही मकान आंशिक या पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और न ही किसी मनुष्य की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। आपदा तकावी ऋण के लिये भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने से ऋण नहीं दिया गया।

प्रकरण में कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जनपद बांदा में नियुक्त श्री इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी, चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र, दिनांक 26 अप्रैल, 1990, जो चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बाबत जनपद बांदा में नियुक्त श्री इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी, चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्णय में नियमित सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति प्रतिबन्ध में का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है। दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

कथित शिकायती-पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1990 चकबन्दी आयुक्त कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी, तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी, जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में सिद्ध आरोपों के आधार पर चकबन्दी आयुक्त के आदेश में निर्देशित किया गया था कि उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए अधितीकरण कार्य हेतु नियुक्ति किया जाय और यदि चकबन्दी अधिकारी पद पर कार्य करें तो न्यायिक एवं क्षेत्र का कार्य देना उचित न होगा । बाद में श्री सिद्दीकी द्वारा कार्य एवं आचरण में सुधार लाने के आश्वासन पर चकबन्दी आयुक्त ने दिनांक 20/21 जनवरी, 1989 को पुनर्विचार कर संशोधित आदेश दिये गये कि श्री सिद्दीकी को चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी को प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग पूर्ववत् करने दिया जाय । नियुक्ति प्राधिकारी, चकबन्दी आयुक्त उपरोक्त निर्णय लिये जाने में सक्षम हैं । अतः चकबन्दी आयुक्त द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के उप जिला कर्वी में सिविल जजी खोलने की मांग

38--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के उप जिला कर्वी में वादकारियों की सुविधा को देखते हुये शासन द्वारा कर्वी में सिविल जजी खोलने अथवा कर्वी में कार्यरत जजों को सिविल जजी सम्बन्धी अधिकारों को देकर अधिकृत करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बांदा के उप जिला कर्वी में सिविल जजी की स्थापना हेतु प्रक्रिया चल रही है ।

सिविल जजी (कर्वी) सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु बांदा स्थित तृतीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय को कर्वी स्थानान्तरित किया जा चुका है, जिसने कि दिनांक 9 नवम्बर, 1990 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । राज्य के समस्त अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को सिविल न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियां विनिहित की जा चुकी हैं ।

मथुरा एवं वृन्दावन नगरों के मुख्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु शासन की सन्दर्भित योजना एवं कार्यवाही

39--श्री रविकान्त गर्ग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा एवं वृन्दावन नगरों के मुख्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कोई योजना दिनांक 26 अगस्त, 1987 अथवा

उसके आस-पास शासन को संबर्धित की गई थी जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा भी एक अनुरोध-पत्र दिनांक 17 मार्च, 1990 को माननीय मंत्री जी को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? मुख्य मार्गों व सम्पर्क मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

समप्रति वित्तीय वर्ष 1990-91 में मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राधिकरण को कोई अनुदान अनुमन्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 1991-92 में इस प्रयोजन हेतु अनुदान दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0, देहरादून द्वारा
श्री शिवदत्त पसबोला से सोसायटी की सदस्यता सम्बन्धी
पत्र में जानकारी

40—हाजी मोहम्मद वसीम—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1989 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित श्री शिवदत्त पसबोला को सोसाइटी द्वारा प्लाट आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इनके बाद के सदस्यों को प्लाट आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो श्री पसबोला को प्लाट आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इन्हें प्लाट कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार इस मामले में पाये गये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री पसबोला दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य हैं। सहकारी आवास समिति द्वारा अपने सदस्यों को स्वयं भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। समिति ने श्री पसबोला को कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया है।

क्योंकि श्री शिव दत्त पसबोला ने भूमि हेतु समिति द्वारा मांगा गया अग्रिम धन जमा नहीं किया है। इसी कारण उन्हें प्लाट आवंटित नहीं किया गया है।

जी हां।

श्री पसबोला ने समिति के प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 2 दिसम्बर, 1973 के प्रस्ताव संख्या 5 (1) के अनुसार भूखण्ड हेतु मु0 7,000.00 रुपये अग्रिम धन जमा नहीं किया था। इसी कारण समिति ने उनको प्लाट आवंटित नहीं किया। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में कोई प्लाट रिक्त नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

निबन्धक, शहरी सहकारी आवास समितियों ने सूचित किया है कि इस मामले में कोई व्यक्ति दोषी नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद के अन्तर्गत मुगलसराय में गृह निर्माण योजना के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के आवेदन-पत्र

41—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत मुगलसराय में गृह निर्माण योजना के सम्बन्ध में आवास-विकास परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ने वर्ष 1986 में विज्ञापन प्रकाशित कराया था ? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न श्रेणियों में कुल कितने आवेदन पत्र मकान आवंटन हेतु प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने लोगों को अब तक मकान आवंटित हुआ है ? क्या आवेदनकर्ताओं में मुगलसराय के रेलवे कर्मचारी अथवा उनके परिजन भी हैं ? यदि हां, तो क्या इनको मकान आवंटित हो गया है ? यदि नहीं, तो अल्पवेतन भोगी रेल कर्मचारियों को कब तक मकान का आवंटन हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। भिन्न-भिन्न श्रेणियों में मकान आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण निम्नवत् है जिनमें से किसी व्यक्ति को अभी कोई मकान आवंटित नहीं हुआ है :—

1—दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु	..	45
2—अल्प आय वर्ग भवन हेतु	..	18
3—मध्यम आय वर्ग भवन हेतु	..	04
4—भूखण्ड हेतु	..	58
कुल प्राप्त आवेदन	..	125

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें सभी वर्गों एवं विभाग के व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अभिलेखों में किसी विशेष वर्ग अथवा विभाग का उल्लेख न होने के कारण आवेदनकर्ताओं में मुगलसराय के रेलवे कर्मचारी अथवा उनके परिजन सम्मिलित होने की सूचना देना सम्भव नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा फूलपुर पिड़रा, ब्लाक वाराणसी के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के विरुद्ध अनुसूचित जाति के लोगों का प्रार्थना-पत्र एवं कार्यवाही

42—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा फूलपुर पिड़रा, ब्लाक वाराणसी के प्रधान आशा प्रसाद द्वारा ग्राम समाज की भूमि का अवैध व मनमानी पट्टा आवंटन के विरुद्ध ग्राम फूलपुर, परगना कोलअसला, तहसील सदर, जनपद वाराणसी के बाबू राम पुत्र मेवाराम खटिक आदि अनुसूचित जाति के लोगों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-6-90 व दिनांक 27-6-90 जिलाधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अवैध आवंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गई। जांच में अनियमित पाये गये उन पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

43—श्री राजकिशोर सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम लहुजा खुर्द, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में गरीब एवं हरिजनों को सीरदारी पट्टा की हुई भूमि की स्वीकृत कर उन्हें सीरदार घोषित करने की मांग

44—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लहुजा खुर्द, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में 1975-76 में अनेकों गरीबों एवं हरिजनों को सीरदारी पट्टा हुआ था? यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को परगनाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़ द्वारा स्वीकृति दी गयी? क्या यह सच है कि शेष पट्टेदार, जिनको स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, वे उक्त पट्टे की भूमि पर काफी दिनों से काबिज हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त कब्जेदारों के नाम पट्टा की हुई भूमि को स्वीकृत कर उन्हें सीरदार घोषित करेगी?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कारागार मुख्यालय में गोपनीय अनुभाग में कार्यरत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी किये बिना ही अधीक्षक के पद पर नियम विरुद्ध प्रोन्नति एवं स्थायीकरण

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार मुख्यालय में गोपनीय अनुभाग में कार्यरत किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी किये बिना ही अधीक्षक के पद पर स्थायी कर दिया गया है तथा डेढ़ वर्ष के भीतर ही उन्हें अधीक्षक ग्रेड (प्रथम) के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध इन पदोन्नतियों एवं स्थायीकरण का क्या कारण है?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

1. जी नहीं।

नियमानुसार प्रोन्नति की गयी।

3. प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में 3 वर्ष सेवाकाल पूरा करने वाले अतिरिक्त जिला अधिकारी का मण्डल में रहने का औचित्य

46—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में कितने अतिरिक्त जिलाधिकारी हैं जिनका सेवाकाल तीन वर्ष पूरा हो चुका है? इन्हें गोरखपुर मण्डल में बने रहने का क्या औचित्य है?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गोरखपुर मण्डल में केवल एक अतिरिक्त जिलाधिकारी हैं जिनका सेवा काल तो वर्ष पूरा हो चुका है ।

जनहित में ।

काशी विश्वनाथ मन्दिर के न्यास परिषद् द्वारा किये गये सुधार कार्य एवं न्यास परिषद् के कोष की उपयोगिता

47--श्री श्याम देव राय चौधरी बाबा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास परिषद् द्वारा कौन-कौन से सुधार कब-कब हुए हैं ? क्या कर्मचारियों की सेवा नियमावली के सम्बन्ध में शासन द्वारा इस न्यास परिषद् को दिए गए निर्देशों का स्थायी रूप से पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो न्यास द्वारा अनुपालन न करने का औचित्य एवं आधार क्या है ? क्या न्यास कोष की सम्पत्ति से तीर्थ यात्री एवं पूजकों के निमित्त कोई योजना भी प्रस्तावित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में न्यास परिषद् की इस कोष की क्या उपयोगिता है ?

सांस्कृतिक कार्य एवं खेल-कूद मंत्री (श्री सरदार सिंह)--

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् द्वारा निम्नलिखित सुधार किये गये :--

वर्ष 1983 में मंदिर का स्वर्ण अरघा लगवाया गया तथा इसी वर्ष से मंदिर में विधिपूर्वक वैदिक पूजन की विशिष्ट व्यवस्था की गई । मंदिर में सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया, वाराणसी में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सिटी ब्रांच में "श्री काशी विश्वनाथ टेम्पिल फण्ड" खाता खोला गया । आय-व्यय का हिसाब रखने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन से नायब तहसीलदार एवं अमीन की सेवायें प्राप्त कर उनके द्वारा प्रत्येक समय के चढ़ावे का विधिवत् हिसाब-किताब रखा जाने लगा तथा उसे नियत समय पर बैंक में जमा कराया जाने लगा । मंदिर में प्राप्त मूर्तियों एवं चढ़ावे के द्वारा प्राप्त सोने, चांदी को संरक्षित करने हेतु एक वेल्युवेशन टीम बनायी गयी है और बैंक के लाकर्स में सोने-चांदी को रखने की व्यवस्था की गयी । मंदिर परिसर में यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी की स्थापना की गई ।

वर्ष 1984-85 में दैनिक पूजा अर्चना योजना प्रारम्भ की गई । वर्ष 1985-86 में सन्यासी भिक्षा मंदिर से लगा भूखण्ड क्रय किया गया तथा 1986-87 में मंदिर परिक्रमा क्षेत्र एवं सन्यासी भिक्षा कक्ष का निर्माण कराया गया तथा सुप्रभातम का दैनिक प्रसारण भी इसी वर्ष प्रारम्भ किया गया । वर्ष 1987-88 में गर्भ गृह तथा मंदिर परिसर में संगमरमर का नया फर्श लगवाया गया ।

वर्ष 1988-89 में श्रुति (वेद) मंदिर की योजना तैयार की गयी जिसमें वेदों का परम्परागत पठनपाठन तथा शास्त्रीय अनुशीलन की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वर्ष 1989-90 में यात्री निवास तथा कार्यालय भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1990-91 में एक कर्मकाण्ड विद्यालय की योजना एवं ज्ञानवापी क्षेत्र के विकास की योजना न्यास परिषद् द्वारा तैयार की गई ।

मंदिर में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है परन्तु मंदिर के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वाद के कारण इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट, रामपुर में कार्यरत सब्स्टीट्यूट एवं इन्हें सेवा में लिए जाने की मांग

48—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट, रामपुर में कुल कितने सब्स्टीट्यूट कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन्हें सेवा में लिए जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई रामपुर में गत वर्षों से सीजन में समय-समय पर कार्य पर आवश्यकतानुसार लगाये जा रहे सब्स्टीट्यूट की संख्या 263 है ।

जी नहीं ।

उ0 प्र0 की वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्रीज में लागू स्थायी आदेशों की धारा 6(6) के अनुसार स्थायी या मौसमी (सीजनल) कर्मकार के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने पर उसके स्थान पर सब्स्टीट्यूट लगाये जाने का प्राविधान है किन्तु उनको सीजनल अथवा स्थायी किये जाने के लिये कोई लीयन (अधिकार) नहीं बनता है, अतः उन्हें सेवा में लिये जाने का नियमतः कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील गाजीपुर के गांव भिखनापुर में बंजर भूमि एवं जोत योग्य भूमि को भूमिहीनों को दिये जाने की मांग

49—श्री खुरशीद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला व तहसील गाजीपुर के गांव भिखनापुर में बंजर भूमि और जोत योग्य भूमि का उपयोग बड़े-बड़े भूस्वामियों द्वारा किया गया है ? अब तक उक्त जमीन भूमिहीनों में न बांटे जाने का क्या कारण है ? अगर बांटी जायेगी, तो कब तक ? गांव सभा भिखनापुर में भूमिहीनों की संख्या कितनी है ? उक्त बंजर भूमि कब तक उन्हें दे दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं ।

जनपद व तहसील गाजीपुर के गांव भिखनापुर, परगना हवेली में कुल बंजर व जोत योग्य 1 बीघा 12 बिस्वा 17 धुर भूमि है, जिसमें से 7 बिस्वा 1 धुर पर वर्ग 4 दर्ज है तथा शेष 1 बीघा 5 बिस्वा 16 धुर पर अनाधिकार कब्जा होने के कारण भूमि भूमिहीनों को आवंटित नहीं की जा सकी है । वर्ग 4 खारिज होने व अनाधिकृत कब्जा बेदखल होने के पश्चात् उक्त भूमि भूमिहीनों में नियमानुसार आवंटित कर दी जायेगी । गांव सभा भिखनापुर में कुल भूमिहीनों की संख्या 10 है ।

जनपद व तहसील गाजीपुर, गांव सभा रायपुर में बंजर एवं जोत योग्य भूमि को भूमिहीनों में आवंटन किये जाने की मांग

50—श्री खुरशीद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील गाजीपुर गांव सभा रायपुर में बंजर एवं जोत योग्य भूमि का आवंटन अब तक भूमिहीनों को क्यों नहीं किया गया है ? उन्हें उक्त भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

गांव सभा रायपुर में कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा 2 धूर बंजर खाते में दर्ज है जिसमें आराजी नम्बर 9 रकबा 2 बीघा नदी का किनारा है जिसका 15 बिस्वा नदी की कटान में चला गया, शेष 1 बीघा 5 बिस्वा नदी के नाले के रूप में है, जो 180 मीटर लम्बा तथा आवंटन के अयोग्य है। आराजी नं0 90, 119, 133 रकबा 2 बिस्वा 3 धूर आबादी, 5 बिस्वा 17 धूर रास्ता तथा आराजी नम्बर–152 रकबा 2 बिस्वा 2 धूर भीटा तथा 2 बिस्वा धार्मिक स्थल है। अतएव ग्राम रायपुर में आवंटन योग्य कोई भूमि नहीं है।

इसी ग्राम सभा की ग्राम चकमालुद्दीनपुर में कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा 13 धूर जोत व बंजर की भूमि है जो चकबन्दी प्रक्रिया से बहुत पूर्व से ही बबूल के बाग के रूप में है। इसे ग्राम सभा ने ही लगवाया था और वर्तमान में उन्हीं का स्वामित्व है और जिसे वन विभाग की देख–रेख में छोड़ दिया गया है।

जनपद व तहसील गाजीपुर के गांव सभा सुभावारपुर में बंजर एवं जोत योग्य भूमि को भूमिहीनों में आवंटित किये जाने की मांग

51—श्री खुरशीद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील गाजीपुर के गांव सभा सुभावारपुर में बंजर एवं जोत योग्य भूमि का उपयोग वहां के बड़े–बड़े भूस्वामियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो भूमिहीनों में उक्त जमीन अब तक न बांटे जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त भूमि भूमिहीनों में बांटी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।

जनपद व तहसील गाजीपुर में गांव सभा सुभावारपुर नहीं है बल्कि इससे मिलता जुलता ग्राम सभा सुभाखरपुर है। ग्राम सभा सुभाखरपुर, तहसील गाजीपुर में 3 बीघा 14 बिस्वा 5 धूर भूमि बंजर खाते में दर्ज है जिसमें से 9 बिस्वा सार्वजनिक कुंआ 12 बिस्वा बांस खूंटी, 5 बिस्वा 1 धूर रास्ता, 1 बीघा 8 बिस्वा 1 धूर आबादी 2 बिस्वा 9 धूर सरकारी कूप, 6 बिस्वा कब्रिस्तान, 5 बिस्वा खलिहान है तथा शेष 6 बिस्वा 14 धूर के सम्बन्ध में मुकदमा अपर आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है उक्त न्यायालय से आवंटन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण आवंटन नहीं किया गया है। ग्राम सभा में अन्य कोई भूमि आवंटन योग्य नहीं है स्थगन आदेश निरस्त होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील गाजीपुर के गांव सुभाषारपुर के हरिजन बस्ती के लोगों को आने-जाने के लिए चक रोड बनाये जाने की मांग

52—श्री खुरशीद—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद व तहसील गाजीपुर के गांव सुभाषारपुर के हरिजन बस्ती के लोगों के आने-जाने के लिए मार्ग (चक रोड) नहीं है ? क्या उनके लिए चक रोड बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत ग्राम की हरिजन बस्ती से मुख्य सड़क पर जाने के लिये चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई सीधा चक मार्ग नहीं छोड़ा गया है । बस्ती के लोग ट्यूबवेल की नाली की पटरी से सड़क तक आते-जाते हैं ।

आबादी और मुख्य सड़क के बीच भूमिधरी आराजी पड़ जाने के कारण अलग से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि काश्तकार अपनी भूमिधरी आराजी गांव सभा की भूमि से विनिमय करने को तैयार नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के ग्राम तारा के ग्राम प्रधान के निलम्बन एवं गिरफ्तारी की संस्तुति तहसीलदार द्वारा किया जाना एवं उस पर कार्यवाही

53—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के तहसील केराकत के ग्राम तारा के ग्राम प्रधान के निलम्बन एवं गिरफ्तारी की संस्तुति तहसीलदार, केराकत ने की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ? निलम्बन एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही कब पूरी की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । तहसीलदार ने दिनांक 17 अगस्त, 1988 को ग्राम प्रधान तारा को निलम्बित करके धारा 198(ए) उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति की थी । उस पर धारा 198 ए के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी । विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में धारा 198(4) उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, शाहगंज के न्यायालय में अन्तरिम निषेधाज्ञा के बाद में स्थगन आदेश पारित हो चुका है और वाद विचाराधीन है इसलिये उक्त न्यायालयों से अन्तिम निर्णय होने के पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इसी आधार पर धारा 198 "ए" उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम की कार्यवाही दिनांक 23 जून, 1990 को समाप्त हो गयी ।

जनपद रामपुर की तहसील स्वार में परगना अधिकारी का कार्यालय पहुंचने के आदेश एवं आदेश की अवहेलना करने पर सरकार द्वारा कार्यवाही की मांग

54—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर की तहसील स्वार में परगना अधिकारी का कार्यालय क्या तहसील स्तर स्वार में पहुंच गया है ? यदि नहीं, तो इस घोर अनियमितता एवं सरकार के आदेश की अवहेलना करने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां, परगनाधिकारी, स्वार का कार्यालय/न्यायालय, स्वार तहसील के भवन से मिले हुए नगरपालिका स्वार के अतिथि कक्ष के दो कमरों के किराये के भवन में दिनांक 3 मई, 1983 से संचालित हो रहा है।

परगनाधिकारी के कार्यालय का निर्माण, तहसील स्वार के कार्यालय भवन के साथ-साथ किया जाना है, जिसके लिए भूमि अर्जित कर ली गयी है। तहसील के अनावासीय भवन निर्माण हेतु रु0 30 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

चूंकि इस प्रकरण में कोई अनियमितता एवं आदेशों की अवहेलना नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर, तहसील स्वार में ग्राम झाऊपुरा, टोडीपुरा, दारानगर ग्रामों में नदियों की बाढ़ से नुकसान एवं सरकार द्वारा दी गई राहत की जानकारी

55—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में इस वर्ष बाढ़ से तहसील स्वार में ग्राम झाऊपुरा, टोडीपुरा, दारा नगर ग्रामों में नदियों ने बुरी तरह कटान करके नुकसान पहुंचाया है? यदि हां, तो सरकार ने उस ग्रामीण जनता को क्या राहत दी है?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

जनपद रामपुर की तहसील स्वार में झाऊपुरा के बाढ़ पीड़ित 43 व्यक्तियों को 9,350 रु0 गृह अनुदान दिया गया, जिसमें 15 व्यक्तियों को 250 रु0 प्रति व्यक्ति तथा 28 व्यक्तियों को 200 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से गृह अनुदान दिया गया। इसके अलावा 15 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 200 रु0 की दर से अहेतुक सहायता दी गई।

ग्राम होडीपुरा में 70 व्यक्तियों को 200 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से, रुपया 14,000 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

प्रश्नगत ग्रामों में बाढ़ से फसल को जो क्षति हुई है। उसके लिए प्रभावित व्यक्तियों को भू-राजस्व की वसूली में तीन माह के स्थगन की राहत दी गई थी। इसके अतिरिक्त फसलों में 30 प्रतिशत के क्षति वाले कृषकों को भू-राजस्व में छूट दिये जाने हेतु खिलाफ खतौनी तैयार की जा रही है।

जनपद रामपुर में 15 अगस्त, 1990 को मुख्य स्थान गांधी समाधि पर ध्वजारोहण समय पर न होने के कारण जनता में रोष एवं ध्वज के अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

56—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रामपुर में 15 अगस्त, 1990 को मुख्य स्थान गांधी समाधि पर ध्वजारोहण समय पर न होने पर जनता ने रोष प्रकट करते हुए शेम-शेम के नारे लगाये एवं मंच पर आकर ध्वज के अपमान की बात कही? यदि हां, तो सरकार ने क्या राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद रामपुर में दिनांक 15 अगस्त, 1990 को गांधी समाधि पर ध्वजारोहण समय से सम्पन्न हुआ एवं किसी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा बिशुनपुर बजदहा (महमदपुर), तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद की बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटा कर भूमिहीनों में आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

57—श्री अकबर हुसैन आबर—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 जनवरी, 1989 व 5 अप्रैल, 1990 जो ग्राम सभा बिशुनपुर बजदहा (महमदपुर) तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद की बंजर भूमि नं0 68 व 71 से अवैध कब्जा हटाकर भूमिहीनों में आवंटित करने के बाबत था, उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार से कराई गयी जिसके फलस्वरूप भूमि संख्या 68 पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 122-बी की कार्यवाही की गई जिसका वाद अपर तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। भू-खण्ड सं0 71 आवंटन योग्य नहीं है और न ही उस पर किसी का अवैध कब्जा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पुरैनी, तहसील राठ, जनपद हमीरपुर में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

58—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत कब्जा कब किया गया ? बेदखली की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गयी ? वास्तविक बेदखली कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के प्रथम मंगलवार हेतु डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के अनुसार भूमि के पट्टों में अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की जांच पहले ही कराई जा चुकी है जिसमें पट्टेदार अपनी भूमि पर काबिज पाए गये और कब्जे का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। चूंकि प्रश्नगत भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया था, अतः अनधिकृत कब्जा तथा उसकी बेदखली का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद में रोडवेज बसों की संख्या एवं निर्धारित दूरी चलने के बाद बसों का चलाया जाना

59—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में रोडवेज की कितनी बसें हैं ? इनमें से कितनी बसें खराबी के कारण चलने योग्य नहीं हैं ? कितनी बसें निर्धारित दूरी चलने के बाद भी अभी मार्ग पर चलायी जा रही हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जनपद आजमगढ़ में परिवहन निगम के आजमगढ़ "अ" व "ब" डिपो में क्रमशः 60 तथा 73 कुल 133 बसें हैं। इसमें से 4 बसें स्थायी खराबी के कारण निष्प्रयोज्य घोषित की जा चुकी हैं।

निर्धारित किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरान्त वहां कोई बस मार्ग पर नहीं चलायी जा रही हैं।

जनपद सिद्धार्थ नगर, तहसील डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

60—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मार्च, 1990 में प्राप्त हुआ था जो तहसील डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में था और जिसकी प्राप्ति सूचना श्री एस0 आर0 एस0 यादव, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री ने अपने पत्रांक—सी0 एम0 विक0 को0/एम—2/7—106/को/90, दिनांक 12 अप्रैल, 1990 द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजी गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई थी ? क्या सरकार डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अभिमत मांगा गया है जो प्रतीक्षित है।

61—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग

62—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत होकर शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस वित्तीय वर्ष (1990-91) में वर्तमान में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना सम्भव नहीं है ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राज्य सहकारी चीनी मिल लि0 इकाई बाराबंकी में डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षितों को सेवा में लिया जाना

63—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राज्य सहकारी चीनी मिल लि0, इकाई बाराबंकी में विगत वर्ष 13 अप्रैल, 1985 से 14 अप्रैल, 1988 तक किन-किन प्रशिक्षार्थियों को डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया गया था ? उनमें से किन-किन को अब तक सेवा में लिया गया है ? कौन-कौन से व्यक्ति सेवा में लिए जाने हेतु प्रशिक्षित हैं ? उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री रामशरण दास—

श्री छत्रपाल ।

डीजल मैकेनिक का मिल में कोई पद नहीं है अतः इन्हें सेवा में नहीं लिया गया ।

कोई नहीं ।

अप्रेन्टिस ऐक्ट, 1961 के अनुसार डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया गया । इसके अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अप्रेन्टिस पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षार्थी को सेवा में ले लिया जाय ।

श्री फेकमल वर्मा, गन्ना ग्राम सेवक, मोहिउद्दीन, जनपद मेरठ की सेवाओं को समाप्त किया जाना एवं सेवा में लिए जाने की मांग

64—श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फेकमल वर्मा, गन्ना ग्राम सेवक, मोहिउद्दीनपुर, जनपद मेरठ में कार्यरत थे ? यदि हां, तो श्री वर्मा की किन-किन कारणों से सेवाएं समाप्त कर दी गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 25 फरवरी, 1990 व 20 अप्रैल, 1990 के पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और श्री वर्मा को सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

जी हां,

श्री फेकमल वर्मा, तत्कालीन गन्ना ग्राम सेवक ने जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ को पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1973 द्वारा त्याग-पत्र दिया जिसे जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ ने आदेश संख्या 7745-47, दिनांक 14 सितम्बर, 1978 द्वारा स्वीकार कर लिया ।

जी हां,

त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के बाद पुनः सेवा में लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

परसादी पुत्र छोटकुन, अनुसूचित जाति (चमार), निवासी ग्राम बरौली आशानन्दपुर, परगना अकबरपुर, तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद, को दी गई भूमि तथा सरकारी अभिलेखों में उनका नाम वर्ज किया जाना

65—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परसादी पुत्र छोटकुन, अनुसूचित जाति (चमार), निवासी ग्राम बरौली आशानन्दपुर, परगना अकबरपुर, तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद को भूमि नं0-216 रकबा 5 बिस्वा, 218 रकबा 2 बिस्वा व 222 रकबा 18 बिस्वा स्थित ग्राम आशानन्दपुर को ग्राम प्रधान द्वारा सन् 1965 में पट्टा दिया गया था और उक्त भूमि पर आज भी उनका कब्जा बरकरार है ? यदि हां, तो क्या सरकारी अभिलेखों में इनका नाम वर्ज हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक वर्ज हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद भूदान यज्ञ समिति के संयोजक व जलालपुर फैजाबाद में नायब तहसीलदार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

66—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1990 जो भूदान यज्ञ समिति के संयोजक जनपद फैजाबाद व नायब तहसीलदार जलालपुर फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत के बाबत था, उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

शिकायती-पत्र से सम्बन्धित सभी मुकदमों की पत्रावलियां सील कर दी गई हैं । पूरे प्रकरण की जांच परगनाधिकारी जलालपुर द्वारा कराई जा रही है ।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन (यू0 पी0 डेस्को) में महाप्रबन्धक (परियोजना) सामान्य प्रबन्धक (वित्त) तथा सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) के लिए सृजित पद एवं कार्यरत लोगों की शैक्षिक योग्यता

67—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन (यू0 पी0 डेस्को) में महाप्रबन्धक (परियोजना) सामान्य प्रबन्धक, (वित्त)

तथा सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) के लिए अलग-अलग पद सृजित हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर वर्तमान में कौन-कौन क्लर्क कार्य कर रहे हैं ? क्या इन पदों पर कार्य करने के लिये शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन (यू0 पी0 डेस्को) में केवल महाप्रबन्धक (परियोजना) का पद सृजित है, सामान्य प्रबन्धक (वित्त) तथा सामान्य प्रबन्धक (प्रशासन) के पद सृजित नहीं हैं ।]

महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद पर श्री आर0 एल0 रैना कार्यरत हैं । कोई क्लर्क कार्यरत नहीं है ।

जी हां, महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद की शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ।

महाप्रबंधक (परियोजना) के पद की शैक्षिक योग्यता :—

अभियन्त्रण/तकनीकी में स्नातक उपाधि अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा व्यवसायिक प्रबन्धन/व्यवसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि/इसके अतिरिक्त विपणन/वित्तीय प्रबन्धन का अध्ययन/विशेष योग्यता ।

68—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

बाढ़ तथा अतिवृष्टि से आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में क्षतिग्रस्त हुए घर फसल की हानि एवं राहत कार्य

69—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कितने घर पूर्ण रूप से तथा कितने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं ? वहां फसल की कुल कितनी हानि हुई और कुल कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं ? राहत के रूप में उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

वर्ष 1990 की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में 457 घर पूर्ण रूप से तथा 3135 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । 364 ग्रामों में 75 प्रतिशत से अधिक खरीफ फसलों की क्षति हुई है । बाढ़ तथा अतिवृष्टि से लगभग 1,08,950 व्यक्ति प्रभावित हुए ।

राहत के रूप में निम्न सहायता दी गई ।

क्र0सं0		व्यक्तियों की संख्या	धनराशि (रु0 में)
1	अहैतुक सहायता	23995	24,24,650·00 रु0
2	गृह अनुदान	423 पूर्ण रूप से ध्वस्त मकान के मालिकों को	4,23,000·00 रु0
		1839 आंशिक रूप से ध्वस्त मकान मालिकों को	4,58,850·00 रु0
3	अनुग्रह अनुदान	11 मनुष्यों के परिवारों तथा एक पशु मालिक को	91,750·00 रु0
4	भोजन पैकेट	वितरित	145
5	धोती/साड़ी	वितरित	2,071·75 रु0

जनपद शाहजहांपुर में सीतापुर रोड पर फरीदपुर चुंगी के पास प्रस्तावित आवास विकास कालोनी

70—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सीतापुर रोड पर फरीदपुर चुंगी के पास जो आवास विकास कालोनी प्रस्तावित थी उसको स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

इस योजना को परिषद् द्वारा परित्याग कर निरस्त किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बन्दी छिद्दा पुत्र बक्शी कैदी को जेल से मुक्त किया जाना एवं रिहाई में अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

71—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दी छिद्दा पुत्र बक्शी कैदी नं0 26131 केन्द्रीय कारागार, बरेली की आयु 76 वर्ष प्रमाणित होने और 10 साल सजा काटने के बावजूद शासन की योजना के अनुसार उसे जेल से मुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और छिद्दा की रिहाई में अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी कौन अधिकारी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

बन्दी छिद्दा पुत्र बक्शी कैदी नं0 26131 केन्द्रीय कारागार, बरेली को शासनादेश संख्या 3875पी/22-4-4849/90, दिनांक 19 सितम्बर, 1990 द्वारा मुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम मझावन, ब्लाक बिधनू, जनपद कानपुर नगर में चकरोडों पर व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा एवं उक्त चकरोडों को खुलवाने की मांग

72—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मझावन, ब्लाक-बिधनू, जनपद कानपुर नगर में कितने चकरोडों पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे कर लिए गये हैं और उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध क्या शासन द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त चकरोडों को कब तक खुलवा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । प्रश्नगत ग्राम में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चकरोडों पर अनधिकृत कब्जा है :—

भूमि संख्या	अनाधिकृत कब्जेदारों का नाम
438	श्री सरजू प्रसाद पुत्र गौरी शंकर
118	सर्वश्री सोख अहमद, अनीस अहमद व लल्लो अहमद पुत्रगण नवाब
1512	श्री मुरलीधर पुत्र ठाकुर प्रसाद
1552	सर्वश्री राम प्रसाद व राम औतार पुत्रगण लक्ष्मिन
1553	यकोला पुत्री वस्तू
106	सर्वश्री मजहरूल हसन, फैजुल हसन तुफैल अहमद पुत्रगण वहीदुल हसन

अनाधिकृत कब्जे के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(बी) अन्तर्गत मामले न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कुमारी नाजिश फातमा, प्रशिक्षिका, होमगार्ड्स, मुरादाबाद को जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स श्री ओ0 पी0 राघव द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

73—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या कारागार एवं होमगार्ड्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जो उनके कार्यालय के डिस्पैच नम्बर 1054, दिनांक 23 जून, 1990 पर अंकित है, कुमारी नाजिश फातमा, प्रशिक्षिका, होमगार्ड्स मुरादाबाद को जिला कमाण्डेन्ट

होमगार्ड्स श्री ओ0 पी0 राघव द्वारा प्रताड़ित कर हवस का शिकार बनाने विषय में प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी ने उस पर महानिदेशक, होमगार्ड्स को एक सप्ताह के अंदर जांच कराने तथा आख्या भेजने को लिखा था ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शिकायत करने के उपरान्त श्री राघव कुमारी नाजिश से बेइन्तहा चिढ़े हुए हैं तथा उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या श्री राघव के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

जी हां ।

जी हां । इस मामले में तत्कालीन होमगार्ड्स एवं कारागार मंत्री जी ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए डी0 जी0 होमगार्ड्स को निर्देश दिये थे ।

मामले की जांच मण्डलीय कमाण्डेंट, होमगार्ड्स, मुरादाबाद से कराई गई । जांचोपरान्त श्री राघव के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर व मियांव विकास क्षेत्रों में सीलिंग एवं ग्राम समाज की भूमि का हरिजनों व भूमिहीनों में आवंटन एवं कब्जा

74—श्री राम लखन वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर व मियांव विकास क्षेत्रों में सीलिंग से निकली एवं ग्राम समाज की कितनी भूमि कितने हरिजनों व भूमिहीनों को 30 मई, 1990 तक आवंटित की गई है और कितने लोगों को कितनी आवंटित भूमि पर कब्जा मिल चुका है ? कितने आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है और क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

फैजाबाद जनपद के जलालपुर एवं मियांव ब्लाक में सीलिंग से निकली 67·50 हेक्टेयर भूमि 390 हरिजन व भूमिहीन परिवारों में तथा गांव सभा की 1190·72 हेक्टेयर भूमि 6621 हरिजन व भूमिहीन परिवारों में 30 मई, 1990 तक आवंटित की गयी है ।

उक्त सभी आवंटियों को उन्हें आवंटित भूमि पर कब्जा मिल चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबू लाल तथा श्री शिवचरन आदि निवासी ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर फैजाबाद का ग्राम प्रधान द्वारा किये गये अवैध कब्जे एवं अवैध पट्टे विषयक पत्र एवं कार्यवाही

75—श्री राम लखन वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबू लाल तथा श्री शिवचरन अनुसूचित जाति आदि निवासी ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद का ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा अपने पुत्रों एवं अपात्र व्यक्तियों

को किये गये अवैध पट्टे एवं अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र बख्श सिंह स0 वि0 स0 की संस्तुति के साथ दिनांक 20 मार्च, 1990 को रजिस्ट्री जिलाधिकारी, फैजाबाद को गोपीनाथ वर्मा, स0 वि0 व0 का पत्र सं0 970/ज0 द0/27-3-90, राजस्व मन्त्री उ0 प्र0 को एवं श्री मूलचन्द्र स0 वि0 स0 का पत्र सं0 1073/ज0 द0/30-3-90, राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में की गई जांच आख्या क्या है और उक्त जांच आख्या के आधार पर अवैध कब्जे को हटाने हेतु उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

श्री बाबू लाल तथा श्री शिवचरन आदि, निवासी ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र, जो ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा अपने पुत्रों एवं अपात्र व्यक्तियों को दिये गये अवैध पट्टे तथा प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है । इसके साथ श्री गोपीनाथ वर्मा, सदस्य विधान सभा का पत्र एवं श्री मूलचन्द्र, सदस्य, विधान सभा के पत्र भी हैं, जो श्री बाबूलाल आदि के प्रार्थना-पत्र पर जांच हेतु संस्तुत किये गये हैं । श्री राम चन्द्र बख्श, सदस्य, विधान सभा की संस्तुति के साथ बाबू लाल का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जांच में प्रश्नगत आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बस्ती, तहसील बस्ती, परगना नगर (पूर्व), ग्राम कोहलपुरा में पांच बीघा से कम भूमि वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति एवं उन्हें आवंटित की गई भूमि का क्षेत्रफल

77—श्री दयाराम भास्कर—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती, तहसील बस्ती, परगना नगर (पूर्व), ग्राम कोपलपुरा में पांच बीघा से कम भूमि वाले कुल कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ? उक्त ग्राम में वर्ष 1985 में कुल कितनी ग्राम सभा सम्पत्ति ऊसर, बंजर की बचत भूमि थी, जिसके आवंटन ग्राम सभा प्रधान ने किया है ? प्रधान द्वारा किसको-किसको कितनी-कितनी भूमि अब तक आवंटित की गई ? आवंटियों के नाम पते क्या हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद व तहसील बस्ती के परगना नगर (पूर्व) में कोमलपुरा कोई ग्राम नहीं है बल्कि ग्राम कोइलपुरा है, जिसमें 5 बीघा से कम भूमि वाले कुल 55 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं ।

वर्ष 1985 में प्रश्नगत ग्राम में कुल 6 बीघा 5 बिस्वा 11 धूर भूमि थी जिसमें 1 बीघा 1 बिस्वा 13 धुर आबादी, 1 बीघा 3 बिस्वा 13 धुर खलिहान, 1 बीघा 4 बिस्वा 8 धुर बाग, 16 बिस्वा 10 धुर भट्ठे की शक्ल में खाली भूमि, 19 बिस्वा गड़ही, 8 बिस्वा 15 धूर रास्ता तथा 11 बिस्वा 12 धूर भूमि ऊबड़-खाबड़ है जो आवंटन योग्य नहीं है । फलस्वरूप ग्राम प्रधान द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रणजीत सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम सभा जंठावारा, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा विषयक श्री कल्याण सिंह, विधायक के पत्र के साथ संलग्न पत्र पर कार्यवाही

78--श्री बाबूलाल सरोज--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रणजीत सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम सभा जंठावारा, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ का दिनांक 30 जुलाई, 1990 को श्री कल्याण सिंह, विधायक के पत्र के साथ जो ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में क्या शिकायत की गयी थी ? क्या उस प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्राप्त हुआ है।

प्रार्थना-पत्र में जेठवारा ग्राम सभा की भूमि नं0 2741, 2742, 2745, 2746, 2747, 2903 तथा 2533 पर श्री चन्द्रपाल पाण्डेय पुत्र श्री राम पदारथ पाण्डेय द्वारा अनधिकृत कब्जा करने तथा उसे प्रधान की सह से बेचने की शिकायत की गई है।

जी हां, जांच कराई गई। जांच में प्रार्थना-पत्र में जेठवारा ग्राम सभा की उल्लिखित भूमि पर श्री चन्द्रपाल पाण्डेय का अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया। भूमि नं0 2903 पर श्री चन्द्रपाल पाण्डेय का कब्जा पाया गया परन्तु यह नम्बर ग्राम सभा के नाम नहीं है। चकबन्दी अधिकारी के आदेश से न्यासिक कार्य के द्वारा श्री चन्द्रपाल, श्री मोहन लाल, श्री राम किशोर पुत्रगण श्री राम पदारथ के नाम से दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायत सही न पाये जाने के कारण किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मायानगर आवास समिति मझोला, मुरादाबाद में घोटालों की जांच एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने की मांग

79—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माया नगर आवास समिति मझोला, मुरादाबाद में घोटालों की जांच अपर जिला अधिकारी (नगर) द्वारा विगत 6 माह से की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तुरन्त जांच आख्या मंगवाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। अपितु निबन्धक शहरी सहकारी आवास समिति ने सहकारी आवास अधिकारी (आवास), मुरादाबाद द्वारा जांच कराई थी। जांच आख्या निबन्धक, शहरी सहकारी आवास समिति उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को प्राप्त हो गई है। जांच आख्या के प्रकाश में अग्रेतर यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देश निबन्धक सहकारी आवास समितियों को दे दिए गए हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अपर जिलाधिकारी, मुरादाबाद को जिला कारागार, मुरादाबाद के डाक्टर श्री एस0 के0 त्यागी के अनियमित कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं जांच

80—श्री मोहम्मद रिजावनुल हक—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी (नगर), मुरादाबाद के प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-1990 जिला कारागार मुरादाबाद के डाक्टर श्री एस0 के0 त्यागी के अनियमित कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

(अ) श्री रिजवानुल हक, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 7-8-1990 नहीं बल्कि दिनांक 6-8-1990 जिला कारागार, मुरादाबाद के डाक्टर एस0 के0 त्यागी के अनियमित कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर), मुरादाबाद को प्राप्त हुआ था।

(ब) अपर जिलाधिकारी द्वारा इस शिकायती-पत्र की जांच अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद से करायी गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चकबन्दी विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित आदेश व उनका क्रियान्वयन

81—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित कुल कितने आदेश "चकबन्दी आयुक्त" के लिए वर्तमान सत्र 1990 में पारित किये गये ? कितने कार्यान्वित हुये, कितने लंबित हैं तथा लंबित आदेशों को कब तक कार्यान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

वर्ष 1990 में तृतीय श्रेणी के 217 तथा चतुर्थ श्रेणी के 20 कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में शासन द्वारा आदेश जारी किये गये।

तृतीय श्रेणी के 22 कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के 3 कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर शेष सभी आदेशों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

जनहित में अब इस सत्र में सामान्यतः और स्थानान्तरण न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

82—श्री राजकिशोर सिंह—

[दिनांक 22-2-91 को अला0 प्र0 सं0 159 द्वारा उत्तरित]

राजकीय सेवा में नियमित सेवा की गणना विषयक शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

83--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेवा में नियमित सेवा की गणना, लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन से अथवा नियमितीकरण नियमावली के तहत नियमित किये जाने वाले आदेश, के जारी होने के दिनांक से या तदर्थ प्रथम नियुक्ति के दिनांक से की जाती है ? क्या इस बारे में संगत शासनादेश की प्रति मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

संगत सेवा नियमों अथवा आदेशों अथवा विनियमितीकरण नियमावली, जैसी भी स्थिति हो, में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर नियमित चयन/विनियमितीकरण हेतु चयन के परिणामस्वरूप जारी नियुक्ति आदेशों के सन्दर्भ में कार्यभार ग्रहण करने (अथवा नियुक्ति आदेशों में विशेष रूप से इंगित तिथि, यदि कोई हो) से पद विशेष पर नियमित सेवा प्रारम्भ होती है ।

चूंकि "नियमित सेवा" से उपर्युक्त आशय स्वतः स्पष्ट है अतः, आवश्यकता न होने के कारण, इस विषय में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है ।

वाराणसी के परिवहन विभाग के रीजनल मैनेजर द्वारा साधारण बस को ही वाराणसी एवं जौनपुर के मध्य नान स्टाप के रूप में चलाकर अतिरिक्त धन उगाही करने सम्बन्धी जांच

84--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग, वाराणसी के रीजनल मैनेजर द्वितीय/उप प्रधान प्रबन्धक ने रोडवेज की साधारण बस नम्बर को नान-स्टाप बनाकर वाराणसी जौनपुर का किराया 10 रु0 कर दिया है जबकि इन बसों को पिंडरा बाजार, जिला वाराणसी में भी रुकने का आदेश है ? क्या यह सही है कि पिंडरा आने-जाने वाले यात्रियों से भी 10 रु0 का टिकट जौनपुर तक का लिया जाता है ? क्या सरकार जौनपुर डिपो की बस नं0 5 एस0 जेड0-9832, 5 एम0 जेड0-9900, 5 एस0 जेड0-9426 के अप्रैल-मई, 1990 में चलने की जांच करायेगी ? क्या सरकार यह भी जांच करायेगी कि यह भाड़ा 31 जुलाई, 1990 तक वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री इन्द्रभद्र प्रकाश--

स्थानीय जनता की वृहद मांग पर जौनपुर वाराणसी के मध्य साधारण बस को अतिरिक्त साज-सज्जा युक्त (पर्दे व कारपेट से सुसज्जित करके) नान स्टाप सेवा के रूप में परीक्षण के तौर पर दिनांक 6 अप्रैल, 1990 से संचालित किया गया था । इस बस का किराया वाराणसी से जौनपुर का प्रति यात्री 9 रुपया तथा अतिरिक्त-साज-सज्जा से जुड़े विविध व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक रुपया प्रति यात्री अतिरिक्त किए जाने की व्यवस्था थी । अब अतिरिक्त सुविधा व चार्ज बन्द करने के निर्देश दे दिये गए हैं ।

जी नहीं । दिनांक 6 अप्रैल, 1990 से उक्त सेवा के वाराणसी जौनपुर के मध्य नान-स्टाप सेवा होने के कारण पिंडरा इसका स्टापेज नहीं था । अतः पिंडरा में इसके रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां, जांच करा ली जायेगी ।

बाराबंकी जनपद की तहसील हैदरगढ़ पलिया, शरीफाबाद, ककरी, दहिला पेचासुवा अन्सारी, आदि ग्रामों में ग्राम सभावार हरिजनों तथा अन्य लोगों में भूमि वितरण का विवरण

85—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ पलिया, शरीफाबाद, ककरी, दहिला, पेचसुवा, अन्सारी, बतौलचन्वा, सराय रावत, गोढ़ ग्रामों में 1988 से 1990 के अन्तर्गत हरिजनों तथा अन्य लोगों को भूमि वितरण प्रत्येक ग्राम समावार क्या है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धक कार्यालय उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, जनपद रायबरेली में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का वितरण एवं स्थानान्तरण का विचार

86—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धक कार्यालय, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, जनपद रायबरेली में कितने कर्मचारी/अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार 5 वर्षों से अधिक समय से उक्त कार्यालय में ही तैनात हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की उक्त कार्यालय में तैनाती अवधि का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने तथा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतद्रु प्रकाश—

क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धक कार्यालय, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, जनपद रायबरेली में निम्नलिखित 8 कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं :

कर्मचारी का नाम व पदनाम	तैनाती तिथि
1—श्री बलजीत सिंह, कार्यालय सहायक, प्रथम	11-6-62
2—श्री सुल्तान सिंह भदौरिया, कार्यालय सहायक, प्रथम	30-9-61
3—श्री जलील अहमद, कार्यालय सहायक, प्रथम	20-5-64
4—श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, कार्यालय सहायक, द्वितीय	6-12-79
5—श्री शिवराज, चपरासी	1-5-63
6—श्री छंगा, चपरासी	1-2-55
7—श्री जगदेव, चपरासी	1-3-59
8—श्री राम विलास, चौकीदार	12-11-61

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कर्मचारियों के स्थानान्तरण की निर्धारित नीति के अनुसार बस स्टेशन, कार्यशालाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कायरत विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों को उनके वर्तमान पद पर एक डिपो में 10 वर्ष की कार्यावधि के बाद उसी जनपद के दूसरे डिपो में स्थानान्तरित किया जाता है। यदि उस जनपद में एक ही डिपो हो तो संबंधित कर्मचारी का पटल परिवर्तन कर दिया जाता है। चूंकि रायबरेली जनपद में एक ही डिपो है इसलिए कार्यालय सहायकों का पटल परिवर्तन किया गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 साथा, जिला अलीगढ़ में हड़ताल तथा महा प्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के विरुद्ध तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश एवं मिल को सामान्य करने की कार्यवाही

87—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा, जिला अलीगढ़ के महाप्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी, को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी ने 23 मार्च, 1990 को मिल के प्रबन्ध का चार्ज मुख्य अभियन्ता को दे दिया तथा उनके विरुद्ध जांच के आदेश दिये हैं ? क्या श्री त्रिपाठी द्वारा मिल के प्रबन्ध में हस्तक्षेप के कारण मिल के सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनरत हो गये तथा 9 जुलाई, 1990 से पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी ? यदि हां, तो सरकार मिल को सामान्य करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं। श्री आर0 एल0 त्रिपाठी तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक साथा से 9 जुलाई, 1990 से अवकाश पर चले जाने के फलस्वरूप तत्कालीन जिलाधिकारी तथा मिल समिति के प्रशासक के आदेशानुसार मिल का कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा देखा जाने लगा था। श्री त्रिपाठी साथा चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक के पद पर 17 सितम्बर, 1990 तक रहे। यह सही है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा श्री त्रिपाठी के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये तथा मिल कर्मचारियों द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1990 से पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गयी थी परन्तु हड़ताल 10 सितम्बर से की गयी जो 14 सितम्बर, 1990 तक चली।

श्री त्रिपाठी 17 सितम्बर, 1990 को मिल से स्थानान्तरित होकर कार्यमुक्त हो गये और उनके स्थान पर नये प्रधान प्रबन्धक ने कार्यभार ग्रहण कर लिया तब से कर्मचारियों तथा प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध सामान्य हैं।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टीनगंज में गन्ना सेवक की नियुक्ति तथा महुजा नेवादा मिनी चीनी मिल को चालू करने के सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

88—श्री बयाराम भास्कर—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड मार्टीनगंज में गन्ना सेवक की नियुक्ति तथा महुजा नेवादा मिनी चीनी मिल को चालू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1990 को उनको व माननीय मुख्य मंत्री, सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश, प्रबन्ध निदेशक, गन्ना, बीज एवं विकास निगम लखनऊ, गन्ना आयुक्त, लखनऊ, जनरल मैनेजर किसान सहकारी मिल, सठियांव, आजमगढ़ को पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामशरण दास—

जी हां ।

उक्त क्षेत्र में गन्ना पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है । विकास खण्ड घाटिनगंज का गन्ना सहकारी चीनी मिल, औराई (वाराणसी) को क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

89—श्री हाजी मोहम्मद वसीम—

[दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रायबरेली की तहसील सदर के सेवा निवृत्त संग्रह अमीन श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

90—श्री शारदा प्रताप शुक्ला—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या—69 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त संग्रह अमीन (श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी) को अवशेष देयों के सम्बन्ध में मदवार कितना-कितना भुगतान किया गया है तथा मदवार कितना भुगतान करना शेष है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि श्री द्विवेदी को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

श्री द्विवेदी को मदवार भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु0	
1—पेंशन प्रति माह	408·00	शेष
	क्षया राहत	..
2—ग्रेच्युटी	21,838·00	..
3—राशिकरण	25,604·10	..
4—बीमा	2,300·00	..

5—जी0 पी0 एफ0—इस मद में कुल जमा धनराशि का नियमानुसार 90 प्रतिशत रु0 13,939·00 का भुगतान जिलास्तर से उन्हें किया जा चुका है । शेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु आवश्यक प्रपत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 20 अगस्त, 1990 को भेजा गया । जहां से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री मथुरा प्रसाद ने वर्ष 7/83 में 4000/—जी0 पी0 एफ0 से आहरित किया था जिसका उल्लेख महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में न होने के कारण उनके पत्र दिनांक 11 फरवरी, 1991 द्वारा अभिदाता से 11/90 तक मय ब्याज के 716 वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया है । ऐसी स्थिति में श्री मथुरा प्रसाद को शेष 10 प्रतिशत जी0 पी0 एफ0 का भुगतान, अधिक भुगतान की वापसी होने तक करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जी हां । श्री द्विवेदी को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा प्रतिमाह किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में जनता दल सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों पर मदवार व्यय का विवरण

91—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जनता दल सरकार के गठन के बाद मन्त्रि मंडल के किन-किन सदस्यों पर कितना धन टेलीफोन, अतिथि व्यय, यात्रा भत्ता तथा पेट्रोल के मद में 30 अप्रैल, 1990 तक व्यय हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक मन्त्रिमंडल के सदस्यों पर टेलीफोन, अतिथि व्यय, यात्रा भत्ता तथा पेट्रोल के मदों में हुये व्यय के विवरण *संलग्न हैं ।

*(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 147 पर ।)

92—डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजस्व विभाग की दृष्टि से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम की जानकारी

93—श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग की दृष्टि से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से जिले आते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

राजस्व विभाग के स्तर पर प्रदेश के मंडलों व जिलों के किसी समूह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में वर्गीकरण/नामांकन नहीं किया गया है ।

राजस्व सचिव शाखा में कुछ सहायकों के नीति के अनुरूप स्थानान्तरण के बाद कार्यमुक्त न किये जाने की शिकायतें

94—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व सचिव शाखा में कुछ सहायकों को स्थानान्तरण नीति के अनुरूप स्थानान्तरण के पश्चात् कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, कार्यहित में कुछ सहायकों को अवमुक्त नहीं किया गया है । अवमुक्ति के विषय में किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

गांव कठिरांव (लठिया) के उत्तर परगना, पन्द्रह तहसील, जिला वाराणसी में भागीरथी यादव के ईंट भट्टे से सेल्स टैक्स की वसूली एवं बिक्रीकर विभाग में कागजात जमा किये जाने की जानकारी

95—श्री ऊदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठिरांव (लठिया) के उत्तर परगना, पन्द्रह तहसील, जिला वाराणसी में भागीरथी यादव का ईंट का भट्टा करीब

10 वर्ष से चल रहा है तथा उनका एक भट्ठा महाराव पसियाही तहसील के रावत, जिला जौनपुर में चल रहा है ? क्या प्रति वर्ष इन भट्ठों से सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके कागजात बिक्रीकर विभाग में जमा होते रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विभाग के अभिलेखों में श्री भागीरथी यादव का भट्ठा राम श्याम ईंट उद्योग, कठिराव के नाम से दिनांक 10 अप्रैल, 1984 से पंजीकृत है जो अभी भी इसी नाम से चल रहा है।

बिक्रीकर अधिकारी की जांच दिनांक 17 मार्च, 1990 के अनुसार श्री भागीरथी यादव का एक ईंट भट्ठा ग्राम पसियाही, जिला जौनपुर में भी चल रहा है। ग्राम पसियाही के भट्ठे को व्यापारी ने न तो पंजीकृत कराया है न ही रूप-पत्र की सूचना अथवा कर जमा किया है। जांच से पूर्व भट्ठे का चलना नहीं पाया गया है। जांच के बाद की अवधि के लिये कर-निर्धारण किया जाना है। राम श्याम ईंट उद्योग का अधिकांश कर जमा है।

गांव सभा कुवार, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में
प्रधान गांव सभा द्वारा जनरल आबादी की भूमि पर
अनधिकृत कब्जा किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही
की मांग

96—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 134 व 136 गांव सभा कुवार, परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में जो जनरल आबादी छोड़ी गयी थी उस पर प्रधान गांव सभा ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है और पक्का मकान बना लिया है ? क्या सरकार इसकी जांच परगनाधीश उत्तरी, वाराणसी से कराकर प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

ग्राम कुवार, परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में भूमि नं0 134/0-014, 136/0-014 राजस्व अभिलेखों में नवीन परती दर्ज है और यह भूमि सामान्य आबादी हेतु आरक्षित नहीं है। उक्त भूमि पर ग्राम प्रधान का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है और न ही ग्राम प्रधान का उक्त भूमि पर कोई पक्का मकान बना है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम के कार सेवा वाहन, लखनऊ में कथित कार्यरत कार्यवाहक
प्रबन्धक की नियुक्ति की अवधि एवं प्रोन्नति की जानकारी

97—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के कार सेवा वाहन, लखनऊ में कार्यवाहक प्रबन्धक से पद पर पिछले कितने दिनों से कार्यरत हैं ? इन्हें अब तक कितनी प्रोन्नतियां दी गयी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

परिवहन निगम में किसी यूनिट का नाम "कार सेवा वाहन, लखनऊ" नहीं है। परिवहन निगम की कार सेवा नामक इकाई लखनऊ में स्थित है, जहाँ श्री जे0 पी0 सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) दिनांक 5 जुलाई, 1987 से प्रभारी प्रबन्धक के रूप में तैनात हैं। यह लेखा संवर्ग के अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 1979 में की गई थी। परीक्षण करने पर इनकी प्रोन्नतियों का ब्योरा यह पाया गया कि दिनांक 17 मई, 1984 को उन्हें क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर तथा दिनांक 21 मई, 1987 को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) के पद पर प्रोन्नत किया गया।

जिला जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के अन्तर्गत ग्राम काजी हद में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

98- डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के अन्तर्गत ग्राम काजीहद में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को आवंटित जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

समस्त आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

99--डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम कटरा भुवालपुर, तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ में आबादी भूमि पर बसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी कागजात में अंकित किया जाना

100--श्री बाबू लाल सरोज--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कटरा भुवालपुर, तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व पिछड़े वर्ग के लोग जिस भूमि पर आबाद हैं वह भूमि उन लोगों की आबादी दर्ज है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उक्त समस्त भूमि उन लोगों की आबादी के रूप में सरकारी कागजात में अंकित किये जाने के लिए आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ग्राम सभा कटरा भुवालपुर की बंजर भूमि पर अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों तथा पिछड़ी जाति के छह व्यक्तियों के मकान 30 जून, 1985 के पूर्व बने होने के कारण उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123(1) के अन्तर्गत आबादी श्रेणी 6(11) दिनांक 12 नवम्बर, 1990 को दर्ज की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त काश्तकार की भूमिधरी श्रेणी-1 की जमीन पर अनुसूचित जाति के 24 तथा पिछड़ी जाति के 3 व्यक्तियों के मकान बने हुये हैं। इस सम्बन्ध म उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123(1) के अन्तर्गत रिपोर्ट परगनाधिकारी, सदर के न्यायालय में दिनांक 12 नवम्बर, 1990 को भेज दी गयी है, जिसमें लिखित खातेदारों को सुनवाई के अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित किये जा सकेंगे।

जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना सेवा मण्डल के नियुक्ति आदेश के कार्य किये जाने की शिकायत

101—श्री अमरनाथ यादव तथा श्री मयंकर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर में कुछ कर्मचारी/अधिकारी बिना सेवा मण्डल की नियुक्ति आदेश के ही कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और कैसे? प्रश्नगत कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्य करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया? क्या बिना सेवा मण्डल की नियुक्ति आदेश के प्रश्नगत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो कैसे तथा इस वेतन भुगतान का दायित्व किसका है? क्या प्रश्नगत अवैध नियुक्तियों की जानकारी सेवा मण्डल को है? यदि हां, तो क्या सेवा मण्डल ने इनको कार्यमुक्त करने का आदेश दिया? यदि हां, तो कब तथा उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रश्नगत कर्मचारी/अधिकारियों को कार्यमुक्त करेगी और इनकी नियुक्ति के लिए उत्तर-दायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामशरण दास—

जी हां।

चूंकि सेवा मण्डल नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है।

प्रबन्ध समिति के निर्णय के अधीन सचिव/महाप्रबन्धक।

जी हां।

कार्यरत रहने से कारण दायित्व प्रबन्ध समिति के निर्णय का है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा मंडल के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

शासनादेश संख्या 3170/12-सी-2-600(59)-85, दिनांक 26 जुलाई, 1990 के परिपालन में 1 अक्तूबर, 1986 के पूर्व के 6 कर्मचारियों की 1 मई, 1983 के पूर्व के एक कर्मचारी के विनियमितीकरण प्रक्रिया सेवा मंडल द्वारा चल रही है। शेष 11 कर्मचारी सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन कार्यरत हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामलखन एवं श्री किशोरी तथा श्री भिखारी आदि अनुसूचित जाति, निवासी ग्राम रजापुर सरैया, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती के अवैध कब्जा विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

102—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राम लखन एवं श्री किशोरी तथा श्री भिखारी आदि अनुसूचित जाति, निवासी ग्राम रजापुर सरैया, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 अगस्त, 1990 को आवंटित आवासीय भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सभापति, आश्वासन समिति, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 783/आ0 स/90/20-8-90 के उपरिपत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या उक्त व्यक्तियों को उक्त भूमि पर कब्जा दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

स्थायी बिन्दुओं से आवंटित भूमि को सीमांकित करके कब्जा दिलाने का दो बार प्रयास किया गया परन्तु बीच में गहरा पानी व फसल होने के कारण सीमांकन नहीं हो पाया । दोनों पक्षों ने पानी सूखने व फसल कटने के बाद सीमांकन करके कब्जा देने का अनुरोध किया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 संख्या 114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश की नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों हेतु निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा स्टाफिंग पैटर्न बनाया जाना तथा अनुमन्य वेतन तथा भत्ते की पुनरीक्षण कार्यवाही

104—श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा स्टाफिंग पैटर्न सी0 74/स्टा0 पै0/नग0 बक/एस0 ए0 2/अधि0, दिनांक 16 नवम्बर, 1984/30 जनवरी, 1985 बनाया गया है ? क्या उसमें उल्लिखित अनुमन्य वेतनमान तथा भत्ते को दिनांक 1 जनवरी, 1986 के आधार पर पुनरीक्षित करने की कार्यवाही निबन्धक द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही किस प्रक्रम पर है तथा वेतनमान कब तक पुनरीक्षित करा दिये जायेंगे ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की नगरीय सहकारी बैंकों के सचिवों का कैडर निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा बनाया जाना तथा इसकी अधिसूचना जारी किये जाने की मांग

105—श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय सहकारी बैंकों के सचिवों का कैडर निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा बनाया गया है जो शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक इसका निस्तारण करके अधिसूचना जारी कर लागू करा दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंक के सचिवों के लिए अभी तक कोई कैडर नहीं बनाया गया है अतः उसके शासन स्तर पर लम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोआपरेटिव बैंक इम्पलाईज यूनियन, उ0 प्र0 की नगरीय बैंक इकाई का प्रदेश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री आदि को प्रेषित मांग-पत्र एवं कार्यवाही

106—श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक इम्पलाईज यूनियन, उ0 प्र0 की नगरीय बैंक इकाई का मांग-पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1990 प्रदेश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में निबंधक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 सचिव, सहकारिता, उ0 प्र0 शासन एवं मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा संदर्भित मांग-पत्र नगरीय सहकारी बैंकों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के ग्राम सुनवारा, देवका पट्टी, दाऊदपुर, चकेदी आवंक, कोईलाड़ी आदि की चकबन्दी एवं चकदारों को कब्जा दिए जाने की मांग

107—श्री दीप नारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के ग्राम सुनवारा, देवका पट्टी, दाऊदपुर, चकेदी, आवंक, कोईलाड़ी आदि गांव की चकबन्दी चार-पांच साल पहले हो गई थी ? यदि हां, तो क्या पैमाइश करके चकदारों को उनकी चकों का सीमांकन करके कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ग्राम सुनवारा, देवका पट्टी, दाऊदपुर, चकेदी, आवंक तथा कोईलाड़ी खुर्द में चक निर्माण कार्य पूरा हो चुका था ।

ग्राम कोईलाड़ी खुर्द में चकों का सीमांकन करके काश्तकारों को कब्जा दिया जा चुका है । ग्राम सोनवारा, देवका पट्टी एवं दाऊदपुर की चक अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है परन्तु अभी कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है । खेत खाली होने पर ही पमाइश का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा । ग्राम चकेदी तथा आवंक में चक अपीलों का निस्तारण अभी अवशेष है । चक अपीलों के निस्तारण के उपरान्त ही चकों का सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन कराया जाना सम्भव होगा ।

108--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद को कतिपय मार्गों से होकर लखनऊ तक बस चलाने एवं बुकिंग कार्यालय स्थापित करने हेतु लिखे गए पत्र पर कार्यवाही

109--श्री राम लखन वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने अ0 शा0 पत्र सं0 1200 (1)-आ0 लि0/मिस-90, दिनांक 25 फरवरी, 1990 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद को अकबरपुर, मालीपुर, जलालपुर से फूलवरिया मार्ग पर तथा जलालपुर से मंगुराडोला-किछौछाबसखारी होते हुए लखनऊ तक बस चलाने एवं जलालपुर में स्थायी बुकिंग कार्यालय स्थापित करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी हां ।

1--अकबरपुर-मालीपुर-जलालपुर-फुलवरिया मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित हैं ।

2--संचालित सेवाओं का लोड फैक्टर व आय प्रति कि0 मी0 को देखते हुए इस मार्ग पर और सेवायें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और न ही यह निगम के हित में है ।

3--जलालपुर की दूरी मालीपुर से लगभग 10 कि0 मी0 है और जलालपुर से मालीपुर होकर अकबरपुर के लिए निगम की बसें उपलब्ध हैं । इसी प्रकार बसखारी के लिए आजमगढ़ से बसखारी होकर लखनऊ जाने वाली सेवायें उपलब्ध हैं । मंगुराडोला की जलालपुर से तथा किछौछा की बसखारी से दूरियां नगण्य हैं । अतः ऐसी दशा में उल्टी दिशा में जलालपुर से बसखारी की ओर बस ले जाकर लखनऊ लाना न तो व्यावहारिक है और न उसका कोई औचित्य ही है ।

4--जलालपुर में 1977 में बुकिंग कार्यालय खोला गया था किन्तु समुचित आय न प्राप्त होने के कारण 1986 में बन्द कर दिया गया। वर्तमान में संचालन प्रणाली बदल चुकी है और जहां से बस प्रारम्भ होती है उसके अतिरिक्त बीच के अन्य स्टेशनों पर खिड़की से टिकट की बुकिंग नहीं होती। अतः अब जलालपुर म बुकिंग कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में सीलिंग अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि का निर्धारण

110--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-41 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रभूषण गुप्त, ग्राम आजमगढ़ (आजमगढ़) की सीलिंग के अन्तर्गत अधिक भूमि के निर्धारण के लिए वाद किस न्यायालय में कितने दिन से लम्बित है? विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है? इसके शीघ्र निस्तारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्री इन्द्रभूषण गुप्त, ग्राम आजमगढ़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध सीलिंग भूमि के निर्धारण की कार्यवाही नियत प्राधिकारी, आजमगढ़ के न्यायालय म दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 से विचाराधीन है। सीलिंग वाद न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है। अतः विलम्ब के लिए किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता है। वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी रूप से पैरवी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित सिकन्दरा गृह स्थान योजना, आगरा में आवंटित भूखण्ड सं0 431 सेक्टर-16 के आवंटी के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

111--श्री बदन सिंह--

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित सिकन्दरा गृह स्थान योजना, आगरा के लिए खोले गये लाटरी ड्रा दिनांक 25 अगस्त, 1989 में आवंटित भूखण्ड संख्या 431 सेक्टर-16 के आवंटी को कब्जा देने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1990, जिसकी संस्तुति प्रश्नकर्ता ने की थी, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि निरस्त आवंटी को बिना पुनर्जीवन कराये उसी भूखण्ड को कम मूल्य पर देकर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को आर्थिक हानि पहुंचायी जा रही है? यदि हां, तो दिनांक 25 अगस्त, 1989 को लाटरी ड्रा के माध्यम से सफल आवंटी को उक्त भूखण्ड का कब्जा न देने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। श्री बनवारी लाल शर्मा का प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, शासन द्वारा इसे उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् को एक अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्था है, को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। जी नहीं, क्योंकि उक्त भूखण्ड का कब्जा परिषद् के पास ही है। प्रश्नगत भूखण्ड पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित था, उसने समय से भूखण्ड के मूल्य का भुगतान नहीं किया जिसके

कारण परिषद् द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया था, निरस्तीकरण के बाद उक्त आवंटी ने भूखण्ड के मूल्य का भुगतान कर दिया। तथापि त्रुटिवश यह भूखण्ड बाद की लाटरी में सम्मिलित कर लिया गया और बनवारी लाल शर्मा को आवंटित हो गया। इस विवादित स्थिति के कारण श्री शर्मा को भी भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका है।

ग्राम किन्तूर, जनपद बाराबंकी निवासी गन्ना कृषक श्री सियाराम का केन यूनियन, बुढ़वल, बाराबंकी के खजाने में पर्चियों के रुपये गायब किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

112--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किन्तूर, जनपद बाराबंकी निवासी गन्ना कृषक श्री सियाराम ने दिनांक 24 अप्रैल, 1990 के पंजीकृत डाक द्वारा गन्ना मंत्री को सम्बोधित अपना एक शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजा था जिसमें केन यूनियन, बुढ़वल के खजाने में गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु जमा की गयी पर्चियों के 1800 रुपये के गायब कर दिये जाने का आरोप लगाया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित कृषक के मामले में अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां।

सम्बन्धित कृषक के मामले में जांच कराई गई। जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्री सियाराम पुत्र श्री मंगू, निवासी-किन्तूर, बाराबंकी द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 1990 को जमा की गई पर्चियों का टोकन खो जाने के उपरान्त तत्काल नियमानुसार समिति में शुल्क जमा करके भुगतान रोकने की कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण टोकन धारक को ही भुगतान किया गया। अभिलेखों से यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया कि जिसके द्वारा पर्चियां एवं सट्टा जमा किया गया उसने भुगतान नहीं प्राप्त किया।

शेष का ही प्रश्न ही नहीं है।

इलाहाबाद जनपद के तहसील मंझनपुर ब्लाक कौशाम्बी के ग्राम सभा म्योहर में भूमिहीनों की भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

113--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के तहसील मंझनपुर ब्लाक कौशाम्बी के ग्राम सभा म्योहर में कितने भूमिहीनों को भूमि का पट्टा मिलने के बावजूद कब्जा नहीं दिलाया गया ? उन्हें कब तक पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ग्राम सभा म्योहर में भूमि आवंटन के 6 मामले ग्राम के नक्शे व कागजात की त्रुटि के कारण विवादग्रस्त हो गये हैं। तीन मामलों में पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जा चुका था परन्तु आवंटित भू-खण्डों से होकर जिला-परिषद् द्वारा सड़क का निर्माण हो गया है। इन पट्टेदारों के पट्टों के शुद्धीकरण तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र कौशाम्बी के विकास हेतु सरकार द्वारा निर्माण कार्य में प्रगति

114—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ब्लाक कौशाम्बी स्थित ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र कौशाम्बी के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? क्या कौशाम्बी के विकास हेतु शासन द्वारा धन की स्वीकृति दी गयी गयी है ? यदि हां, तो कुल धन कितना स्वीकार हुआ और निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

इलाहाबाद स्थित ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय स्थल कौशाम्बी के विकास की योजना को विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है । स्थल के विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये यहां पर एक यात्री निवास के निर्माण का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में बौद्ध केन्द्रों को जोड़ने वाले यात्रा परिपथ के विकास हेतु भारत सरकार को भेजी गई बौद्ध परिपथ परियोजना में कौशाम्बी में मार्गीय सुविधा का प्रस्ताव भी सम्मिलित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद को प्रश्नकर्ता का परगनाधिकारी, मुरादाबाद के अनियमित कार्यों के विषय में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

115—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी मुरादाबाद को प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र सं0 ग0 नं0 188553, दिनांक 25 अगस्त, 1990 का दिनांक 27 अगस्त, 1990 को दस्ती दिया था, जिसमें परगना अधिकारी, मुरादाबाद के अनियमित कार्यों की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1990 जिलाधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 29 अगस्त, 1990 को प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत मामले की जांच अपर जिलाधिकारी, मुरादाबाद से करायी गई । दोषी ग्राम प्रधानों क्रमशः बेरपुर थाना तथा ग्राम सकतपुर को निलम्बित कर दिया गया । जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने मा0 विधायक प्रश्नकर्ता के अनुरोध दिनांक 22 अक्तूबर, 1990 पर कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है, इसलिये जांच बन्द कर दी जाएं, पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में अब किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

116—श्री पंचानन राय—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जिला अधिकारी, बलिया, द्वारा सरकारी सम्पत्ति के अपहरण, गबन एवं धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित श्री काशी नाथ मिश्र, भू0 पू0 विधायक का पत्र एवं कृत कार्यवाही

117—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अधिकारी, बलिया द्वारा गबन, धन के दुरुपयोग सरकारी सम्पत्ति के अपहरण आदि से सम्बन्धित श्री काशी नाथ मिश्र, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 15 जून, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई है ? जांच के परिणाम निकले हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री काशी नाथ मिश्र का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र, जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा मुख्य सचिव को पृष्ठांकित है, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध म मण्डलायुक्त, वाराणसी से जांच आख्या प्राप्त की गई। मण्डलायुक्त की जांच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर उक्त प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

परिवहन निगम में मानक के अनुसार तथा दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करने के लिए संवर्गवार कार्यरत वरिष्ठ लेखाकार एवं रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक की गई कार्यवाही

118—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय परिवहन निगम में मानक के अनुसार तथा दोहरी लेखा प्रणाली के लागू करने के लिए प्रदेश भर में कुल कितने वरिष्ठ लेखाकार संवर्गवार कार्यरत हैं एवं उक्त संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वर्तमान में स्वीकृत 128 वरिष्ठ लेखाकार के पदों से विपरीत 35 वरिष्ठ लेखाकार कार्यरत हैं तथा 75 रिक्तियां विद्यमान हैं। वरिष्ठ लेखाकार का चयन लेखाकार के पद पर तीन वर्ष कार्य पूरा करने वाले कार्मिकों में से वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। ऐसे अर्ह लेखाकारों की प्रोन्नति के समय विचारणीय अभिलेखों के अद्यतन कराये जाने का कार्य किया जाता रहा है तथा रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की तैयारी की गई है।

जनपद बरेली के अन्तर्गत तहसील बहेड़ी के सेवा निवृत्त संग्रह अमीन श्री मोहम्मद हुसैन खां की जमानत धनराशि का भुगतान हेतु रिहा करने की मांग

119—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली के अन्तर्गत तहसील बहेड़ी के संग्रह अमीन श्री मोहम्मद हुसैन खां वर्ष 1984 में सेवा निवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सेवा प्रारम्भ के समय उनसे जमानत धनराशि बतौर बन्धक डाकखाने में जमा करायी गई थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कितनी है ? क्या बन्धकशुदा

जमानत धनराशि पेंशनर जमाकर्ता के पक्ष में भुगतान हेतु रिहा कर दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जमानत धनराशि अमीन के मासिक वेतन से जमा कराये जाने सम्बन्धी पासबुक के गुम हो जाने तथा नायब नाजिर की मृत्यु हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका । इस सम्बन्ध में डुप्लीकेट पासबुक जारी किये जाने हेतु डाकघर बरेली से पत्राचार किया गया किन्तु डाकघर द्वारा जमानत पासबुक डुप्लीकेट में बनाकर उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके फलस्वरूप अन्त में दिनांक 11 दिसम्बर, को प्रवर अधीक्षक मुख्य डाकघर, जनपद बरेली को सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री खां की जमानत पासबुक में कुल जमा धनराशि बन्धक मुक्त कर ब्याज सहित कर्मचारी को भुगतान करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं । जिसकी सूचना सम्बन्धित कार्मचारी को दे दी गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

120—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के संग्रह अमीन मोहम्मद हुसैन खां वर्ष 1984 में सेवा-निवृत्ति हो गये हैं ? सेवाकाल के दौरान जिलाधिकारी/महरम वितरण अधिकारी बरेली द्वारा क्या उनके वेतन से जी0 पी0 एफ0 की नियमित कटौती की गयी है । यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि सम्पूर्ण सेवाकाल में जी0 पी0 एफ0 में काटी गयी थी ? उस पर कितना ब्याज देय हुआ है ? क्या जी0 पी0 एफ0 कटौती की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि उहीं, तो क्यों और कब तक पूरा भुगतान किया जायेगा ? क्या विलम्ब के लिये कोई दोषी है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि इनके जी0 पी0 एफ0 की मासिक कटौती माह जुलाई, 1962 से जुलाई 1967 तक फरवरी, 1968 से फरवरी, 1972 तक तथा मई 1973 से मई, 1984 तक की गयी ।

सम्पूर्ण सेवाकाल में 9,065 रु0 की कटौती की गयी तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में की गयी कटौती की धनराशि पर कुल ब्याज 5,754 रु0 हुआ ।

जी नहीं । जी0 पी0 एफ0 की कटौती की धनराशि का 1,642 रु0 का भुगतान होना शेष है । उक्त शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से अन्तिम भुगतान का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

121—श्री राम प्रसाद सिंह—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम तेरा (ब) के ग्राम प्रधान श्री अतरवीर सिंह का ग्राम के कुछ लोगों द्वारा ग्राम समाज की भूमि को अवैध रूप से अपने नाम दर्ज कराने विषयक आयुक्त, चकबन्दी को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

122—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम तेरा (ब) के ग्राम प्रधान श्री अतरवीर सिंह का दिनांक 15 फरवरी, 1989 का पत्र आयुक्त, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ग्राम के ही श्री देवी दयाल पुत्र श्री गंगा प्रसाद एवं छोटे लाल पुत्र श्री भाऊराम द्वारा गांव समाज की 9.55 एकड़ भूमि अवैधानिक रूप से अपने नाम दर्ज करवाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या इस ग्राम समाज की भूमि को हरिजन एवं भूमिहीनों को आवंटित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच कराने पर यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि में से 4.73 एकड़ भूमि चकबन्दी अधिकारी अतर्रा द्वारा मुकदमा नं0 635 में पारित आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत श्री छोटे लाल पुत्र भाऊराम तथा 4.82 एकड़ भूमि मुकदमा नं0 636 में पारित आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत श्री देवी दयाल पुत्र गंगा प्रसाद के नाम अंकित हो चुकी थी। मुकदमा नम्बर 635 के विरुद्ध अपील विचाराधीन है परन्तु मुकदमा 636 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील एवं निगरानी निरस्त होने के कारण अभिलेख में उक्त श्री देवी दयाल के नाम अमलदरामद की जा चुकी है। मुकदमा नम्बर 635 से सम्बन्धित भूमि का आवंटन न्यायिक प्रक्रियाओं के समाप्त होने पर न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायेगा।

गांव तरसड़ा, परगना पन्नहू, तहसील व जिला वाराणसी में सभापति को मुकदमें में बेदखल किया जाना एवं जुर्माना

123—श्री कवल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव तरसड़ा, परगना पन्नहू, तहसील व जिला वाराणसी में सभापति को 122 बी के मुकदमें में तहसीलदार, वाराणसी एवं परगनाधीश उत्तरी वाराणसी ने बेदखल किया और 1560 रुपये जुर्माना भी किया है ? क्या सभापति आ0 नं0 858 व 859 पर आज भी कब्जा करके पेड़ लगा रहे हैं। क्या यह सही है कि जुर्माना का रुपया नहीं जमा किया और गांव सभा की जमीन को भी नहीं छोड़ा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

वि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ के गन्दे पानी से क्षेत्र में प्रदूषण एवं इसे रोकने हेतु योजना की जानकारी

124—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ के गन्दे पानी से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदूषण रोकने हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उस योजना को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

वि किसान सहकारी चीनी मिल्स, घोसी, जनपद मऊ के उत्प्रवाह से होने वाले प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषित जल का शोधन करने हेतु एक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके पेराई सत्र 1990-91 में पूर्ण हो जाने की आशा है।

जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर में सेवा मण्डल की स्वीकृति के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

125—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर में ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जो श्रम न्यायालय के समझौते के आधार पर नियुक्त हैं ? क्या प्रश्नगत कर्मचारियों की नियुक्ति सेवामण्डल की स्वीकृति से की गई थी ? यदि हां, तो सेवा मण्डल का निर्देश क्या है ? यदि बिना सेवा मण्डल की स्वीकृति के ही प्रश्नगत कर्मचारियों की नियुक्ति हुयी है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास—

छः (6)

स्वीकृति प्राप्त की गयी।

सेवा मण्डल द्वारा 180 दिन, तत्पश्चात् पुनः 120 दिन, तदर्थ पर रखने की अनुमति प्रदान की गई। श्रम न्यायालय में नियमतीकरण हेतु समझौते हुए। वर्तमान में शासनादेश संख्या 3170/120-2-600 (159)-89, दिनांक 26 जुलाई, 1990 द्वारा विनियमित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कतिपय विधायकों आदि द्वारा जिलाधिकारी, सोनभद्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप एवं स्थानान्तरण की मांग

126—श्री इकबाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विजय सिंह गोंड़, विधायक दुद्धी, गुलाब सिंह, विधायक राबर्ट्सगंज, तीरथ राज, विधायक, राबर्ट्सगंज तथा श्री जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका राबर्ट्सगंज, श्री राजेन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने दिनांक 8 अगस्त, 1990 को उन्हें एक ज्ञापन सोनभद्र के जिलाधिकारी के

खिलाफ 23 आरोप लगाते हुए दिया है ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच करायी गयी ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी का स्थायी निवास मिर्जापुर में ही है और सोनभद्र पहले जिला मिर्जापुर में ही था ? ऐसी स्थित में उन्हें सोनभद्र में नियुक्त किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उक्त जिलाधिकारी को सोनभद्र से हटाकर लिखित 23 आरोपों की जांच शासन के किसी सचिव से करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, जो शासन के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, से जांच करायी जा रही है । तत्कालीन जिलाधिकारी का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जिला जज कार्यालय लखनऊ में आशुलिपिक पद हेतु आयोजित की गई परीक्षा एवं निरस्त किये जाने के कारण

127--पूर्णवासी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला जज कार्यालय, लखनऊ में मई, 1990 में आशुलिपिक पद हेतु परीक्षा आयोजित की गयी ? यदि हां, तो उसे निरस्त किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की निर्धारित संख्या की उपलब्धता के अभाव में उक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया इसलिये परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1985-86 में जिला जज कार्यालय, लखनऊ में लिपिक पद हेतु विज्ञापन एवं परीक्षा कराया जाना तथा प्राप्त परीक्षा शुल्क

128--पूर्णवासी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला जज कार्यालय, लखनऊ में सन् 1985-86 में लिपिक पद हेतु पद विज्ञापित किये गये थे तथा परीक्षा शुल्क के रूप में चौदह हजार रुपये जमा हुआ था ? क्या यह परीक्षा कराकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

परीक्षा शुल्क के रूप में रु0 14,394·50 पैसे प्राप्त हुए थे ।

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी जा सकी ।

तत्कालीन उपगन्ना आयुक्त, मुरादाबाद एवं वर्तमान प्रबन्ध, निदेशक सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के वि द्ध फर्जी एवं अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच

129—श्री भोला पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद एवं वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के विरुद्ध 200 गन्ना समिति भागी कर्मचारियों की फर्जी अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच वर्ष 1988 में करायी गयी ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत जांच की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, मुजफ्फरनगर द्वारा शाखा प्रबन्धकों के द्वारा 'कागज के फूल' व हार बनाने की पुस्तक खरीदने व बेचने विषयक पत्र एवं सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

130—श्री नकली सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सचिव/महा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, मुजफ्फरनगर द्वारा बैंक के समस्त शाखा प्रबन्धकों को अपने पत्र संख्या 10668-93, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 के माध्यम से हस्तकला कागज के फूल हार बनाने की पुस्तक खरीदने व बेचने के लिए दबाव डाला था ? यदि हां, तो यह पुस्तक बैंक से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो बैंक में और सहकारिता क्षेत्र में इसका उपयोग है ? यदि नहीं, तो क्या बैंक सचिव श्री जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन लि0 के सचिव श्री सुरेश चन्द्र त्यागी व सभापति श्री दल सिंह वर्मा द्वारा निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के अनुमति के बिना एक पेट्रोल कार के खरीद की शिकायत एवं उसके जांच की मांग

131—श्री नकली सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन लि0, मुजफ्फरनगर के सचिव श्री सुरेश चन्द्र त्यागी व सभापति श्री दल सिंह वर्मा ने निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 से अनुमति प्राप्त किये बिना एक नयी पेट्रोल कार नम्बर यू0 बी0 आई0 700 खरीदी है ? क्या उक्त खरीद नियमित है ? यदि नहीं, तो सचिव व सभापति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन लि0, मुजफ्फरनगर द्वारा श्री सुरेश चन्द्र त्यागी, सचिव व श्री दल सिंह वर्मा, सभापति के कार्यकाल में पेट्रोल कार नं0 यू0 पी0 आई0 700 उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मेरठ मंडल, मेरठ की स्वीकृति की प्रत्याशी में क्रय की गई। इस हेतु निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

उक्त खरीद, खरीद से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति न होने की सीमा तक अनियमित है।

समिति के सभापति व सचिव को चेतावनी दे दी गयी।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

132—श्री कुदल तथा श्री राम प्रसाद सिंह—

[दिनांक 20 फरवरी, 1991 को अता0 प्र0 सं0 186 द्वारा उत्तरित।]

गांव परशुरामपुर प0 निजामाबाद तथा नन्दाव, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ में हुयी अनियमित चकबन्दी के सम्बन्ध में भू0 पू0 विधायक के पत्र एवं उस पर कार्यवाही

133—श्री कुदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव परशुरामपुर प0 निजामाबाद तथा नन्दाव, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ में हुयी अनियमित चकबन्दी के सम्बन्ध में भू0 पू0 विधायक श्री लालसा ने 13 मार्च, 1984 को स्व0 झारखंडे राय, भू0 पू0 सांसद ने 30 जून, 1984, 25 मार्च, 1985, 24 दिसम्बर, 1985 को तथा 3 अप्रैल, 1986 को और राम बदन एडवोकेट, विधायक ने 3 नवम्बर, 1986, 25 मई, 1988 व 30 जनवरी, 1989, 31 जनवरी, 1989 को राजस्व मंत्री को उक्त गांव की पुनः चकबन्दी कराने हेतु पत्र में लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने भी दिनांक 20 अगस्त, 1990 को उनको पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मांग के अनुरूप उक्त गांव की चकबन्दी कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां। शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी (मुख्यालय) से करायी गयी। जांच में जो अनियमिततायें प्रकाश में आयीं उनके निराकरण हेतु बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। पुनः चकबन्दी कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्नकर्ता का पत्र उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य श्री राम बदन बख्श सिंह का पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1990 प्राप्त हुआ है जिसके साथ कुछ प्रार्थना-पत्र संलग्न हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत, नैनीताल में सरकारी विभागों द्वारा हिन्दी समाचार-पत्रों की भांति उर्दू समाचार पत्रों को विज्ञापन टेण्डर दिये जाने विषयक नियम पालन किये जाने की मांग

134—श्री रियाज अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत, नैनीताल जो अल्प-संख्यक जिले घोषित हैं में सरकारी विभागों द्वारा हिन्दी समाचार-पत्रों को जो विज्ञापन टेण्डर दिये जाते हैं, शासन की नीति के अनुसार उर्दू समाचार-पत्रों को भी दिया जाना आवश्यक है ? क्या इन नियमों का जनपद पीलीभीत, नैनीताल में पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतद्रु प्रकाश—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पालीटेक्निक कानपुर में एलेक्ट्रानिक ट्रेड में छात्र-छात्राओं के स्थान एवं आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के प्रवेश

135—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालीटेक्निक कानपुर में एलेक्ट्रानिक ट्रेड में कितने छात्र-छात्राओं के स्थान हैं ? इसी प्रसंग में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उन स्थानों में अनुसूचित जाति के कोटा के अनुसार कितने स्थान आरक्षित हैं ? आरक्षण के अनुसार इस वर्ष 28 अगस्त तक अनुसूचित जाति के कितने छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश हो चुका था और कितने स्थान रिक्त थे ?

प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री विक्रमादित्य पान्डेय)—

राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में डिप्लोमा स्तरीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम दो पालियों में (पूर्णकालीन एवं प्रातःकालीन) प्रशिक्षण दिया जाता है ।

पूर्णकालीन पाली में प्रथम वर्ष की प्रवेश क्षमता 45 है जबकि प्रातःकालीन पाली, जो केवल छात्राओं के लिए है, की प्रवेश क्षमता 30 है ।

पूर्णकालीन पाली में अनुसूचित जाति के लिये 8 स्थान एवं प्रातःकालीन पाली में 5 स्थान आरक्षित हैं ।

वर्ष 1990 के दिनांक 28 अगस्त तक पूर्णकालीन पाली में प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति का कोई स्थान रिक्त नहीं था ।

प्रातःकालीन पाली के प्रथम वर्ष में उक्त दिनांक तक अनुसूचित जाति के एक (1) छात्रा का प्रवेश हो सका था, जबकि दिनांक 28 अगस्त, 1990 के बाद पुनः विज्ञापन देकर अनुसूचित जाति की 4 अतिरिक्त छात्राओं को प्रवेश दिया जा चुका है एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण कर लिया गया है । वर्तमान में अनुसूचित जाति का कोई स्थान रिक्त नहीं है ।

136—श्री काजी सिंह ऐरी—

[दिनांक 20-2-91 को अता० प्र० सं० 186 द्वारा उत्तरित]

शासनादेश के अन्तर्गत परगना अधिकारी, बीकापुर, जनपद फैजाबाद को मुख्यालय पर रहने की मांग एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

137—डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश के अन्तर्गत परगना अधिकारी को तहसील मुख्यालय पर रहना चाहिए परन्तु परगना अधिकारी, बीकापुर, जनपद फैजाबाद में जब से उनकी नियुक्ति हुई जिला मुख्यालय पर रहते हैं तथा महीने में 15 दिन ही तहसील जाते हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को कष्ट उठाना पड़ता है ? क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं । नियुक्ति की तिथि से तहसील मुख्यालय पर ही निवास करते हैं तथा जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजस्व सचिव शाखा में सचिवालय सेवा के 14–15 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को स्थानान्तरित करने की मांग

138—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व सचिव शाखा में सचिवालय सेवा के ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं जो पिछले 14–15 वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि से शाखा के एक ही अनुभाग में सहायक के पद से लेकर अनुसचिव अथवा उप सचिव के पद पर लगातार कार्यरत हैं ? क्या शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के तहत उनका स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राजस्व सचिव शाखा में सचिवालय सेवा के केवल एक ऐसे अनुसचिव हैं, जो उक्त शाखा में एक ही अनुभाग में पिछले लगभग 13 वर्षों से कार्यरत हैं । शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण राजस्व विभाग से अन्यत्र किया गया था, परन्तु वे राजस्व कानूनों के विधायन का अत्यन्त जटिल एवं तकनीकी कार्य सम्पादित कर रहे हैं, अतः जनहित में उनका स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है ।

139—श्री बचन सिंह—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

140—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रशासनिक प्राविधिक एवं लेखा शाखा के पदों को भरे जाने का अधिकार एवं उन्हें संवर्गवार भरे जाने की मांग

141—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक प्राविधिक एवं लेखा शाखा के कुल कितने पद जिनकी नियुक्ति अधिकार परिवहन निगम, लखनऊ को है, रिक्त हैं ? उन्हें संवर्गवार कब तक भरा जायेगा ? उन्हें आज तक न भरने का कारण क्या है ? क्या उसे इसी वित्तीय वर्ष में भर दिया जायेगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रश्नगत पदों, जिनका नियुक्ति अधिकार मुख्यालय में निहित है, की रिक्तियां निम्नवत् हैं :—

शाखा का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1—प्रशासनिक	97 पद
2—प्राविधिक	89 पद
3—लेखा शाखा	88 पद

निगम से प्राप्त कतिपय पदों के प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं। तदुपरान्त इन पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 30 नवम्बर, 1987 को पदों को भरने पर लगाये गये प्रतिबन्धों के परिप्रेक्ष्य में पदों को नहीं भरा जा सका।

उ0 प्र0 परिवहन निगम में लेखा शाखा के उच्च अधिकारी, उप प्रधान प्रबन्धक (वित्त) द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण शाखा का कार्य सुचारु रूप से न चलाने के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

142—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम में लेखा शाखा के उच्च अधिकारी अर्थात् मुख्य लेखाधिकारी, उप प्रधान प्रबन्धक (वित्त) 1 अप्रैल, 1986 से अब तक किन-किन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है ? यदि नहीं, तो क्या लेखा शाखा का कार्य सुचारु रूप से न चलने के लिए ये लोग दोषी नहीं हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

परिवहन निगम के वर्तमान मुख्य लेखा अधिकारी (निगम में कार्यभार ग्रहण की तिथि 9 जुलाई, 1987) ने निम्नलिखित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है :

1—बरेली।

2—इलाहाबाद।

3—कानपुर।

4—आगरा ।

5—फैजाबाद ।

6—लखनऊ ।

7—अलीगढ़ ।

8—देहरादून ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन्होंने केन्द्रीय कार्यशाला एवं एलेन फारेस्ट कार्यशाला का भी निरीक्षण किया है ।

उप प्रधान प्रबन्धक (वित्त/लेखा) (नियुक्ति तिथि 4 सितम्बर, 1987) ने निम्नलिखित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है :

1—कानपुर ।

2—नैनीताल ।

3—गाजियाबाद ।

4—गोरखपुर ।

5—इटावा ।

6—इलाहाबाद ।

7—झांसी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन्होंने केन्द्रीय कार्यशाला का भी निरीक्षण किया ।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय एवं एलेन फारेस्ट कार्यशालायें क्षेत्रीय कार्यालयों के समकक्ष स्वतंत्र इकाइयां हैं ।

1 अप्रैल, 1986 से 8 जुलाई, 1987 तक की अवधि में तैनात मुख्य लेखाधिकारी अब उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में तैनात नहीं हैं । उक्त अवधि के संबंधित अभिलेख नियमानुसार नष्ट किये जा चुके हैं ,

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

144—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[3रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा की जिला योजना के प्रभारी मंत्री द्वारा की गयी बैठकों की संख्या एवं मासिक बैठकों का रोस्टर

145—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की जिला योजना के प्रभारी मंत्री कौन हैं और उन्होंने अभी तक जनपद बांदा में कितनी बैठकें की हैं जिनकी सूचना

विधायकों को दी गयीं ? जिला योजना के प्रभारी मंत्री की मासिक बैठकों का रोस्टर क्या है ? क्या अभी तक प्रभारी मंत्री जी द्वारा एक भी बैठक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

बांदा जनपद की जिला योजना से संबंधित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता हेतु वर्तमान में माननीय कृषि मंत्री (श्री चौधरी शकर सिंह) प्रभारी मंत्री हैं उक्त समिति की चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में अब तक तीन बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। बैठकें आयोजित करने की सूचना माननीय विधायकों को दी गयी थी।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठकें त्रैमासिक आयोजित करने का प्राविधान है। माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी, 1991 को बैठक सम्पन्न हो चुकी है।

गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में लेखपाल प्रेमनाथ पाण्डेय द्वारा नक्शे में फर्जी चकरोड खींचा जाना व पंचम तथा कतवारू गांव तरसड़ा के ऊपर चकरोड जोतने के सम्बन्ध में मुकदमा

146—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तह0 व जिला वाराणसी में पूर्व लेखपाल प्रेमनाथ पाण्डेय ने एक फर्जी चक रोड नक्शे में खींच दिया जो बन्दोबस्त में नहीं है और पंचम तथा कतवारू गांव तरसड़ा के ऊपर चकरोड जोतने के संबंध में 122–बी का मुकदमा कायम करा दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और पूर्व लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? फर्जी 122–बी के मुकदमें को जांच के उपरान्त समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।

जी हां।

जिला स्तर पर जांच कर ली गई है। जांच में लेखपाल दोषी नहीं पाया गया है। मुकदमें में निर्णय हो चुका है।

तहसील व जनपद वाराणसी के ग्राम तरसड़ा स्थित ग्राम समाज की बंजर भूमि को वास्तविक रूप से भूमिहीनों में वितरित किये जाने की मांग

147—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की करेंगे कि गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में ग्राम समाज की आराजी नं0 313–22 डि0, 869–20 डि0, 644–8 डि0 तथा 669–35 डि0 को क्रमशः मंगरू पुत्र बुद्धू, हीरालाल पुत्र कुमार व सुदामा स्त्री भागीरथी व मनतोरा स्त्री फूलचन्द्र को भूतपूर्व लेखपाल प्रेमचन्द्र पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान ने पट्टा कर दिया ? क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों ने अपनी जमीन बेचे जाने के कारण भूमिहीन हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त गांव के भूमिहीन हरिजनों को भूमि का उक्त पट्टा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उसकी जांच परगनाधिकारी, उत्तरी वाराणसी से कराकर प्रश्नगत पट्टा को निरस्त कर भूमिहीनों को देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां, परन्तु पाटा संख्या 669/0–35 डि0 के बजाय 869/8–35 डि0 का आवंटन किया गया है ।

जी नहीं । किसी आवंटी द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है ।

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा जिन व्यक्तियों को पात्र समझा गया उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया था ।

प्रस्ताव की अनियमितता के सम्बन्ध में जांच पहले ही कराई जा चुकी है जिसमें यह पाया गया कि श्रीमती मन्तोरा को भूमिहीन दिखाकर उन्हें भूमि आवंटित की गई है जबकि उनके पास पहले से ही 24/2/3 डि0 भूमि थी । अतः अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण तथा इस सम्बन्धी में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । निरस्तीकरण की कार्यवाही के पश्चात् भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में कतिपय व्यक्तियों के पास जमीन होते हुए उन्हें भूमिहीन मानकर पट्टा दिया जाना तथा इस अनियमितता की जांच किये जाने की मांग

148—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की आराजी नं0 519/–18, 919/–15 व 617/–12, 618–13व 869–10 का भुल्लन व तुल्लन पुत्र राम आधार को पट्टा दिया है जबकि राम आधार के पास जमीन है उनके लड़कों को भूमिहीन बताया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या इसी तरह से आराजी नं0 91/–19 व 721/–14 को रामनाथ व रामदुलार पुत्र चिरकिट के नाम पट्टा दिया है जबकि चिरकिट के पास जमीन है तथा उनके लड़कों को भूमिहीन बनाया गया है ? क्या यह जालसाजी व अनियमितता की जांच परगनाधीश उत्तरी वाराणसी से करायी जायेगी और गलत पट्टों को रद्द करके भूमिहीनों को जमीन दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । प्रश्नगत ग्राम के आराजी नं0 617–मि0/0–12, 618–मि0/0–13 व 869–मि0/–0–10–3 गाटा/0–35 (आराजी सं0 869/–10 नहीं) का आवंटन तुल्लन व आ0 नं0 598/919 रकबा 0–18 व 869 मि0/–05–2 गाटा 0–33 (आराजी सं0 519–18 व 919–15 नहीं) का आवंटन भुल्लन पुत्रगण राम आधार पासी, निवासी रसड़ा को किया गया है । राम आधार के नाम 0–07 एकड़ भूमि है जो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उपरोक्त दोनों पुत्रों के नाम आ गई है ।

जांच करा ली गयी है । जांचोपरान्त दोषी लेखपाल को आरोपित किया गया है और भूलेख निरीक्षक सेवा–निवृत्ति हो चुके हैं । अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आ0 नं0–19 मि0/0–19 (आराजी सं0–871/19 नहीं) रामनाथ तथा आराजी सं0–721/0–14 रामदुलार पुत्रगण स्व0 श्री चिरकिट, निवासी तरसड़ा को आवंटित की गयी है । स्व0 चिरकिट के नाम कोई जमीन दर्ज नहीं है तथा उनके लड़के भूमिहीन थे ।

जांच करा ली गयी है जिसके अनुसार इसमें कोई जालसाजी व अनियमितता नहीं पाई गई ।

149—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में आराजी नं0 670/-12, 688/-12 व 689/-12 को क्रमशः सम्पति देवी भगवानी, ताराबती को सभापति व लेखपाल ने पट्टा दिया है जबकि ये सब एक ही परिवार के हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या इसी तरह गांव तरसड़ा में आराजी नं0 91/-20, 91/30, 869/-20 को क्रमशः सूरजदेई, भुइधर, मन्नो को पट्टा दिया गया है और वे लोगों के भी नाम जमीन है ? लेखपाल व सभापति ने इन लोगों को भी भूमिहीन बताया है ? क्या सरकार उपरोक्त की जांच करायेगी और गांव में भूमिहीन हरिजनों/गरीबों को यह पट्टा देगी और गलत प्रमाण देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । तीसरे आवन्टी का नाम ताराबती नहीं बल्कि हीराबती है । पहले संयुक्त परिवार में थे किन्तु इनके श्वसुर मथुरा की मृत्यु हो जाने पर अलग-अलग रहती हैं ।

जी नहीं ।

जी हां । सोमई नहीं बल्कि सही नाम सोथई है जिनके नाम 0-42 एकड़ भूमि थी । सोथई की मृत्यु हो जाने से वही भूमि सोथई के वारिस पुत्रों के नाम दर्ज है ।

जी हां ।

जांच करा ली गई है । दोषी लेखपाल के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया है । भूलेख निरीक्षक सेवा-निवृत्त हो चुके हैं । पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है । पट्टा निरस्तीकरण के बाद के निर्णय के पश्चात भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वश्री दूधनाथ सिंह वी0 के0 ओ0 खादी ग्रामोद्योग पिण्डर, अधिक
वाराणसी का अधिक बिक्रीकर का रुपया जमा होना
एवं आदेश के बावजूद वापस न किया जाना

150—श्री ऊदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री दूधनाथ सिंह वी0 के0 ओ0 खादी ग्रामोद्योग पिंडरा, वाराणसी का 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः रु0 2014 व 2561 व 1200 रुपया बिक्रीकर अधिक जमा हो गया था ? क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त बिक्रीकर, वाराणसी ने आदेश दिया था कि उपरोक्त धनराशि उपरोक्त वर्ष में वापसी योग्य निकलती है ? यदि हां, तो क्या खादी ग्रामोद्योग पिण्डरा, वाराणसी की ओर से बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-5 को 12 जून, 1989 में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसका क्रमांक 45946 प्राप्ति रजिस्टर पर दर्ज है ? यदि हां, तो रुपया अब तक वापस न किए जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त उपरोक्त धन को वापस करने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सर्वश्री दूधनाथ सिंह बी0 के0 ओ0 खादी ग्रामोद्योग पिण्डरा, वाराणसी का वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः रु0 1067,10, रु0 1821.76 एवं 748.50 रु0 अधिक जमा हो गया था।

सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर, वाराणसी ने अधिक जमा धनराशि को नियमानुसार वापस करने का निर्देश दिया था।

संदर्भित प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 जून, 1989 वस्तुतः बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-9, वाराणसी को दिया गया था।

विभागीय अभिलेखों के अनुसार व्यापारी पर वर्ष 1979-80, 1983-84 एवं 1984-85 के लिए क्रमशः 4297.00 571.20, 57,280.00 बकाया है जिसके कारण अधिक जमा धनराशि वापस नहीं की गई है।

जी नहीं,

बरेली निबन्धक कार्यालय द्वारा फर्जी अनुज्ञा के आधार पर सीलिंग भूमि की रजिस्ट्री एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य-वाही की मांग

151--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या वित्त मंत्री को यह जानकारी है कि बरेली निबन्धक कार्यालय द्वारा वर्ष 1989 में सीलिंग की भूमि की बिक्री की रजिस्ट्री फर्जी अनुज्ञा के आधार पर की गई है? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत वर्ष में निबन्धन कार्यालय, बरेली में किसी बेनामें द्वारा सीलिंग की भूमि की बिक्री की रजिस्ट्री फर्जी अनुज्ञा के आधार पर किए जाने की कोई शिकायत या जानकारी नहीं मिली।

प्रश्न नहीं उठता।

152--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

153--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक प्रधान कार्यालय लखनऊ में ड्राइवर पद पर कार्यरत श्री मो0 हफीज खां का जाली योग्यता प्रमाण-पत्र का मामला

154--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, लखनऊ में ड्राइवर पद पर कार्यरत श्री मो0 हफीज खां ने

जाली योग्यता प्रमाण-पत्र दाखिल करके नौकरी प्राप्त की है जो जांचोपरान्त जाली पाया गया है ? यदि हां, तो उसकी सेवा समाप्त न किए जाने का क्या कारण है ? कब तक उसे सेवा से पृथक् कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

श्री मो0 हफीज खां को बैंक सेवा से पृथक् करने का निर्णय लेते हुए उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम 1987 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार सेवा से पृथक् करने पूर्व उ0 प्र0 सहकारी सेवा संस्थागत सेवा मण्डल के अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी ।

तत्कालीन संयुक्त गन्ना आयुक्त (विकास) जो वर्तमान में अपर गन्ना आयुक्त (वि0) के पद पर कार्यरत द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट की पत्रावली गायब होना

155—श्री भोला पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन संयुक्त गन्ना आयुक्त (विकास) जो वर्तमान में अपर गन्ना आयुक्त (वि0) के पद पर कार्यरत हैं, के द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओं से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट की पत्रावली बिना किसी कार्यवाही किये हुए शासन से 1987-88 में गायब हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या गायब पत्रावली से सम्बन्धित अभिलेखों को पुनः एकत्र कर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

156—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के ब्लाक कौशम्बी के, ग्राम मोहल्ला में ग्राम समाज की भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमिहीनों में आवंटित किये जाने की मांग

157—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के ब्लाक कौशम्बी के ग्राम महिला में कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि है ? इस भूमि को कब तक भूमिहीन हरिजनों एवं अल्प भूस्वामियों तथा अन्य भूमिहीनों को आवंटित कर दिया जायेगा ? अभी तक आवटन न करने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम में ग्राम सभा की 55·80 एकड़ भूमि है जिसमें से कृषि योग्य भूमि 1·91 एकड़ ही है। इस भूमि को अनधिकृत कब्जा होने के कारण, अभी तक आवंटित नहीं किया गया। अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 22-बी के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णयोपरान्त नियमानुसार भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद जनपद की तहसील मंझनपुर के अलग-अलग गांवों की ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करके कब्जा दिलाये जाने की मांग

158—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की तहसील मंझनपुर के अलग-अलग गांवों (नामवार) में कितने-कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि आवंटन हेतु अवशेष है? इस भूमि को कब तक भूमिहीन हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों में आवंटित करके आवंटियों को कब्जा दिला दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खां—

इलाहाबाद जनपद की तहसील मंझनपुर में ग्राम समाज की भूमि निम्न ग्रामों में उसके सामने अंकित क्षेत्रफल में आवंटन हेतु अवशेष है—

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3
1	अलवारा	2·197
2	लौगवां	2·185
3	ऐलई उर्फ बक्सीपार	1·181
4	कुलौली	0·502
5	ऊनो	0·399
6	बरौलां	1·265
7	अन्धावा	0·591
8	निगहा	0·850
9	रक्सराई	1·346
10	मुस्तफाबाद	1·381
11	थाना उपरहार	2·288
12	सोनवारा	1·027
13	लोहकट उपरहार	1·068
14	महिला उपरहार	0·616
15	अवाना आलमपुर	1·963

1	2	3
16	हकीमपुर	1·883
17	गुरौली उपरहार	0·404
18	कोसम इमाम	2·645
19	बेरौंधा उपरहार	1·027
20	रसूलपुर सोनी	6·200
21	बजहा खुर्रमपुर	0·732
22	मलकिया	0·205
23	समदा	7·884
24	टेनशाह आलमाबाद	17·034
25	शरीफपुर	4·249
26	छिमिरछा	5·684
27	कुतुबपुर	3·641
28	ताजपुर	2·077
29	नसरुल्लापुर	0·383
30	नौबस्ता	0·411
31	सैबसा	3·240
32	टेवा	3·823
33	जजौली	7·973
34	गोबरसहाई	1·997
35	काबिराबाद	3·025
36	मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर	0·514
37	खोरा	14·820
38	ओसा	27·764
39	गौसपुर टिकरी	15·404
40	एदिलपुर	23·684
41	धवाड़ा	1·712
42	दानपुर	4·656
43	लोधौरा उर्फ कायमपुर	2·317
44	पथरा कलां	1·712
45	दुगौली	0·685
46	पश्चिम शरीरा	3·529
47	बरौली	5·208
48	कटरी	2·283

अवर पंजीयन विधान सभा

1	2	3
49	रसूलपुर सुकुवारा	0·850
50	बटवन्धुरी	8·355
51	महेश्वर	2·000
52	बरलहा	1·240
53	सोलेहपुर	13·680
54	बेरूई	4·450
55	मोहीउद्दीनपुर बेवछार	1·650
56	पड़रिया सुकुवारा	1·629
57	शाहपुर टिकरी	1·632
58	मोअज्जमपुर	7·475
59	तियरा जमालपुर	1·962
60	पिण्डरा सहावनपुर	9·348
61	साहिबपुर सेनरहा	3·274

उक्त भूमि को सम्बन्धित ग्रामों की भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर भूमिहीन हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों को पात्रता के आधार पर आवंटित करने तथा कब्जा दिलाये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

159—श्री शारदानंद अंचल—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

रत्ना चीनी मिल, शाहगंज (जौनपुर) पर गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने की कार्यवाही

160—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रत्ना चीनी मिल, शाहगंज (जौनपुर) पर अब तक किसानों का कुल कितना गन्ना मूल्य बकाया है? सरकार आज तक गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? कब तक समस्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो जायेगा?

श्री राम शरण दास—

कि रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज, जौनपुर पर अधिग्रहण से पूर्व तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 70·77 लाख रु0 बकाया है जिसका भुगतान उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत होना है। उक्त चीनी मिल का अधिग्रहण दिनांक 24 अप्रैल, 1989 को हुआ था। अधिग्रहण के बाद से लेकर अब तक (पेराई सत्र 1989–90 तक) उक्त चीनी मिल द्वारा देय समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

कोषागार, लखनऊ द्वारा सिंचाई, लो० नि० विभाग के प्रखण्डों का भुगतान रोका जाना एवं बिना आपत्ति दूर किये भुगतान करने का औचित्य

161—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार लखनऊ द्वारा सिंचाई, लो० नि० विभाग के कितने प्रखंडों का भुगतान माह जुलाई, 1990 में रोका गया ? क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त कोषागार द्वारा भुगतान रोका गया और पुनः बिना आपत्ति दूर किये भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उल्लिखित माह में लोक निर्माण विभाग के 5 खण्डों तथा सिंचाई विभाग के 3 खण्डों का भुगतान रोका गया था ।

शासनादेश संख्या ए-2-1967/दस-सा०सी०-83-14 (6)-83, दिनांक 15 जुलाई, 1983 के प्रस्तर 1(4) में कोषाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि यदि जिले के प्रभागीय लेखाकार/लेखाकारों द्वारा प्राप्तियों एवं भुगतानों की धनराशियों का मिलान का कार्य समय से न कराया जाय तो वे शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक को निर्देशित कर उस विभाग के बिलों का भुगतान बन्द करा देंगे । चूंकि प्रश्नगत विभागों के प्रभागीय लेखाकारों द्वारा प्राप्तियों एवं भुगतानों की धनराशियों का मिलान कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था अतः उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1983 के प्रस्तर 1(4) के अनुसार इन विभागों के भुगतान बन्द करा दिये गये थे, जैसे ही उक्त विभागों द्वारा माह जून, 1990 में निर्गत सांख सीमा तथा भुगतान की गई चेकों का तथा प्राप्तियों के लेखे का मिलान कोषागार में खण्डीय लेखाकारों द्वारा करा दिया गया वैसे ही उनके द्वारा निर्गत चेकों पर बैंक द्वारा भुगतान किये जाने के लिए कोषाधिकारी द्वारा निर्देशित कर दिया गया ।

चूंकि प्रश्नगत मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

162—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

तहसील व जनपद देवरिया के ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां स्थित पुरानी सड़क को छोड़कर बनाये गये नये सड़क में पड़ने वाले तत्सम्बन्धी किसानों को पुरानी सड़क की जमीन में अनुपात के हिसाब से भूमि का आवंटन

163—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा देवरिया बुद्धू खां तप्पा पटना, शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया में स्थित आराजी नम्बर 309 पूर्व में उक्त ग्रामसभा के पूर्वी सीमा से होकर जाने वाली पुरानी सड़क की जमीन रही है, जिसे सीधा करने के लिए उक्त आराजी नम्बर के बगल में स्थित आराजी नम्बरान 310, 315 व 332 की जमीन बगैर मुआवजा दिये सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया द्वारा अधिग्रहीत कर नयी सड़क बनवायी गई है जो कि उक्त नम्बरान के खातेदारों के खातों में अब भी उनके नाम में चली आ रही है ? यदि हां, तो नयी सड़क बनवाने के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन पर सड़क का नाम दर्ज करने तथा उसके बदले आराजी नम्बरान 310, 315,

332 आदि नम्बरान के मालिकान के काश्त के बगल में स्थित आराजी नम्बर 309 की पुरानी सड़क की जमीन पर (जिस पर उक्त व्यक्तियों का तीसों साल से कब्जा चला आ रहा है) आराजी नम्बर 310, 315, 332 आदि के मालिकान का नाम व कब्जा उनके हिस्से के अनुपात में दर्ज करने हेतु आदेश दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

ग्रामसभा देवरिया बुद्धू खां तप्पा पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया में स्थित आ0 नं0 309 पूर्व में उक्त ग्रामसभा की पूर्वी सीमा से होकर जाने वाली पुरानी सड़क की जमीन रही है । यह कहना सही है कि इसे सीधा करने के लिए उक्त 309 आ0 नं0 के बगल में स्थित आ0 नं0 310, 315 व 332 की जमीन पर नयी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गई है । अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 विभाग की आख्या के अनुसार सड़क को सीधा करते समय भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही नहीं की गई थी । सड़क सीधा करने के कारण पुरानी सड़क के आ0 नं0 309 में जो क्षेत्रफल शेष बचा है, उसे प्रभावित व्यक्तियों को आनुपातिक रूप से दिया जाना उचित है तथा यथा शीघ्र दिया जायेगा । आराजी नम्बरान 310, 315 व 332 के खातेदारों में से पुरानी सड़क के बचे क्षेत्रफल में काबिज कुल 16 व्यक्तियों के नाम अंकित करने की कार्यवाही की जायेगी । अवशेष 10 खातेदारों को अलग से भूमि देने पर कानूनी जटिलता होगी । अतः इन खातेदारों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुआवजा दिलाया जायेगा ।

यह सभी विधिक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाएगी ।

164—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[दिनांक 22 जनवरी, 1991 को अता0 प्र0 संख्या 28 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद बाराबंकी में मिटरिया हैदरगढ़ राजमार्ग पर चलने वाली बसों की संख्या एवं उन्हें नियमित चलाये जाने की मांग

165—श्री तीरथ राज—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में मिटरिया हैदरगढ़ के राजमार्ग पर कुल कितनी बसें चल रही हैं ? क्या यह सही है कि सन्दर्भित राजमार्ग पर चलने वाली बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या बसों को नियमित चलाने हेतु स्पष्ट आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी लखनऊ से मिटरिया हैदरगढ़ बस चलवाने हेतु व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

जनपद बाराबंकी के मिटरिया-हैदरगढ़ मार्ग पर तीन बसों द्वारा 14 ट्रिप संचालित किये जा रहे हैं ।

विगत माहों में सावन झूला मेला, सफर मेला (देवा), कजली तीज मेला, आरक्षण विरोधी आन्दोलन, देवा मेला, रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद होने के कारण बाराबंकी मार्ग बन्द रहने एवं कर्फ्यू आदि के कारण संचालन अव्यवस्थित रहा है । नियमित संचालन हेतु निगम स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

इस मार्ग से हंदरगढ़ की दूरी 97 कि0 मी0 पड़ेगी जबकि लखनऊ से सीधे हंदरगढ़ 53 कि0 मी0 है । अतः प्रस्तावित सेवा का संचालन निगम हित में नहीं है । इसके अतिरिक्त लखनऊ-हिटरिया तथा हिटरिया-हंदरगढ़ मार्ग पर पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं ।

जनपद बांदा के तहसील बांदा एवं कर्वी के चकबन्दी-शुदा गांवों के हजारों परवाने का अमल-दरामद होना एवं उनके शीघ्र निस्तारण की मांग

166—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या राज्य मन्त्री को जानकारी है कि बांदा जनपद के तहसीलों बांदा एवं कर्वी के चकबन्दी शुदा गांवों के हजारों की संख्या में परवाना अमलदरामद पड़े हुये हैं और काश्तकारों को उनकी नकल खतौनियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में कितने ऐसे अमलदरामदों के मामले बगैर अमल दरामन पड़े हैं ? क्या उन्हें शीघ्र निस्तारित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद बांदा के तहसील कर्वी एवं बांदा में चकबन्दी शुदा गांवों में एक भी परवाने अमलदरामद (नियम 109-क) के अवशेष नहीं हैं । जो कृषकगण अपनी खतौनियों की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देते हैं उन्हीं को नियमानुसार नकलें जारी की जाती हैं । परवानों के निस्तारण में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है । नियमानुसार त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है ।

बुन्देलखण्ड को विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र की भांति अलग से से बजट देने हेतु केन्द्र सरकार से संस्तुति करने की मांग

167—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड को उसके विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र की भांति अलग से बजट देने के लिए प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार से संस्तुति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

जी नहीं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये शासन पहले से ही विचारशील है तथा बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन वर्षों पहले किया जा चुका है, जो अब भी क्रियाशील है । इसके अतिरिक्त "बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय संतुलित विकास निधि" के माध्यम से क्षेत्र विशेष के विकास के लिये वर्तमान वर्ष में धनराशि सुलभ कराई जा रही है ।

गांव लाक्षेरामपुर, परगना पन्द्रहा तहसील व जिला वाराणसी में महाल केशरी हिन्द मुन्दर्जे मदरसा के नाम दर्ज जमीन का विवरण

168—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लछिरामपुर, परगना पन्द्रहा तहसील व जिला वाराणसी में आ0 नं0 443-31 व 444/3-3-50 व 464/2-3-50,

गाटा नं0 3 रकबा 6-31 एकड़ महाल केसरी हिन्द मुन्दर्ज मदरसा जो नाम जेड ए0 खतौनी को है ? क्या उस पर जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट तथा चकबन्दी ऐक्ट नहीं लागू होता है ? क्या यह सरकार की जमीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस नाम जेड खतौनी की जमीन पर चकबन्दी विभाग ने दूसरे का चक काट दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसे बचायेगी ? क्या यह सही है कि सन 62 फ0 तक नाम जेड0 ए0 की खतौनी उक्त गांव की नहीं है और उसके पन्ने फाड़ लिये गये हैं और खतौनी के ऊपर फिहरिस्त पर फ0 1361 लिखा है और 1362 फ0 लाल स्याही से बनाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

लागू नहीं होता है ।

यह भूमि महाल केसरी हिन्द मुन्दर्ज मदरसा के नाम दर्ज है ।

नाम जेड0 ए0 की खतौनी प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत भूमि को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम व चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत मानते हुए जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23(1) ग्राम लछिरामपुर के चक संख्या 306 तथा चक संख्या 277 में विवादित गाटा सं0 464/2 की 2.07-1/2 एकड़ भूमि प्रविष्ट की गई है ।

नाम जेड0 ए0 भूमि पर चकबन्दी अधिनियम लागू नहीं होता है । सम्बन्धित पक्ष न्यायालय से निदान करा सकता है ।

फ0 1362 की नाम जेड0 ए0 खतौनी उपलब्ध है । इस खतौनी में वर्ष 1361 लिखा होना प्रतीत होता है जिसमें 136 के आगे लाल स्याही से अंक 2 अंकित किया गया है । वस्तुतः यह खतौनी वर्ष 1362 फसली की है जो एक पन्ने की ही बनाई गयी थी। इसमें से कोई पृष्ठ फाड़ा नहीं गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खसरा संख्या 185 ग्राम इरावत नगर (सीतापुर रोड) परगना व तहसील सदर, जनपद लखनऊ की भूमि कलेन्डर वर्ष में दर्ज करने की मांग

169--श्री राम पाल वर्मा--

विधान सभा तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार के अतारां0 प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि राजस्व खसरा संख्या 185 ग्राम इरावतनगर, सीतापुर रोड, परगना व तहसील सदर, लखनऊ की भूमि कलेण्डर वर्ष 1975 से 1990 (1382 फसली से 1397 फसली तक) के मध्य राजस्व खसरा कालम 18 व 19 में कृषक या अकृषक (आबादी) में से कौन सी भूमि श्रेणी दर्ज है ? जिलाधिकारी, लखनऊ ने प्रश्नगत ग्राम की खसरा संख्या 182 से 185 तक की भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवासीय योजना के लिये कब-कब हस्तानान्तरित की है या हस्तानान्तरण का प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है और उसमें क्या कार्यवाही हुयी है ? क्या श्रेणी-1 सीर भूमिधर को ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ग्राम इरावतनगर, परगना व तहसील लखनऊ का 1382 फ0 का खसरा 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् नष्ट कर दिया गया है ।

1383 फ0 से 1394 फ0 के खसरा में भूमि संख्या 185 कृषक भूमि दर्ज है ।

1395 फ0 से 1397 फ0 के खसरा में भूमि संख्या 185 स्तम्भ-19 में आबादी दर्ज है।

प्रश्नगत ग्राम की खसरा संख्या 182 से 185 तक की भूमि का अर्जन नहीं किया गया है और न ही इस भूमि का कोई प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भेजा गया है।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत सीरदार जिनको भूमिधरी अधिकार प्राप्त हुए हैं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है।

जनपद लखनऊ के ग्राम इरादत नगर (सीतापुर रोड) की नजूल भूमि की पैमाइस करने की मांग

170—श्री राम पाल वर्मा—

विधान सभा तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार के अतारां0 प्रश्न संख्या 137 के सन्दर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि किस अधिसूचना के द्वारा ग्राम इरादतनगर, सीतापुर रोड परगना व तहसील सदर, लखनऊ की भूमि को लखनऊ शहर में सम्मिलित किया गया है ? प्रश्न-ग्राम की खसरा संख्या 182 से 185 तक की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण या सरकार ने आवासीय योजना के लिये अधिग्रहण की अधिसूचना कब-कब जारी करके अखबार या गजट में प्रकाशित करवायी है ? क्या मंत्री जी प्रकाशन की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से अगस्त 90 तक किन-किन भू स्वामियों के मानचित्र अर्जन अनुभाग, विकास प्राधिकरण में प्राप्त हुये हैं ? उन पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रहा है ? यह कब तक जारी किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी, 1959 द्वारा।

ग्राम इरादत नगर के खसरा संख्या-182 से 185 की आवासीय योजना की भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है।

ग्राम इरादत नगर के खसरा संख्या 182 से 185 तक की भूमि पर निर्माणार्थ दिनांक 1 जनवरी, 1989 से अगस्त, 1990 तक मात्र एक मानचित्र प्राप्त हुआ, जिसका निस्तारण किया जा चुका है। खसरा संख्या 182 से 185 तक की भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचनाओं का प्रकाशन शीघ्र सम्भावित है अतः मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बगईकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के किसानों के चकों की पैमाइस के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं उस पर कार्यवाही

171—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बगईकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के किसानों के चकों की पैमाइश के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अगस्त, 1990 जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां। मुख्य शिकायत यह की गई है कि श्री मिट्ठू पुत्र तेलू ग्राम बगईकपुर विकास खण्ड हरैया के खेत से होकर जबरदस्ती ग्राम प्रधान ने चक रोड पटवा दिया है। लेखपाल ने पैमाइश किया था जिसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त शिकायत की जांच जिला स्तर पर नायब तहसीलदार द्वारा कराई गई। नायब तहसीलदार ने स्थल पर जाकर चकरोड का पैमाइश कराया। पैमाइश से यह पाया गया कि मिट्ठू पुत्र तेलू के खेत का कुछ भाग प्रधान द्वारा चकरोड में शामिल करके पटवा दिया गया है, उसे माप करके सीमांकित कर दिया गया है तथा मिट्ठू के खेत का जो भाग चकरोड में शामिल किया गया है उसे छोड़वा दिया गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा, अलीगढ़ के प्रधान प्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के विरुद्ध थाना जवां जिला अलीगढ़ में हरिजन कर्मचारियों की पिटाई के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट एवं कार्यवाही

172--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा, अलीगढ़ के प्रधान प्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के विरुद्ध दिनांक 22 मार्च, 1990 को थाना जवां, जिला अलीगढ़ में हरिजन कर्मचारियों की पिटाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां।

प्रधान प्रबन्धक, श्री आर0 एल0 त्रिपाठी तथा श्री प्रेमपाल द्वारा समझौता कर लिये जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, हाथरस, जिला अलीगढ़ की जांच भ्रष्टाचार के बाबत श्री आर0 सी0 यादव ओ0 दस0 डी0 स्टाफ एवं निबन्धक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

173--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, हाथरस, जिला अलीगढ़ की कोई जांच भ्रष्टाचार के बाबत श्री आर0 सी0 यादव मो0 दस0 डी0 स्टाफ एवं निबन्धक द्वारा 14 मार्च, 1990 को हाथरस आकर की गयी थी जिसकी रिपोर्ट 20 मार्च, 1990 को सचिव संस्थागत वित्त को उन्होंने सुपुर्द कर दी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुये तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उपर्युक्त प्रारम्भिक जांच के आधार पर सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है और सम्बन्धित उप-निबन्धकगण सर्वश्री सुशील चन्द्र गुप्ता व तलमीज हुसैन जैदी तथा निबन्धक लिपिक श्री शिवकुमार सिंह चौहान को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा अलीगढ़ के महाप्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के भ्रष्टाचारों की जांच

174—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 मार्च, 1990 को अलीगढ़ के जिला अधिकारी ने दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा अलीगढ़ के महाप्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुये ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी और देरी का कारण क्या है ?

श्री राम शरण दास—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा के प्रधान प्रबन्धक श्री आर0 एल0 त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच जिला अधिकारी के स्तर से कराई गयी है । जांच रिपोर्ट प्रबन्धक निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ को प्राप्त हो गयी है । जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाये जाने एवं जनपद शाहजहांपुर में रौजा-तिलहर एवं पुवायां चीनी मिलों की क्षमता दो गुनी किये जाने की योजना

175—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुयी पैदावार को देखते हुये यथा गन्ना उत्पादकों को सरकारी मूल्य दिये जाने की घोषित नीति के सम्बन्ध में चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या जनपद शाहजहांपुर में रौजा-तिलहर एवं पुवायां चीनी मिलों की क्षमता दो गुनी किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब से कार्यवाही प्रारम्भ होगी ?

श्री राम शरण दास—

वर्तमान समय में प्रदेश की 105 चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता 177921 टी0 सी0 डी0 है । 75 चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त हो गये हैं जिसके बढ़ जाने पर प्रदेश की चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता 291115 टी0 सी0 डी0 हो जायेगी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश की कुल पेराई क्षमता 3·35 लाख टी0 सी0 डी0 तक बढ़ाने का लक्ष्य है ।

जनपद शाहजहांपुर की तिलहर तथा पुवायां चीनी मिलों की क्षमता 1250 से 2500 टी0 सी0 डी0 अर्थात् दो गुनी करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद शाहजहांपुर में निजी क्षेत्र की रोजा चीनी मिल की पेराई क्षमता 1000 टी0 सी0 डी0 की है, जिसके क्षमता विस्तार का कोई प्रस्ताव प्रदेश सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

176—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

दादरी जनपद गाजियाबाद में पालीटेक्निक संस्थान खोलने का प्रस्ताव

177—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी जनपद गाजियाबाद में एक पालीटेक्निक संस्थान के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ? क्या शासन उपरोक्त संस्थान का निर्माण शीघ्र करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद में सिविल, यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रमों के साथ चूंकि एक राजकीय पालीटेक्निक पहले से ही स्थापित है, इसलिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसी जनपद में एक अन्य पालीटेक्निक खोलने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है ।

178—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद वाराणसी के तहसील भदोही स्थित ग्राम मण्डा के कतिपय कृषकों की जमीन जो पूर्व में परती थी में उगी फसल को वहां के प्रधान द्वारा काट लेने की शिकायत

179—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 नं0 619 ता0 फैसला 31 अक्टूबर, 1987 ग्राम मण्डा, तहसील भदोही, जिला वाराणसी के खाता संख्या 530 के गाटा संख्या 748 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 15 धूर; व 781 रकबा 5 बिस्वा 17 धूर, व 403 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 19 धूर पर से नदी परती का इन्द्राज खत्म करके उस पर मिठाई लाल, अमृत राम, अमरनाथ पुत्रगण राम लखन, निवासी मण्डा का नाम बतौर कृषिकीय भूमिधर दर्ज करने व लगान नये नियमों के अनुसार निर्धारित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर सभापति तथा अन्य लोगों ने जबरदस्ती फसल काट लिया और स्कूल की इमारत बना रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के तहसील मुहम्मदाबाद गोहना मुख्यालय में पालीटेक्निक विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

180—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 17 अगस्त, 1990 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जो जनपद मऊ के तहसील मुहम्मदाबाद गोहना मुख्यालय में पालीटेक्निक विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जनपद मऊ के तहसील मुहम्मदाबाद गोहना में पालीटेक्निक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नकर्ता को शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 1990 के पत्र द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि वर्तमान परिस्थितियों में जनपद मऊ के तहसील मुहम्मदाबाद गोहना मुख्यालय में अभी पालीटेक्निक खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद जालौन की तहसील जालौन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को आवासीय पट्टों का वितरण

181—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की तहसील जालौन में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को आवासीय तथा जोत पट्टों का वितरण नहीं किया गया ? क्या इन गांवों में पट्टों के वितरण की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद जालौन की तहसील जालौन में संलग्न सूची† के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को आवासीय पट्टों के वितरण हेतु 249 ग्राम तथा कृषि पट्टों के वितरण हेतु 217 ग्राम शेष हैं ।

जी हां, उपरोक्त अवशेष ग्रामों में पट्टों के वितरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी ।

ग्राम कटघरा शंकर, तहसील घोसी, जनपद मऊ की जनता की तरफ से प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र पर कार्यवाही एवं ग्राम सभा को चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर किये जाने की मांग

182—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ ग्राम कटघरा शंकर, तहसील घोसी, जनपद मऊ की जनता की तरफ से आवेदन-पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1990 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि 14 वर्ष के बाद भी इस ग्राम सभा को चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक इस ग्राम सभा को चकबन्दी से बाहर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

चकबन्दी आयुक्त को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

सम्भवतः प्रश्न का आशय वहां चकबन्दी पूर्ण कर चकबन्दी प्रक्रियायें समाप्ति की घोषणा से है । सम्बन्धित ग्राम के अंतिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य प्रगति में है ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में जो0 च0 अ0 की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन कराये जाने हेतु इस ग्राम को लक्ष्य में रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा कुवल पुरवा, तहसील घोसी, जनपद मऊ में चकबन्दी कराये जाने की मांग

183—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ ग्राम सभा कुवलपुरवा, तहसील घोसी, जनपद मऊ की जनता की तरफ से संलग्न पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1990 सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? जिसमें यह मांग की गयी थी कि ग्राम कुवलपुरवा में तत्काल चकबन्दी करायी जाये ? यदि हां, तो पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

ग्राम कुलपुरवा नहीं है, बल्कि ग्राम कुवरपुरवा, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी, जनपद मऊ है ।

नियमान्तर्गत उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ।

गांव दहेली सुजानपुर, परगना कानपुर, जनपद कानपुर में शिव नारायन पुत्र कतलू के नाम वर्तमान व दस साल पूर्व भूमि का विवरण

184—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दहेली सुजानपुर, परगना कानपुर, जनपद कानपुर में शिव नारायन पुत्र कल्लू के नाम फसली सन् 1392 के वर्तमान समय में कुल कितनी भूमि है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान फसली सन् 1392 के दस साल पूर्व कल्लू के नाम उसी गांव में कितनी भूमि थी ? दोनों व्यक्तियों के नाम वाली भूमि की भूमि संख्या क्या-क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

1392 फसली में कोई भूमि नहीं थी ।

कोई भूमि नहीं थी ।

केवल शिवनारायन के पास निम्नलिखित भूमि है :—

खाता सं0	भूमि सं0
1	2
232	1963—मि0
753	937—मि0
85	150
	16
	33
159	1547
	1604
	1613
	1628
	1789
	1805
	1806
	1905
	1908
	1910
	1914
	1983
	1985

185—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री जे0 पी0 त्रिपाठी प्रबन्धक, पर्यटक आवास गृह महोबा, हमीरपुर की प्रोन्नति प्रबन्धक (ग्रेड प्रथम) पद पर न किये जाने का कारण

186—श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल—

क्या पर्यटन मंत्री को ज्ञात है कि श्री जे0 पी0 त्रिपाठी प्रबन्धक, पर्यटक आवास गृह महोबा, हमीरपुर की प्रोन्नति अभी तक प्रबन्धक (ग्रेड प्रथम) पद पर नहीं हुयी है और उनसे कनिष्ठ चार प्रबन्धकों की प्रोन्नति ढाई वर्ष पूर्व कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? श्री त्रिपाठी की प्रोन्नति कब तक एवं किस तिथि से होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती सुलक्षा मिश्रा—

जी हां।

सेवा नियमावली के अनुसार प्रबन्धक (ग्रेड प्रथम) के पद पर प्रोन्नति का आधार श्रेष्ठता है। चयन समिति ने श्रेष्ठता के आधार पर श्री त्रिपाठी की प्रोन्नति हेतु संस्तुति नहीं की।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में श्री त्रिपाठी की प्रोन्नति पर विचार करने हेतु प्रबन्धक (ग्रेड–1) का कोई पद उपलब्ध न होने के कारण प्रोन्नति की सम्भावित तिथि के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

ग्राम हाजीपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में पानी का निकास अवरुद्ध किये जाने के कारण घरों में पानी घुसने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

187—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हाजीपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में पानी का निकास अवरुद्ध किये जाने के कारण पचास घरों में पानी घुसने तथा फसल के क्षतिग्रस्त होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3–8–1990 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां। प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र में प्रमुख शिकायत यह है कि ग्राम हाजीपुर (कुर्मियान का पुरा) का पानी का निकास गाटा सं0–1594 से होना था, जिसे कुछ व्यक्तियों ने पाटकर पानी का निकास अवरुद्ध कर दिया है। पानी अवरुद्ध हो जाने से पचास घरों में पानी घुस गया है तथा उसमें से अधिकांश मकान ध्वस्त हो गये, तथा शेष ध्वस्त होने की स्थिति में हैं। 25 बीघा धान की फसल भी नष्ट हो गयी है।

उपरोक्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि शिवजोर पुत्र नाथे नामक व्यक्ति ने नाली पाट दी थी, जिससे बरसात का पानी अवरुद्ध हो गया था। नायब तहसीलदार ने ग्राम वासियों की मदद से पानी के बहाव का रास्ता खुलवाया और पानी निकल गया।

ग्राम हाजीपुर में पानी के निकासी रोकने के फलस्वरूप 10 आवासीय मकान आंशिक रूप से तथा 11 गैर आवासीय छप्पर प्रभावित हुये थे। ग्राम में बाढ़ से प्रभावित 58 व्यक्तियों को 100 रु0 प्रति की दर से 5800 रु0 अहैतुक सहायता व 10 व्यक्तियों को 250 रु0 प्रति की दर से 2500 रु0 गृह अनुदान दिया गया है।

188—श्री दयाराम भास्कर—

[दिनांक 22–1–91 को अता0 प्र0 सं0 113 द्वारा उत्तरित]

हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दीक्षित आयोग का गठन एवं कार्यवाही

189—श्री नकली सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बीच जहां यमुना नदी बहती है, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दीक्षित आयोग का गठन हुआ था और आयोग ने सीमा निर्धारण के आधार बिन्दु तय कर दिये थे ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य के बीच परिवर्तनशील सीमा (फ्लक्चुएटिंग बाउन्ड्री) होने के कारण उत्पन्न सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दीक्षित आयोग का गठन हुआ था। आयोग ने दोनों राज्यों के बीच स्थायी सीमा निर्धारित कर दी।

आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से सीमा स्तम्भ लगा दिये गये।

190—श्री ऊदल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

191—श्री शारदानंद अंचल—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद कानपुर नगर में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से सुन्दरीकरण के नाम पर व्यय धन का विवरण एवं मकानों को गिराये जाने का औचित्य

192—मोती लाल देहलवी—

सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या जनपद कानपुर नगर में विश्व बैंक के धन की सहायता से सुन्दरीकरण करने के नाम पर दुकानों व मकानों को गिराया गया है ? यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इसके लिए अब तक कुल कितना धन प्राप्त हो चुका है और उसमें से कितना धन किस-किस मद में खर्च हो चुका है तथा कितना धन शेष है ? दुकानों व मकानों के गिराये जाने का उद्देश्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कानपुर नगर में सौन्दर्यीकरण के नाम पर कोई भवन व दुकान नहीं गिराये गये तथा इस हेतु विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये सरस्वती पुरम आवास कालोनी, रायबरेली रोड लखनऊ का निर्माण

193—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये सरस्वती पुरम् आवास कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ का निर्माण अवैधानिक है ? यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये, किये गये अवैधानिक निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) व 28(1) के अन्तर्गत नोटिस दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

194—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन गंगाराम पुत्र जगरूप, निवासी आलमबाग, लखनऊ द्वारा अवैधानिक रूप से ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति के नाम पर रजिस्ट्री एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही

195—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन गंगाराम पुत्र जगरूप, निवासी आलमबाग, लखनऊ ने बिना जिलाधिकारी के आज्ञा पत्र के हंबतमऊ मवया की 50 बीघा लगभग जमीन दिनांक 10 जनवरी, 1989 को सब रजिस्ट्रार मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति के नाम रजिस्ट्री करवाई थी ? यदि हां, तो शासन इस अवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, किन्तु श्री गंगाराम द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय पत्र का निबन्धन स्टाम्पों की कमी के कारण स्थगित है।

जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार निबन्धन न होने के कारण अवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ कार्यवाही का स्तर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166/167 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार द्वारा राम की पैड़ी की तरह सरयू नदी के किनारे सुन्दरीकरण की मांग

196—श्री रमापति शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अयोध्या में राम की पौड़ी की तरह सरयू नदी के किनारे का सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। सरयू नदी के दूसरे किनारे का भाग अयोध्या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से बाहर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में आज कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से इलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं, जिनमें पहली श्री मनोहर लाल, दूसरी श्री धर्मज्ञ मिश्रा, तीसरी श्री निरवेन्द्र कुमार चौथी श्री विजय सिंह राणा, पांचवीं श्री किशन गोपाल, छठी श्री अकबर हुसेन बाबर और सातवीं श्री राम लखन वर्मा की हैं।

यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाएं।

(सदन की अनुमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद उन्नाव की ग्राम सभा परिसर में भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पट्टा न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल--

[मान्यवर, 8 अक्तूबर, 1990 को उन्नाव जनपद की एक सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हरिजन एवं भूमिहीनों को लगभग 500 बीघा गांव समाज की जमीन के पट्टों का वितरण किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि पट्टों के वितरण के साथ-साथ जमीन का कब्जा लाभार्थियों को दे दिया जायेगा। बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि गांव सभा परिसर ही नहीं अन्य गांव सभा के पट्टों द्वारा बांटी गयी जमीन पर अब तक प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिलाया गया। अभी भी उन जमीनों पर बड़े असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से शीघ्र कार्यवाही करके पट्टा धारकों को कब्जा दिलाये जाने की पुरजोर मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मज्ञ मिश्र--

[महोदय, हरदोई के 91--मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाली जनता को आवागमन का महान संकट है। पुलों के अभाव में वर्षा ऋतु में आवागमन का साधन निम्नांकित पुलों के निर्माण के न होने के अभाव में बन्द हो जाता है जिससे जनमानस में आक्रोश पैदा है। 47 वर्ष आजादी के व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस क्षेत्र में पुलों का निर्माण नहीं हो पाया है :

(1) नसीरगर लालपुर ग्राम सभा भसूड़ा के सामने अकड़रिया नाला पर पुल का निर्माण, (2) माधोगंज मेंहटीघाट रोड पर नई बस्ती ग्राम के पास छिगरी तालाब पर पुल का निर्माण, (3) ग्राम बढ़नवां के मजरा घेघड़ंगा के पास हथौड़ा ड्रेन पर पुल का निर्माण (4) ग्राम इसरापुर के पास देवीपुरवा के सामने हथोड़ा ड्रेन पर पुल का निर्माण, (5) मल्लावां बेरिया नजीरपुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम करवा के पास नदी पर पुल का निर्माण, (6) मल्लावां से तेजीपुर रोड पर ग्राम ततोहिया के पास नदी पर पुल का निर्माण (7) बिनग्राम रजवहा पर ग्राम कुंदरौली के पास पुलिया का निर्माण, (8) सोनहार

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजबहा पर ग्राम डूमायूपुर के पास पुलिया का निर्माण, (9) कुरसठ टाउन एरिया के सामने भैंसा नदी पर पुल का निर्माण ग्राम मिर्जागंज के पास (10) मल्लावां से शाहपुर पंवार को जाने वाली सड़क से गंगा जी पर अंकित घाट पर लोहे के पीपों का पुल का निर्माण, (11) ग्राम कुतुवापुर व भगतपुरे के बीच में हथौड़ा डेन पर पुल का निर्माण, (12) ग्राम नेवादा परस के सामने अखडरिया नाला पर पुल का निर्माण ।

मान्यवर मेरे क्षेत्र में पुलों के निर्माण न होने के कारण क्षेत्र की जनता तथा बाहर क्षेत्र से आने-जाने वाली जनता में भीषण संकट उत्पन्न है । अतः यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । ऐसी दशा में सदन के संज्ञान में लाना अतिआवश्यक है । इस प्रश्न पर चर्चा करना भी अति आवश्यक है जिससे उक्त स्थानों पर पुलों का निर्माण पूरा कराया जा सकें ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र कुमार "मुन्ना"—

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र 72—निघासन, जनपद खीरी में विद्युत् विभाग खण्ड 2 व खण्ड 2 द्वारा वर्ष 1989-90 में पूर्ण किए जाने वाले ग्रामों में विद्युत् लाइनें नहीं खींची गयी हैं तथा न ही 1990-91 में स्वीकृत ग्रामों में विद्युत् लाइनें खींचने का कार्य हो रहा है । अतः मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 72—निघासन में स्वीकृत ग्रामों में विद्युत् प्रकाश की लाइनें खिचवाने को कष्ट करें ।]

आगरा महानगर में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा—

[मान्यवर, आगरा नगर में सफाई की व्यवस्था की बहुत ही दुर्गति है विशेषकर नालों की सफाई तो कभी नाम मात्र को भी नहीं होता । फलतः नाले कूड़ा, कचरा और मलवे से पटे पड़े हैं । इनमें बुरी तरह दुर्गन्ध दौड़ती है । सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है और आस-पास की बस्तियों और घरों में रहने वाले लोगों का सामान्य रूप से जीना कठिन हो रहा है, इन नालों में मच्छरों का जमाव और प्रकोप है । अतः शहर में मलेरिया तथा अन्य प्रकार की बीमारियां घर कर गयी हैं । इससे सम्पूर्ण शहर की जनता बेहद दुःखी है और संप्तत है ।

इसमें विशेष रूप से सेण्ट जान्स कालेज के चौराहे से लोहामण्डी की ओर जाने वाली सड़क के किनारे लोहामण्डी रेलवे पुल तक के नाले की स्थिति तो बहुत ही खराब है । इस नाले में न बरसात से पहले सफाई हुई और न बाद में अतः पूरा नाला कूड़ा कचड़ा और मलवा से भरा पड़ा है । गन्दगी का अखण्ड साम्राज्य स्थापित है अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जनता बेहद दुःखी है ।

मैं आप के माध्यम से इस अति अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर शासन से नालों की सफाई की तुरन्त व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा महानगर के आगरा पश्चिमी क्षेत्र के थाना शाहगंज में लूटपाट की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल—

[मान्यवर, आगरा पश्चिमी क्षेत्र के थाना शाहगंज के अन्तर्गत अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री, लूटमार, चोरियां, राहजनी, कत्ल व हत्यायें होती रहती हैं। शासन व प्रशासन मूक दर्शक की तरह बैठे रहते हैं। ये घटनायें आये दिन घटती रहती हैं। हत्यारों व शरारती तत्वों का इस तरह आतंक है कि चाहे जब चाहे जहां इस शाहगंज क्षेत्र में अपनी योजना में सफल हो जाते हैं। कोई सप्ताह महीना या दिन ही जाता होगा जिस दिन इस क्षेत्र में कोई हो घटना न हो।

आपसे अनुरोध है किसी भी तरह इस क्षेत्र को शान्त क्षेत्र बनाने हेतु कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें व क्षेत्र की रिपोर्ट भी मंगवा ले।]

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर स्थित विभिन्न न्यायालयों को फैजाबाद मुख्यालय में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसेन बाबर—

[मान्यवर, तहसील टाण्डा एवं जलालपुर के मध्य में स्थित तहसील अकबरपुर में कुछ मुख्य न्यायालय फैजाबाद मुख्यालय से स्थानान्तरित करने हेतु।—

फैजाबाद जनपद पूरब पश्चिम लम्बा स्थित है, जनपद में कुल पांच तहसीलें हैं पूर्वांचल की किसी तहसील से मुख्यालय की दूरी कम से कम 65 किलो मीटर की है। जनपद 70% जनता पूर्वांचल की उपरोक्त तीनों तहसीलों में बसती है। अकबरपुर तहसील से टाण्डा और जलालपुर तहसीलें 20 किलो मीटर की दूरी पर स्थित हैं। टाण्डा एवं जलालपुर तहसीलों के पूर्वांचल से जनपद फैजाबाद मुख्यालय की दूरी 130 किलोमीटर से भी अधिक है। फैजाबाद जनपद के पूर्वांचल के अधिवक्ता वर्ग एवं आम जनता में इस बात का संघर्ष चल रहा है कि सस्ता न्याय पाने हेतु अकबरपुर तहसील परिसर में जनपद मुख्यालय से निम्न न्यायालय स्थानान्तरित कर दिया जाय।

इस प्रश्न को लेकर अधिवक्ता वर्ग एवं आम जनता में भीषण असन्तोष व्याप्त है।

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि निम्न न्यायालयों को फैजाबाद मुख्यालय से अकबरपुर तहसील परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाय।]

जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्र में मियाव ब्लाक के कतिपय ग्रामों में नील गायों द्वारा फसलों को क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन वर्मा—

[मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित लोक महत्व का मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर इस प्रकार प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर व मियांव विकास क्षेत्र के गांवों में इन दिनों नील गायों का आतंक व्याप्त है। झुण्ड के झुण्ड नील गाय खेतों में पहुंचकर गेहूं, चना, मटर, अरहर तथा सब्जियों की फसल नष्ट कर दे रहे हैं। नील गायों के मारने पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण किसान मूक दर्शक हो अपनी फसल की बर्बादी देख रहे हैं।

ग्राम सभा बड़ागांव, असरफपुर भुवा, सेखूपुर, उफरौली, बुढ़ी ताल, गोरा कमाल, इस्माईलपुर, कन्नूपुर पेटिया, जमौली, भसमा, पलिया आश्रम रकुनुद्दीनपुर नारायनपुर आदि गांवों में किसानों की काफी फसलें नील गाय खा चुके हैं।

उपर्युक्त मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर इस पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 में पहली सूचना श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री की है जो जनपद गाजीपुर में आतंक, हत्या, लूट और डकैती के बारे में है। इस पर मैं शान्ति व्यवस्था पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं और आपको अनुमति नहीं देता हूं।

इसी तरह से दूसरी सूचना श्री बंसत लाल गुप्ता की, तीसरी सूचना श्री अमरनाथ यादव की और चौथी सूचना श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की है। इन पर भी मैं अनुमति नहीं देता हूं चूंकि महत्वपूर्ण यह विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिये आप जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। आप बैठ जायं। मैं 311 में आपको अनुमति नहीं देता हूं।"

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[× × ×]

(व्यवधान)

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बनी प्रसाद वर्मा)--

नियमों का आप पालन करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

311 में मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बन रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी माननीय सदस्य के 311 को अनुमति नहीं दी है। शान्ति व्यवस्था के बारे में जो था, उस पर मैंने कहा है--एक घंटे की चर्चा समय में शान्ति व्यवस्था पर दिया है।

(व्यवधान)

सुन्दर लाल दीक्षित जी आपका मामला भी उसी में आ जायेगा।

(व्यवधान)

आप बोल लीजिये, बोलते रहिये, किन्तु वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, हमारे यहां हरदोई में जो बन्ना किसानों का मामला है, उसमें बताइये।

(व्यवधान)

दिनांक 22 फरवरी, 1991 को जनता दल कार्यकर्ताओं पर हुये लाठी चार्ज के मामले की जांच की मांग

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन में बयान दिया, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। मुख्य मन्त्री जी पूरे सदन के नेता हैं, लेकिन कल जो उन्होंने कहा, ऐसा लगता था कि उन्होंने एक दरोगा की तरह इस बात की पुष्टि कर दी कि जो वहां से रिपोर्ट आयेगी

श्री अध्यक्ष--

आप किस नियम में बोल रहे हैं, यह जरा बता दें?

नोट--[×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

कल जब आपके कक्ष में मुख्य मन्त्री जी से वार्ता हुयी थी, तो यह तय हुआ था तो यहां पर मुख्य मन्त्री से मेरा आग्रह है कि वह दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे देखें। उनको यह बात दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देखनी चाहिये। हम तो यह मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिये, आप कह रहे हैं कि जांच में यदि आपके कोई विधायक दोषी होंगे तो उस पर कार्यवाही हो सकती है।

(व्यवधान)

लेकिन जांच न कराना कहां तक ठीक है? मैं यह बात चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से, जहां तक संसदीय कार्य मन्त्री का सम्बन्ध है वह भी इस बात से सहमत हैं कि जांच हो। तो मुख्य मन्त्री जी इस बात के निर्देश दें कि इस मामले में जांच की जाये, जिससे यह सदन शान्तिपूर्ण तरीके से चले।

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह हमारे परम मित्र में से हैं और इस सदन के भी वरिष्ठ लोगों में से हैं, और साथ ही वह नियम और प्रक्रिया सबके पूरे जानकार विद्वान हैं। एक मामला इस सदन में कितनी बार उठाया जायेगा इस पर सरकार का दृष्टिकोण आने के बाद, अध्यक्ष का निर्णय होने के बाद, क्या बराबर उसी मामले को सदन में उठाना, सदन की परम्पराओं के अनुकूल है? हमें अधिकार है अपनी बात कहने का, विपक्ष को अधिकार है अपनी बात कहने का, वह सदन के संज्ञान में आ जाती है तो सरकार अपना दृष्टिकोण रखती है, आपके निर्देश जारी होते हैं। दृष्टिकोण रखने के बाद, आपके निर्देश जारी होने के बाद, विपक्ष इस सरकार पर दबाव डाले कि आप यह निर्णय सुनाएं, यह कोई बात नहीं हुयी। सरकार का अपना दृष्टिकोण है। हम जांच करायें यह हमारा काम है मांग करना आपका काम है हम जांच को आवश्यक नहीं समझते हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी संसदीय मान्यताओं के जानकार हैं, वह इस तरह से सरकार पर दबाव न डालें, इस पर सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं होगी।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—]

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें, मेरा आपसे एक निवेदन है। मान्यवर, इस प्रकरण में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा, उसमें विधायकों और पुलिस के अधिकारी, दोनों के प्रति सन्देह की भावना है, इसमें जांच होना अति आवश्यक है। इसमें जांच हो और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ हो चाहे वह विधायक हों इसमें आप जांच करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी कल बात स्पष्ट हो गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है पुलिस ने बल प्रयोग किया है वह पूरी तरह से उचित था। इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसमें समय नहीं दूंगा। सरकार ने इसमें अपना स्पष्ट रूप से मत दे दिया है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

यह तो मान्यवर, हठवादिता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह हठवादिता का प्रश्न नहीं है। मैं खड़ा हूं। मेरा इस पर स्पष्ट मत है। सरकार पर कोई दबाव आपकी ओर से या अध्यक्ष पीठ से नहीं डाला जा सकता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं)।

इनका जो मत था वह इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कार्यवाही में व्यवधान डालें।

(व्यवधान)

मैं 300 की सूचनायें लेता हूं। मैं इस विषय पर अब और नहीं सुनूंगा। आप लोग शान्त रहें।

(व्यवधान)

अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, व्यवधान डालते हैं इसमें आपकी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

अब मैं नियम 300 में सूचनायें लेने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

[इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 05 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। तत्पश्चात् 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

वि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की 64वीं वार्षिक रिपोर्ट 1987-88†

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, क्या तय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय हुआ है कि मद संख्या 3 लगायत 9, जो कि सचिव द्वारा या मेरे द्वारा कुछ घोषणायें थीं उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। जो 11 विशेषाधिकार की सूचनाएं हैं उनको मैं कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बाद सुनूंगा।

श्री रविकान्त गर्ग—

मान्यवर, 300 की सूचनाओं का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

300 पेंडिंग है। अब मद संख्या 3 लगायत 8 की मदें पढ़ी हुई मानी गयीं।

(निम्नलिखित मदें पढ़ी हुई मानी गयीं)

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की चौसठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन††

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अष्टम् से सोलहवें वार्षिक लेखन एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन††

परिवहन मन्त्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अष्टम्, नवम्, दशम्, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, सोलहवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।]

---

† छापा नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्यपाल महोदय द्वारा 21 जनवरी, 1991 को दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्राप्त उत्तर की सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष—

[मैं सदन को सूचना देता हूं कि दिनांक 21 जनवरी, 1991 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर भेजा है—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके पत्र संख्या 390/वि0 स0/संसदीय-213-(सं)-89, दिनांक 20 फरवरी, 1991 के लिए धन्यवाद।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।" भवदीय बी0 सत्यनारायण रेड्डी।]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त,

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991†

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव विधान सभा—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991,

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव विधान सभा—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा--

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--

(1) उत्तर प्रदेश अमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 22 फरवरी, 1991 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा--

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 22 फरवरी, 1991 को ही विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा--

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 22 फरवरी, 1991 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन), विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा--

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया।]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें भी पढ़ी हुई मानी गयीं।

(कार्य मंत्रणा समिति की निम्नलिखित सिफारिशें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 25 फरवरी, 1991 में सदन के दिनांक 26 फरवरी, 1991 से दिनांक 10 अप्रैल, 1991 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है।

फरवरी, 1991—

26 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा दिन)।

(2) विधायी कार्य :

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा।

27 बुधवार

बैठक नहीं होगी।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापा नहीं गया।

28 गुरुवार — बैठक नहीं होगी ।

मार्च, 1991—

1 शुक्रवार — बैठक नहीं होगी (होली का अवकाश)

2 शनिवार

3 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार

5 मंगलवार

6 बुधवार — (1) वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन) ।

(2) निम्नलिखित विधायी कार्य :

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(3) जनपद फिरोजाबाद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा एक घंटा ।

7 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन) ।

8 शुक्रवार — बैठक नहीं होगी (शीतलाष्टमी का अवकाश) ।

9 शनिवार

10 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

11 सोमवार — (1) वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवां एवं अन्तिम दिन) ।

(2) प्रदेश के असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा असहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घंटा ।

12	मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
		(2) प्रदेश में माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित किये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा ।
13 14 15	बुधवार गुरुवार शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
16 17	शनिवार रविवार	बैठक नहीं होगी ।
18	सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
		(2) 5.00 बजे अपराह्न । वित्तीय वर्ष 1990-91 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।
19	मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान (आधा दिन) ।
		(2) वित्तीय वर्ष 1990-91 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक, का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
20 21 22	बुधवार गुरुवार शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 24	शनिवार रविवार	बैठक नहीं होगी ।
25 26 27	सोमवार मंगलवार बुधवार	वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
28	गुरुवार	बैठक नहीं होगी (महावीर जयन्ती का अवकाश) ।
29	शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (गुडफ्राइडे का अवकाश) ।
30 31	शनिवार रविवार	बैठक नहीं होगी ।

अप्रैल, 1991—

1	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
2	मंगलवार	
3	बुधवार	
4	गुरुवार	
5	शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4 बज अपराह्न तक) ।
		(2) 5 बजे अपराह्न । उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1991 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
6	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
7	रविवार	
8	सोमवार	असरकारी दिवस (आधा दिन, 25–1–91 के स्थान पर और आधा दिन 22–2–91 के स्थान पर ।
9	मंगलवार	असरकारी दिवस आधा दिन 15–3–91 के स्थान पर और आधा दिन 22–3–91 के स्थान पर) ।
10	बुधवार	असरकारी दिवस (आधा दिन 5–4–91 के स्थान पर) ।]

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिनकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अभी जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह सदन उससे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री रविदास मेहरोत्रा के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रविदास मेहरोत्रा जी का जो निलम्बन किया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री रविदास मेहरोत्रा का निलम्बन समाप्त कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

श्री रविदास मेहरोत्रा का निलम्बन वापस हुआ । अब मैं नियम 300 लेता हूं ।

(व्यवधान)

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभी हमारे कक्ष में जैसा तय हुआ था उस सम्बन्ध में म जानना चाहता हूँ कि कौन बोलेगा ?

(लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री)—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, विधेयक पर विचार होना है ।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक पर बाद में विचार होगा ।

दिनांक 22 फरवरी, 1991 को युवा जनता दल कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के मामले की जांच की मांग

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर 22 तारीख को पुलिस और पी0 ए0 सी0 के लोगों ने हमारी पार्टी के दो विधायकों श्री मुख्तार अनीस और श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री समरपाल सिंह तथा अन्य प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया । उसमें पी0 ए0 सी0 और पुलिस के लोगों ने जिस प्रकार से प्राणघातक हमले किया और लोगों को चोटें आई, इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया, उनके कथन से ऐसा लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री इंस्पेक्टर की हैसियत से बयान प्रस्तुत कर रहे हैं और सरकार लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़कर इस सदन में तानाशाही की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करके आतंकपूर्ण साया प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है । शासन का यह दायित्व है कि वह देखे कि उसे जो बताया जा रहा है उसमें क्या तथ्य हैं ? मान्यवर, जो दरोगा ने या किसी अन्य अधिकारी ने घटना के बारे में लिखकर दिया उस पर शासन ने, माननीय मुख्य मन्त्री ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना जायज था, सरकार उससे संतुष्ट हैं, मान्यवर, इस पर जो आज सरकार की ओर से कहा गया, अब तक की सरकारों ने इस प्रकार का बयान माननीय सदन में नहीं दिया । आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बयान दिया है वह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है और लोकतंत्र की हत्या है । आज ऐसा महसूस होता है कि आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इनकी सरकार पुलिस के साये में अपना कार्यकाल बिता रही है, प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण है नहीं । पुलिस और पी0 ए0 सी0 पूरी तरह से अनियंत्रित है ।

साम्प्रदायिक दंगों में जिस प्रकार का पी0 ए0 सी0 का रोल रहा है जिस तरह से पी0 ए0 सी0 ने निरीह लोगों को मारा पीटा और प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति को खराब किया है, वही पी0 ए0 सी0 की पीठ आज शासन थपथपा रही है । पी0 ए0 सी0 इनके नियंत्रण के बाहर है । ऐसा महसूस होता है कि रविदास मेहरोत्रा आदि पर हमले के लिए

[× × ×]

के तहत भेजा गया था, इसलिए अब मुंह छिपाने के लिए उनकी पीठ थपथपा रहे हैं यह निन्दनीय प्रश्न है, इसकी जांच करायी जाय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करायी जाय । मान्यवर, यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें माननीय विधायक और प्रशासन इन दोनों की भूमिका संदिग्ध हो रही इसलिए इसकी जांच होनी आवश्यक है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह घटना गंभीर है, इसके कारण पिछले दो दिनों से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। नेता सदन में मान्यवर, इस सदन में घोषित किया था कि जब जनप्रतिनिधियों के और सरकारी कर्मचारी के बीच कोई विवाद होगा तो उनकी सरकार जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा करेगी और यह हो भी चुका है जब राज्य अतिथि गृह में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी और पूरे सदन ने नेता सदन की उस घोषणा का स्वागत किया था। मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि जब इस प्रकार का सवाल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा होनी चाहिये।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे यह सदन चल सके अन्यथा विधान मंडल की पूरे प्रदेश में छवि धूमिल हो रही है। यह भी देखा जाता है कि जब एक सदस्य खड़ा होता है तो बहुत से साथी टोका टाकी करने लगते हैं और बहुत से साथी तो यह मन बनाकर सोचते हैं कि सदन नहीं चलने देंगे इन सब चीजों से जनता के प्रतिनिधियों का असम्मान हो रहा है। सरकार को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जिससे जनप्रतिनिधियों की रक्षा हो सके और विरोध पक्ष को भी ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे कम से कम विधान मंडल की सार्थकता बनी रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, शांति बनायें रखें।

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह एक बड़ा गंभीर विषय सदन के सामने उपस्थित हुआ है, इसके कारण से दो दिनों से सदन में अन्य मामलों में चर्चा नहीं हो पा रही है, वार्षिक बजट पर, जो इतना महत्वपूर्ण होता है, पर विचार नहीं हो पा रहा है। जब कभी कोई महत्वपूर्ण विषय उठता है तो आपकी पीठ से यह निर्देश दे दिया जाता है कि सामान्य चर्चा के समय इसे कहा जा सकता है बजट की। लेकिन निरन्तर दो दिनों से सदन व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। इससे बहुत से लोगों में क्षोभ है कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है।

मान्यवर, हमारी भी सरकार रही है और यह सर्वत्र परम्परा रही है कि अगर सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ सदस्य कोई बात कहते हैं तो उसकी जांच करायी जाती है। दो सम्मानित सदस्यों को चोटें लगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार जांच कराने में क्यों हिचक रही है जिसके कारण से यह घटना हुई है। इस सदन में यह घोषणा हुई थी जब कभी जनप्रतिनिधियों की बात आयेगी तो वहां सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ी होगी तो उस बात से पीछे जाने की क्या आवश्यकता है? सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर देखना होगा, जब जनप्रतिनिधि सरकार के सामने पुरजोर शब्दों से मामला उठा रहे हैं तो एक-दो कर्मचारियों के लिए कम से कम सभी सदस्यों की भावना को आहत न करें। जांच करा लें और दोषी व्यक्तियों को सजा देने की कोशिश करें। एक बात मैं जाकर कहना चाहता हूं, इसी वक्त मैं यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जोड़ना चाहूंगा कि कुछ सम्मानित सदस्य ऐसे हैं जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, हमें उसकी जांच करनी चाहिए । अगर किसी सम्मानित सदस्य ने ऐसा कार्य किया है तो वह सामने आ जायेगा । अगर जांच होगी और उसमें किसी सम्मानित सदस्य की गलती पायी जायेगी तो उसकी भी यहाँ पर निन्दा होगी । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह ऐसी गलत परम्परा न डालें और जांच करवा लें ताकि सम्मानित सदस्यों की गरिमा को कोई ठेस न पहुंचे ।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह एक गम्भीर मामला है और सरकार इसे पूरी गम्भीरता से ले। अभी शासन से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि 22 तारीख को जो घटना घटी और पुलिस ने जो कार्यवाही की है उससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं । मैं आप से अनुरोध करता हूं कि जब हम अपने माननीय सदस्यों की रक्षा नहीं कर पायेंगे चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों तो हम कैसे इस प्रदेश की जनता की रक्षा कर पायेंगे ? मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जो माननीय सदस्य श्री मुख्तार अनीस व श्री रविदास मेहरोत्रा जी के साथ ज्यादती हुई है अगर हम उसकी जांच नहीं करायेंगे तो हमारा मखौल बन जायेगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अड़ियलपन छोड़े और इसकी जांच करवायें । अगर सरकार हिचक रही है तो कृपया आप उसे निर्देशित करें कि वह इस मामले की जांच करवायें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय अध्यक्ष जी, सदन से सभी सम्मानित सदस्य पूरी तरह से यह चाहते हैं कि यह सदन चले और बजट सत्र के इन दिनों में हम प्रदेश की 13 करोड़ जनता की समस्याओं को उठा सकें । लेकिन यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सदन पिछले दो दिनों से नहीं चल पा रहा है । अभी 22 तारीख को युवा जनता दल ने जो प्रदर्शन किया और उसमें जो घटनायें घटी और जब हमने कहा कि घटना की जांच करा लें तो शासन से इसे स्वीकार नहीं किया जिसके कारण यह सदन नहीं चल सका । मान्यवर, जब हमारे सम्मानित सदस्यों के साथ इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए चाहें वह इधर के बैठने वाले हों या ऊधर के आज माननीय मुख्तार अनीस व रविदास मेहरोत्रा जी के साथ जो घटना घटी और श्री श्याम देवराय चौधरी के साथ जो बनारस में घटना घटी अगर उसकी जांच नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार जानबूझकर पुलिस को निरंकुश बनाने का प्रयास कर रही है । इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अग्रह करता हूं कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है यह बहुत ही छोटी मांग है कि शासन जांच करा ले । जब जांच हो जायेगी तब सबको पता लगेगा कि प्रदर्शन में जो कुछ किया गया क्या वह उचित था और इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा ।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय तिवारी जी, उपनेता, कांग्रेस, माननीय श्री पंचानन राय, कांग्रेस की तरफ से जनता दल की तरफ से माननीय श्री रघुबर दयाल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय श्री सत्य प्रकाश विकल व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जो घटना घटी 22 तारीख को, जो युवा जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया वह बहुत ही चिन्ताजनक और गम्भीर बात है । लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है लेकिन जो प्रदर्शन के समय ज्यादतियां हुई हैं उसके बारे में जांच होनी चाहिए । ऐसी कोई बात नहीं है....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसको हमारे सत्ता पक्ष के लोग न मानें। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिये तथा इस मामले पर दलगत विचारों से ऊपर उठकर सोचना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम बदले की भावना से ऐसे मामलों में कोई जांच न करायें, इसलिये जब इसमें बहुमत की राय बन रही है कि जांच कराई जाये और सभी दलों के लोग कह रहे हैं, तो इसमें जांच अवश्य कराई जानी चाहिये।

मान्यवर, आपको सर्वाधिकार प्राप्त है, आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हैं। यदि इस मामले पर शासन की तरफ से कोई बात नहीं आती है, तो आपको अधिकार है कि आप इन्हें निर्देशित करें कि इस मामले में जांच कराई जाये। जांच में चाहे जो भी दोषी पाया जाय, चाहे वह विधायक हो, चाहे पुलिस के लोग हों, साफ साफ पता चल जायेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको सत्ता पक्ष के लोग न मानें। मुझे उम्मीद है कि वह इसे मान लेंगे अन्यथा आप इन्हें निर्देशित करें।

*श्री राम लखन वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, 22 तारीख को जनता दल के विधायकों व कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं और मेरा दल उसकी निन्दा करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले में पूरे विधान मंडल सदस्यों की भावना है कि जांच कराई जाय और जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, जो लोग दोषी पाये जाते हैं, उनको दंडित किया जाये। मेरी अपने दल की तरफ से आपसे आग्रह है कि आप अपनी तरफ से इसमें जांच का आदेश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष—

विद्यार्थी जी, आप अपने स्थान पर बैठें, इस समय विषय दूसरा चल रहा है और आप बीच में व्यवधान न डालें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

विद्यार्थी जी जो कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा, विद्यार्थी जी, आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी, राय साहब, प्रमोद तिवारी जी, रामचन्द्र बख्श सिंह जी, राज किशोर सिंह जी, विकल जी तथा राम लखन वर्मा जी ने पुनः इस मामले को सदन में उठाया है। वर्मा जी ने एक अच्छी विपक्ष की भूमिका अदा की है, वह यह भी उम्मीद करेंगे कि हम एक अच्छे सत्ता पक्ष की भूमिका करें। हमने पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भी कहा था कि जिस मामले पर एक बार, दो बार, तीन बार बहस हो जाये और सदन के नेता जी हैं, उनका अभिमत भी आ जाये, उस मामले को बार-बार नहीं उठाना चाहिये । कांग्रेसी लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर ही रहे हैं । इस समय सदन के महत्वपूर्ण समय में जब पूरे साल का बजट पारित करने जा रहे हैं, हमें ऐसे मामलों पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये । आज माननीय नेता विरोधी दल का भाषण होना चाहिये, लेकिन उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश की तमाम समस्यायें सामने आतीं और हमको सुझाव मिलते । श्रीमन्, जो ये राजनैतिक मामले हैं, वे हमेशा होते रहेंगे । सरकार में जो भी रहेगा, उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा । जहां तक माननीय विधायकों के सम्मान का प्रश्न है, इस सरकार का पहले भी यह मत रहा है और आज भी है कि हम उस पर दृढ़ रहेंगे । अगर किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान को ठेस पहुंची है तो सरकार का जो भी व्यक्ति होगा चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, उसके खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करेगी ।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि राजनीति के जो मूल्य हैं, उनका भी अवमूल्यन हुआ है और हो रहा है और आज उसका प्रतिबिम्ब यहां पर दिखाई दे रहा है । आज इसी बात को देखते हुए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण को संविधान से हटा देना चाहिये । ऐसी बातों पर कैसे रोक लगे, इसे आज हम सभी को देखना है । हमारे जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वह अपनी बात यहां पर आकर नहीं कह सकते हैं हम अपनी बात यहां पर कह सकते हैं, परन्तु जो हमारे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें यहां पर कटघरे में खड़ा करके उनके मनोबल को गिराया नहीं जाना चाहिये और यहां पर हम उन्हें एक तरफ आरोपित कर दें तो वह भी उचित नहीं है, इसलिए हमें इसे रोकना होगा ।

श्रीमन्, 22 तारीख को जो घटना हुई, उसमें हमारे कुछ माननीय सदस्यों की चोटें आई हैं, परन्तु पुलिस के लोगों को उनसे ज्यादा चोटें आई हैं, एक की तो आंख ही खतरे में है । श्रीमन्, जब सभा करने की इजाजत दी गई थी, तो उसके बाद विधान सभा की ओर बढ़ने की कोशिश क्यों की गई । यदि रोज इस तरह की घटनायें यहां पर होती रही तो हमारा सारा समय इसी में चला जायेगा । उस दिन की जो घटना हुई है, उसे हमने देख लिया है, देखने के बाद ही सरकार ने दृढ़ता से इस बात को कहा है कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । हम सभी लोगों को आत्मानुशासित होना चाहिये । जो हमारी मर्यादायें हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी जो मान्यतायें हैं, उस पर हमें जिम्मेदारी से चलना चाहिये । सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये हमें मर्यादाओं से बाहर जाकर लाठीचार्ज जैसी स्थिति को नहीं आने देना चाहिये और यहां पर सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । इस पर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा दूसरे सदस्यों से भी अनुरोध है कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा मामला होगा तो हम उस पर सजा अवश्य देंगे । जो चीजें आज हो रही हैं, उसे समाप्त करने के लिए हम आज से एक नया अध्याय शुरू करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय पूर्व में ही दे दिया है । अब मैं अपने निर्णय में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं, इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपा करके अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह तथा जनता दल के कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी अब मैं इस विषय पर आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इसलिए कृपा करके आप अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं अब आगे की मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 16 पर श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री अमर मणि त्रिपाठी जी का नाम पुकारे जाने पर तथा कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ।)

(घोर व्यवधान के लिए।)

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा, पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) यह 7 अगस्त, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौदह वर्ष" रख दिये जायेंगे।

3—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा 53 के अधीन नियुक्त किये गये नियंत्रक को, जो 8 अगस्त, 1989 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (चिकित्सा प्रणाली) बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, तब तक नियंत्रक के रूप में विधिमान्यता निरन्तर नियुक्त समझा जायेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त धारा के अधीन नियंत्रक के रूप में नियुक्त न कर दिया जाय और 8 अगस्त, 1989 के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे नियंत्रक द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्ताव और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कुंवर रेवती रमण सिंह व जनता दल के तथा भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 20, 21 और 22 के वक्तव्य पढ़े हुए माने जायं?

(मद संख्या 20, 21 और 22 के संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये जो निम्नांकित हैं)

जनपद फिरोजाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष पद के कक्ष में अधिशासी अधिकारी द्वारा सभासद को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

[श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि दिनांक 25 जनवरी, 1991 को जनपद फिरोजाबाद की नगर-पालिका, फिरोजाबाद के अध्यक्ष कक्ष में जनपद के प्रतिष्ठित एवं ख्यातिमान हरिजन एडवोकेट एवं सभासद श्री सम्पत्ति राम मधुर अध्यक्ष जी से सफाई कर्मियों के न्यायालय सम्बन्धी मुकदमों पर सुलह कराने के मान्य सहमत बिन्दुओं पर चर्चा को उपस्थित हुए कि अचानक ही अधिशासी अधिकारी श्री गंगा प्रसाद सैनी ने एक सोची समझी पूर्व नियोजित मंशा के तहत यह कहना शुरू किया कि आज तू सभासद और वकील बन गया है वह दिन भूल गया जब तू और तेरा बाप मेरे यहां झाड़ू लगाने का काम ही नहीं किया करता था बल्कि टट्टी भी उठाता रहता था तू अब क्या कानून जाने और ज्यादा बातें मत कर नहीं इतना मारूंगा कि तू याद करेगा। अध्यक्ष जी ने अधिकारी को ऐसा कहने को मना किया पर वह नहीं माना।

अध्यक्ष, नगर पालिका, फिरोजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 14 फरवरी, 1991 जो शासन में दिनांक 19 फरवरी, 1991 को प्राप्त हुआ के साथ श्री जी0 पी0 सैनी के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा जिसमें उन्होंने श्री सैनी के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि दिनांक 25 जनवरी, 1991 को बोर्ड की बैठक के उपरान्त श्री जी0 पी0 सैनी ने अनुसूचित जाति के मनोनीत सदस्य श्री सम्पत्ति राम मधुर, एडवोकेट के साथ उनके कक्ष में अभद्र व्यवहार करके उनका जातिगत अपमान किया और इस सम्बन्ध में श्री सम्पत्ति राम द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 1991 को श्री सैनी के विरुद्ध थाने में हरिजन उत्पीड़न कानून के अन्तर्गत अपराध दर्ज कराने की भी सूचना दी गयी है।

चूंकि उपरोक्त घटना एवं प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के माध्यम से अधिकारिक सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है, अतः शासन के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1991 द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को यह आदेश दिये गये हैं कि इस मामले पर अपनी आख्या विशेष वाहक द्वारा शासन को उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने दूरभाष पर बताया कि श्री सैनी, अधिशासी अधिकारी तथा श्री मधुर दोनों ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की छानबीन की जा रही है।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में खारे पानी और नमकीन क्षारीयता के कारण नलकूपों के खराब होने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री बाबूराम यादव)—

[माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि खारे पानी एवं नमकीन क्षारीयता के कारण जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में सभी नलकूप खराब हो गये हैं। इस क्षेत्र में ग्राम ओडेला के मजरा नगला जग्गे में स्थित नलकूप संख्या 7 किरावली को पी0 वी0 सी0 पाईप डालने के

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए परीक्षण के लिये चुना गया था और इसके परीक्षण की सफलता पर सम्पूर्ण ऊराब होने वाले राजकीय नलकूपों को पी0 वी0 सी0 के पाइपों द्वारा बनाने का आश्वासन दिया था। अब हाल में ही आगरा के राजकीय नलकूप अभियन्ताओं ने नलकूप संख्या 8 में परीक्षण करने के समय घोर असावधानी बरती है। लोअरिंग के समय असावधानी से कैबिल काट दी गई और लिफ्टिंग के समय झटका से सेट उसमें तोड़ दिया गया है। कमप्रेशर से सेट को टेढ़ा कर दिया गया है, जिसके कारण उस नलकूप की परीक्षण की सफलता संदिग्ध हो गयी है और पूरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में अब किसान यह जानकर परेशान और चिन्तित हो रहे हैं कि उनके अन्य खराब राजकीय नलकूपों को भी पी0वी0सी0 के पाइपों से नहीं बनाया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचनीय है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का निर्माण वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ किया गया था तथा निर्माणोपरान्त वर्ष 1982–83 से 1986–87 के मध्य 22 राजकीय नलकूपों का उर्जीकरण कराया गया था। इस क्षेत्र में भूगर्भ पानी के खारा होने तथा लोहे के पाइप गलाने वाला होने के कारण अधिकांशतः नलकूप खराब हो गये हैं तथा उनका निकास लगभग शून्य हो गया है। खारे पानी से नलकूप संख्या 6 किरावली, 7 किरावली, 8 किरावली वर्ष 1986 में, 9 किरावली 1984 में, 1 किरावली, 2 किरावली, 3 किरावली तथा 20 किरावली 1887 में तथा 15 किरावली एवं 17 किरावली वर्ष 1988 में लोहे के पाईपों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विफल हो गये हैं। इसके अतिरिक्त नलकूप संख्या 5 किरावली, 11 किरावली, 14 किरावली, 19 किरावली, 21 किरावली, 22 किरावली व 23 किरावली का भी निकास लगभग शून्य हो जाने के कारण बन्द है। इस प्रकार उक्त क्षेत्र में 22 नलकूपों में से वर्तमान में 4 नलकूप कार्यरत हैं तथा एक नलकूप अस्थायी रूप से यांत्रिक दोष से बन्द है।

उपरोक्त क्षेत्र लोहे के पाइप से निर्मित 'नलकूपों' हेतु उपयुक्त नहीं है परन्तु इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों के अभाव को देखते हुए अभी तक इस क्षेत्र को राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिये इसे अनुपयुक्त घोषित नहीं किया गया है तथा परीक्षण के तौर पर एक नलकूप, 7 किरावली समूह का पी0 वी0 सी0 पाईप से पुर्ननिर्माण कराया गया है ताकि पी0 वी0 सी0 पाईप तथा नलकूप की आयु पर खारे भूगर्भ जल के प्रभाव का अध्ययन कराया जा सके। उक्त नलकूप के उर्जीकरण के समय निकास 12,736 गैलन प्रतिघंटा ही प्राप्त हुआ जो नलकूप के निर्धारित 30,000 गैलन प्रतिघंटा से काफी कम था। इस क्षेत्र में छिद्रण के समय 91·50 मीटर के नीचे पत्थर की चट्टान पाये जाने के कारण उसके नीचे छिद्रण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। प्रयोग में लिये गये पी0 वी0 सी0 पाइप का पानी जाने हेतु खुला क्षेत्र लोहे की पाइप की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत ही है। जिस कारण इस क्षेत्र में पी0 वी0 सी0 पाइप से निर्मित 7 किरावली समूह नलकूप का निकास निर्धारित मानक से कम प्राप्त हुआ।

ऊर्जीकरण उपरान्त यह नलकूप खरीफ 1990–91 में चलाया गया तथा 53 घंटे चलने के पश्चात् ही इसकी मोटर खराब हो गयी। मोटर ठीक करवाने हेतु पम्प सेट निकालते समय कालम पाइप में लगा फ्लैन्ज टूट जाने के कारण पम्प सेट नलकूप में गिर गया जिससे चार लोहे के पाइप तथा पम्प सेट नलकूप में रह गये, और शेष पाइप बाहर निकल आया। लेकिन जब पम्प सेट ठीक करवाकर नलकूप पुनः चालू

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया तो नलकूप से सिंचाई हेतु पानी प्राप्त ही नहीं हुआ। सम्भवतः पी0वी0सी0 पाइप पम्प सेट गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया होगा जिसके कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में नलकूप निर्माण में पी0 वी0 सी0 पाइप का उपयोग कहां तक सफल रहेगा। नलकूप में पम्प सेट गिरने तथा ठीक होने के पश्चात् उसमें से पानी उपलब्ध होने न होने के कारणों का अध्ययन करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

खाद्य निगम, मेरठ द्वारा राशन की दूकानों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर खाद्य रसद मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

[माननीय डाक्टर लक्ष्मीकान्त वाजपेई द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि शासनादेश दिनांक 31-1-1991 द्वारा मेरठ के लिए आवंटित 2410 मी0 टन गेहूं तथा 500 मी0 टन चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिलीज आर्डर न किये जाने के कारण राशन की दुकानों पर गेहूं न पहुंचने से त्राहि-त्राहि मची हुई है।

इधर हाल में गेहूं के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और इसके दामों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि प्रदेश को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु गेहूं का आवंटन जो कि 50 हजार टन प्रतिमाह की दर से प्राप्त हो रहा था, फरवरी माह के लिए बढ़ाकर एक लाख टन कर दिया जाय। प्रदेश सरकार के इस अनुरोध को आंशिक रूप से मानते हुए भारत सरकार ने गेहूं का आवंटन 50 हजार टन से बढ़ाकर फरवरी माह के लिए 75 हजार टन कर दिया। इस आवंटित मात्रा का जिलेवार आवंटन शासनादेश संख्या 590/29-खाद्य-6-1 (2)/91, दिनांक 31 जनवरी, 1991 के द्वारा कर दिया गया जिसके अन्तर्गत मेरठ जनपद को 2410 मी0 टन गेहूं आवंटित हुआ। इससे पूर्व माहों में प्रदेश को आवंटित गेहूं और उसके वितरीत उसके उठान की स्थिति निम्नानुसार है।—

माह	आवंटन	उठान
1	2	3
अप्रैल, 1990	50,000	11,435
मई, 1990	50,000	16,226
जून, 1990	50,000	7,483
जुलाई, 1990	50,000	8,682
अगस्त, 1990	50,000	12,541
सितम्बर, 1990	50,000	6,199
अक्तूबर, 1990	50,000	23,657
नवम्बर, 1990	50,000	20,554
दिसम्बर, 1990	50,000	54,221
जनवरी, 1991	50,000	70,992
कुल योग ..	5,00,000	2,31,940

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ सहित प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटित मात्रा में गेहूं की आपूर्ति न किए जाने की सूचना कुछ दिनों पहले प्राप्त हुई। स्थिति की छानबीन करने पर पता चला कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा फरवरी माह से पहले जनवरी, 1991 व दिसम्बर, 1990 में प्रदेश को आवंटित कुल गेहूं की मात्रा से अधिक मात्रा की आपूर्ति कर दी गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए फरवरी माह के आवंटन में से कटौती करने के निर्देश वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अपने जिला प्रबन्धकों को दिए गए थे। इस मामले को भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया गया कि प्रदेश को फरवरी, 1991 के लिए आवंटित कोटे में से किसी प्रकार की कोई कटौती न की जाय। तदनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया जा चुका है और अब मेरठ तथा अन्य सभी जिलों में गेहूं की आपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31-1-91 के अनुसार की जा रही है। जिलाधिकारियों/संभागीय खाद्य नियंत्रकों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले को आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा भारतीय खाद्य निगम से माह समाप्त होने से पहले प्राप्त कर ली जाए।]

श्री अध्यक्ष—

(शोर व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं, 6 मार्च को 11 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 11 मिनट पर बुधवार, 6 मार्च, 1991 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26-2-1991 :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29 (4) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर]

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की 28 सूत्रीय मांगे :—

1—वेतन विसंगति समिति के समक्ष विचाराधीन अवशेष संवर्गों के प्रत्यावेदनों पर शीघ्र निस्तारण करके उन्हें केन्द्र के समान पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किया जाए ।

2—राष्ट्रीय वेतन नीति शीघ्र बनाई जाय जिससे कि मेहनतकश कर्मियों को आर्थिक न्याय मिल सके ।

3—प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के पद से पद के समान वेतनमानों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय सहित जिन कर्मचारियों को भारत सरकार के पद से पद की समानता के अतिरिक्त अन्य जो लाभ दिये गये हैं वह लाभ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को प्रदान किये जायं ।

4—प्रदेश के समस्त रोडवेज सहित राज्य कर्मचारियों को भी प्रदेश के ही इंजीनियरों एवं डाक्टरों की भांति 5 वर्ष तथा 12 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति का वेतनमान स्वीकार किया जाए ।

5—प्रदेश के सामान्य कर्मचारियों को उपलब्ध सामान्य अवकाश के उपभोग से वंचित तथा कार्य अवधि के पश्चात् एवं साप्ताहिक अवकाश में भी बहुधा कार्य करने वाले विशेषतः रोडवेज, वन, कोषागार, फार्मेसिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियन, नलकूप चालक, राजकीय प्रेस, चौकीदार आदि को कम अवकाश के बदले एक माह का अतिरिक्त वेतन शीघ्र अनुमन्य कराया जाय ।

6—पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों को सीमान्त भत्ते के स्थान पर पूर्व की भांति सीमान्त वेतन दिया जाए तथा सीमान्त वेतन व सीमान्त भत्ते में आनुपातिक वृद्धि की जाय ।

7—वेतन निर्धारण से सम्बन्धित वर्तमान आदेशों को संशोधित करते हुये वर्णित वेतनवृद्धि की तिथि से विकल्प चुनने पर भी वेतन निर्धारण में एक काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य किया जाये ।

8—दिनांक 1-1-1986 के पूर्व प्रदेश तथा केन्द्र सरकार के वेतन ढांचे में काफी अंतर था तथा नये वेतनमान वेतन निर्धारण में केन्द्र सरकार द्वारा वेतन का 20 प्रतिशत धन जोड़कर निर्धारण किया गया । यह भी प्रदेश में लागू नहीं किया गया फलतः प्रदेश के अनेक वेतनमानों के 8-10 वर्ष पुराने कर्मचारियों को वेतन नव-नियुक्त कर्मचारियों की तरह प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारण हुआ है, जिससे ऐसे कर्मचारियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है । अतएव वेतन निर्धारण में प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाये ।

9—पूर्व नियमों के अधीन प्रदेश के कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्तों में पूर्ण समानता दी जानी है । इसी के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु भारत सरकार के स्लैब लागू किये जाएं तथा भारत सरकार के अनुसार अवकाश यात्रा सुविधा (एल0टी0सी0)

गृह जनपद यात्रा सुविधा (एच0 डी0 सी0) तथा स्थानान्तरण की स्थिति, जिनमें विवस का ज्वाईनिंग टाईम उपभोग नहीं किया जाता, उसे अर्जित, अवकाश में जमा करने की सुविधा प्रदान की जाय--

10—प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों एवं रोडवेज कर्मचारियों को 20 प्रतिशत चिकित्सा भत्ता स्वीकार किया जाये ।

11—मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों के अध्यक्ष/महामंत्री की संगठनात्मक यात्राओं के लिए परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाये ।

12—समस्त कार्य प्रभारित तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाये और उन्हें राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य सभी सुविधायें प्रदान की जाये ।

13—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर सामान्य कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियों एवं कार्यदिवसों के अधीन आगणित दैनिक वेतन से कम न रखी जाये ।

14—गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले धन की तुलना में 20 गुना से अधिक आवेदन होने के कारण भिन्न-भिन्न कार्यालयों में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाये । अनेक कार्यालयों में जो अभिलेख मांगे जाते हैं, उनके नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है तथा इनकी पूर्ति में कर्मचारियों को हजारों रुपये का अनावश्यक व्यय करना पड़ता है, जबकि नियमों में भूमि क्रय करके मकान निर्माण हेतु भी व्यवस्था है । अतएव तीन वर्ष की नियमित सेवा के सभी कर्मचारियों को आवेदन-पत्र के निस्तारण हेतु बैंक हाउसिंग बोर्ड आदि संस्थाओं से ऋण की सुविधा प्रदान की जाये तथा उनकी ब्याज दर एवं ब्याज की गणना के कारण देय अतिरिक्त ब्याज के अन्तर को सरकार द्वारा वहन किया जाये ।

15—सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को सामूहिक बीमा के समूह रु0 60 तथा रु0 120 में स्वैच्छिक भागीदारी की छूट प्रदान की जाये ।

16—जनपदों में पूल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत जिस श्रेणी/वर्ग कर्मचारियों के लिए आवास निर्मित किया गया हो उसी श्रेणी/वर्ग के कर्मचारियों को ही आवंटित किये जाने के स्पष्ट आदेश निर्गत किये जायें तथा अवैध आवंटन निरस्त किया जाये ।

17—प्रदेश के जो कर्मचारी निःशुल्क आवास सुविधा के पात्र हैं, उन्हें, आवास सुविधा न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पूर्व की भांति सामान्य दर से उच्च दर पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाये ।

18—ग्रामीण स्तर पर कार्यरत राज्य कर्मियों को 25 प्रतिशत ग्रामीण असुविधा भत्ता स्वीकार किया जाये ।

19—विधान सभा/विधान परिषद् तथा सचिवालय के सुरक्षाकर्मी एवं वन तथा जेल विभाग के कर्मचारियों को पुलिस के समान वेतन दिया जाये ।

20—वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन से सीधी पोस्ट आफिस बचत योजना में कटौती कराये वेतन नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं दिनांक 1 जनवरी, 1986 से नये वेतनमान के अवशेष का वह भाग जो नगद देय है, के भी एन० एस० सी० लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाये। साथ ही वेतन से सीधी बचत योजना के अंशदान को न्यूनतम वेतन निर्धारण में सम्मिलित किया गया था, अतएव इस निमित्त मूल वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाये।

21—अराजपत्रित कर्मचारियों के आश्रितों की उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

22—सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके एक आश्रित को तत्काल सेवा में रखने की व्यवस्था का कुछ अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करके टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है अतएव आश्रित के आवेदन के एक माह के अन्दर उसे सेवा में रखने तथा न रखने पर भी पात्र पद का वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि पारिवारिक पेंशन पर समय-समय महंगाई के कारण देय राहत जो सरकारी सेवा में मृत्यु कर्मचारी नियमावली में नियुक्त के कारण देय नहीं होती है वह नियम को संशोधित कर सभी पेंशनरों के समान लाभ प्रदान किया जाये।

23—प्रत्येक पद की न्यूनतम पेंशन जो उसके वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर के 50 प्रतिशत से कम न हो निश्चित की जाये। साथ ही उस पद के वेतनमान के पुनरीक्षण पर पेंशन भी पेंशनर के सम्पूर्ण जीवनकाल तक तद्नुसार पुनरीक्षित की जाये।

24—अराजपत्रित से राजपत्रित पद में पदोन्नति की स्थिति में वरिष्ठता का आधार प्रथम निरन्तर सेवा के दिनांक को मानकर उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किया जाये।

25—दो बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखने वाले राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में देय एक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त लाभ को तीन बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले कर्मचारियों को भी दिया जाये, क्योंकि पूर्व में सरकार का कथन था कि "दो या तीन बच्चे..." । तथा नये वेतनमान में वेतनवृद्धि देने का आदेश जारी किया जाये।

26—वर्तमान में सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था की है। प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में आते हैं अतएव प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी के एक आश्रित को सरकारी सेवा में लिया जाना अनिवार्य किया जाये।

27—राजकीय शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय, शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध समस्त सुविधायें प्रदान की जायें।

28—भारत सरकार की भांति कर्मचारियों का स्थायीकरण पूरी सेवा में एक बार नियुक्ति वाले पद पर ही किया जाए एवं पद स्थायी होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर तुरन्त स्थायी कर दिया जाये।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र०सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर ।)

संलग्नक

जनपदों को परिव्यय आवंटन हेतु उपयोग किये जा रहे मानक

(अ) मैदानी क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—सड़कों में पिछड़ापन	5
7—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8—अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9—पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
योग ..	95

(परिव्यय के शेष भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधन अथवा शुरुआत में उत्पन्न होने वाली "असंगतियों" को दूर करने के नियमित आरक्षित किये जाने का प्राविधान है ।)

(ब) पर्वतीय क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
7—अस्पतालों की शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
8—पेयजल अभाव ग्रस्त ग्राम	5
9—भौगोलिक क्षेत्रफल	5
10—इफेक्टिव फारेस्ट कवर	5
योग ..	100

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री प्रद्योत कुमार बाहर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर का संलग्नक।

तहसील सलेमपुर के घाघरा नदी के बालू व पानी के मराब वाले ग्रामों की सूची

1—रायपुरा चकलाल खादर
2—बरहज खादर
3—पैना खादर
4—सिसवानिया खादर
5—मईल खादर
6—मईलौठी खादर
7—भागलपुर खादर
8—देवरिया खादर
9—छितुपुर खादर
10—नरसिंह डाड खादर
11—बलिया उत्तर
12—बलिया दक्षिण खादर
13—तकिया बरहरा खादर
13—डुमरी खादर
15—महाल मंझरिया
16—खरवानिया खादर
17—चूरिया
18—चूरिहट खादर
19—सहियाखादर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 19 का उत्तर पृष्ठ 39 पर ।)

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति वर्ष 1990 के अन्तर्गत स्थानान्तरित वित्त विभाग के अनुभाग अधिकारियों की सूची ।

सर्वश्री—

1—वीरेन्द्र नाथ निगम
2—हरी शंकर कपाली
3—नवीन चन्द्र पन्त
4—देव प्रताप सिंह
5—महेश चन्द्र
6—कृष्ण कुमार वाजपेयी
7—हरिश्चन्द्र गुप्त
8—कलावती कुरील (श्रीमती)
9—राधेश्याम पाण्डे
10—मुशीर हसन
11—प्रताप नारायण सिंह
12—प्रताप शंकर शुक्ल
13—दुर्गा प्रसाद वर्मा
14—रमेश चन्द्र गुप्त
15—महीपाल
16—प्रेम कुमार थपलियाल

स्थानान्तरित प्रवर वर्ग सहायकों की सूची—

सर्वश्री—

1—देव नारायण शुक्ला
2—सभापति पाण्डेय
3—विद्यासागर श्रीवास्तव
4—दुर्गा प्रसाद
5—के0 यू0 सिंह
6—डी0 के0 लोहानी
7—सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव I
8—टी0 मूलचन्दानी
9—इकबाल अली अब्बासी
10—शारदा प्रसाद ओझा
11—धनराज यादव

12—कु0 अल्मस, अंक
13—हरिशंकर लाल गौड़
14—शिव बख्श सिंह
15—हरिश्चन्द्र पाण्डे
16—गोपाल कृष्ण शुक्ला
17—चन्द्रेश सिंह
18—मंजू प्रसाद
19—सामेन्द्र सहाय
20—सुरेन्द्र कुमार
21—राम सरन वर्मा
22—मुइनुद्दीन सिद्दीकी
23—मेवालाल मौर्य
24—सोमन कुमार मुखर्जी
25—शिव शरण दीक्षित
26—बी0 बी0 एल0 श्रीवास्तव
27—रामाधार साहू
28—द्वारिका प्रसाद
29—राम आसरे
30—विपिन चन्द्र पाण्डे
31—श्याम प्यारे तिवारी
32—हर्ष देव चौधरी
33—लाल जी वर्मा
34—सत्य मोहन मिश्रा
35—जगन्नाथ यादव
36—एम0 सी0 गुप्ता
37—मुरलीधर राय
38—संजीवन लाल यादव
39—रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
40—मंजूर हुसैन अंसारी
41—के0 के0 रस्तोगी
42—अहमद रसूल
43—केशव प्रसाद त्रिपाठी
44—सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव II
45—भगवती प्रसाद वर्मा
46—कृष्ण पाल सिंह

विधान सभा

सबंधी,—

47—श्रीमती प्रेम कुमारी जुनेजा
48—प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव
49—सूर्य नारायण सिंह
50—जगदीश प्रसाद तिवारी
51—अष्ट भुजा प्रसाद श्रीवास्तव
52—गिरीश चन्द्र जोशी
53—कु० कमला गुरुनानी
54—हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव
55—राम देव
56—राम स्वरूप यादव
57—लक्ष्मी नारायण
58—चोखे लाल यादव
59—आदित्य कुमार मिश्रा
60—रत्नाकर मोहन अवस्थी
61—लालता प्रसाद साहू
62—रफीक अहमद सिद्दीकी
63—अरुण कुमार श्रीवास्तव
64—सुशील कुमार श्रीवास्तव
65—श्री० के० सिंह राठौर
66—श्रीमती पुष्पा गुप्ता
67—गिरीश चन्द्र गुप्ता
68—लाजपत राय गुप्ता
69—विष्णु स्वरूप माथुर
70—राम कैलाश शर्मा
71—राम नरेश यादव
72—मन्शा राम चौधरी
73—विद्या प्रकाश
74—राम नाथ सक्सेना
75—अविनाश चन्द्र नागर
76—गोपाल जी
77—सुनील कुमार घोष
78—कमला लड़कानी
79—प्यारे लाल

नत्थो 'ङ

(देखिये अता० प्र० सं० 91 का उत्तर पीछे पृ० 70 पर)

संलग्नक

दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक मंत्रि मण्डल के सदस्यों पर टेलीफोन, अतिथि व्यय यात्रा भत्ता तथा पेट्रोल के मदों में हुए व्यय का विवरण—

क्रमांक	नाम	टेलीफोन व्यय	अतिथि व्यय	यात्रा भत्ता	पेट्रोल व्यय
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
1	मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री	2,11,827.60	5,08,602.85	7,000.00	3,83,032.05
2	रेवती रमण सिंह, मंत्री	1,17,464.50	21,638.75	59,762.50	52,289.05
3	बेनी प्रसाद वर्मा, मंत्री	1,20,328.00	28,741.65	38,239.00	27,794.25
4	राम शरण दास, मंत्री	65,848.00	5,239.00	75,483.75	8,839.45
5	सच्चिदानन्द बाजपेयी, मंत्री	85,902.50	16,028.50	35,472.00	33,160.20
6	मुख्तार अनीस, मंत्री	87,907.85	10,746.50	60,927.25	48,073.95
7	श्रीमती सुखदा मिश्रा, मंत्री	1,07,440.50	13,432.00	48,782.30	32,023.05
8	अवधेश प्रसाद, मंत्री	99,531.50	3,387.00	20,306.00	21,927.40
9	दिवाकर विक्रम सिंह, मंत्री	2,58,516.00	43,612.40	91,278.65	8,278.85
10	मोहम्मद आजम खां, मंत्री	76,201.00	2,856.00	1,06,508.65	14,540.70
11	विक्रमादित्य पाण्डेय, मंत्री	1,26,931.50	30,736.00	43,107.8	24,269.50
12	बरफिया लाल जुवांठा, मंत्री	1,60,414.00	19,898.00	1,17,577.80	68,487.80
13	मोहम्मद असलम खां, मंत्री	1,45,352.50	14,303.25	1,23,381.95	52,774.10
14	शतरुद्र प्रकाश, मंत्री	1,40,743.00	3,756.50	1,36,603.65	20,078.40
	योग ..	18,05,408.45	7,22,978.40	9,64,431.35	7,95,568.75

पी० एस० यू० पी०—3 वि० सभा—20-6-1991—572 प्रतियां (पी० डी०)।